खण्ड-457, अंक-1
गुरुवार, 27 माघ, शक संवत् 1927
(16 फरवरी, 2006 ई0)

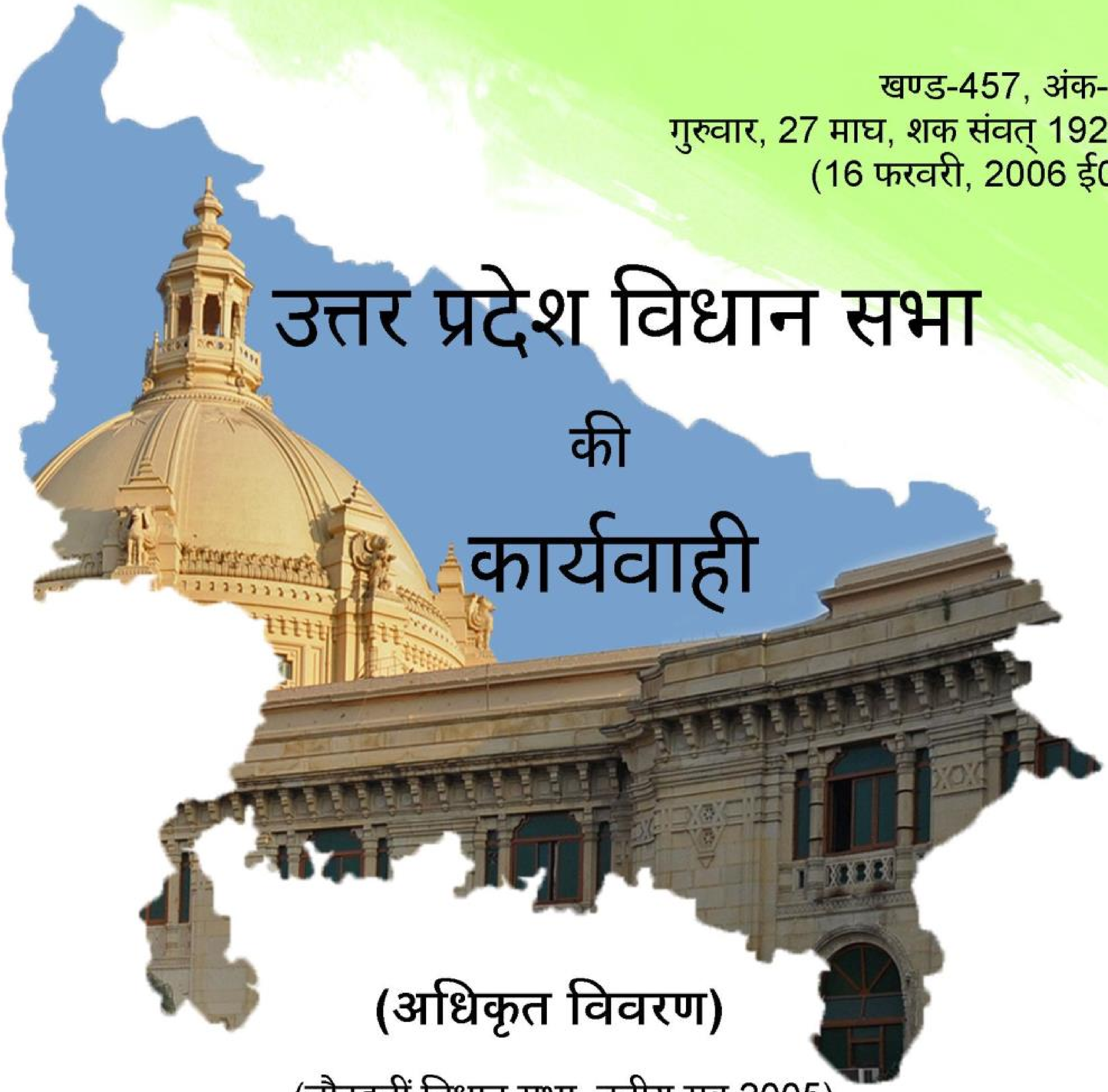

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 457 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-मण्डल, नेता विरोधी दल, उ0 प्र0 विधानसभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची ..	क-झ
उपस्थित सदस्य ..	ट-प
विधान सभा के दो सदस्यों एवं एक राज्य मंत्री के गम्भीर आरोप में लिप्त होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (जारी) ..	1-5
प्रश्नोत्तर ..	6-32
विधान सभा के दो सदस्यों एवं एक राज्य मंत्री के गम्भीर आरोप में लिप्त होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग ..	32-34
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें ..	34
गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय कन्या हाई स्कूल मसकनवां को इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	35
जनपद जौनपुर में मुफ्तीगंज पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग चौकी बनाने एवं भवन हेतु धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	35
आजमगढ़ में लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड 4 में कथित भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	35-36
बांदा मुख्यालय में जिला जेल के सामने की अनुसूचित जाति कालोनी के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	36
बलिया जनपद के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	36
उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पुनर्गठन के निर्णय के कारण छात्रों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	37
हरदोई जनपद के ब्लाक हरपालपुर में कुण्डा नाला पर स्वीकृत पुल निर्माण हेतु धन निर्गत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	37
जनपद आजमगढ़ में आहोपट्टी में हाथ से कागज बनाने की ट्रेनिंग देने व कागज तैयार करने की योजना तथा पल्हनी रेलवे स्टेशन के पास डेरी की योजना का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	37-38
बुलन्दशहर के ग्राम रिझौड़ा में खण्डित डा0 अम्बेडकर की प्रतिमा के स्थान पर दूसरी प्रतिमा लगवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	38
दि काशी सहकारी चीनी मिल लि0 औराई, जनपद संत रविदास नगर के कर्मचारियों के समस्त देयों के भुगतान की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	38

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखीमपुर खीरी जिला अन्तर्गत पलियां एवं निघासन चिकित्सालय में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	39
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें ..	39
बिना किसी संगीन जुर्म के मामूली आरोपों में बन्द किये गये बन्दियों द्वारा लम्बी अवधि तक कारावास की सजा काट लेने के बाद भी उन्हें रिहा न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	39-42
विधान सभा के वर्ष 2005 के प्रथम सत्र के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के सम्बन्ध में दिनांक 18-2-2005 को प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 166 के अन्तर्गत दी गयी सूचना एवं उसके सम्बन्ध में दिनांक 26 जुलाई, 2005 को सदन में नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	43
प्रदेश के छात्रों के हित में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में 10 प्रतिशत अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	43-44
आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	44-45
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	45
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा प्रथम सत्र 2005 के प्रथम शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2005 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री का संशोधित उत्तर एवं कृत कार्यवाही का विवरण ..	45-46
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें ..	47-67
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन), विधेयक, 2006 (पारित) ..	67-72
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन), विधेयक, 2006 (पारित) ..	72-80
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	80-81
नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में संशोधन करते हुए 500 करोड़ एवं 300 करोड़ रुपये के निवेश के प्रतिबन्धों को समाप्त करके नई चीनी मिल को विशेष प्रोत्साहन एवं छूट दिये जाने विषयक श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घन्टे की चर्चा का स्थगन ..	82
सर्वदलीय बैठक की जानकारी ..	82
नत्थियां ..	83-90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1--अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2--अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3--अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4--अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5--अजय कुमार, डा0 — बागपत
6--अजय राय, श्री — वाराणसी
7--अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
8--अताउल रहमान, श्री — बरेली
9--अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
10--अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
11--अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12--अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
13--अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
14--अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
15--अनिल कुमार वर्मा, श्री — हरदोई
16--अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
17--अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
18--अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
19--अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
20--अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
21--अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
22--अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
23--अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
24--अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
25--अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
26--अमरमणि, श्री — महराजगंज
27--अमर सिंह [illegible], श्री — आगरा
28--अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
29--अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
30--अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
31--अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
32--अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
33--अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
34--अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
35--अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
36--अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
37--अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
38--अ[illegible] [illegible]मर, श्रीमती — कानपुर देहात
39--अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्त कबीर नगर
40--अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
41--अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
42--अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
43--अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
44--अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
45--आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
46--आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
47--आर0 एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
48--आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

49--आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
50--आलम बदी, श्री आजमगढ़
51--आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
52--आशा किशोर, श्रीमती रायबरेली
53--आशीष यादव, श्री बदायूं
54--आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
55--इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
56--इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
57--इन्द्रदेव सिंह, डा0 बिजनौर
58--उज्ज्वल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
59--उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
60--उदयराज यादव, श्री उन्नाव
61--उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
62--उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
63--ओइमवेश, स्वामी बिजनौर
64--ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
65--ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
66--ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
67--ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
68--ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
69--ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
70--ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
71--कपिल देव यादव, श्री मऊ
72--कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
73--कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
74--कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
75--कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
76--काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
77--कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
78--कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
79--काशीराम, श्री रामपुर
80--किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
81--किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
82--किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
83--कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
84--कुलदीप सिंह संगर, श्री उन्नाव
85--कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
86--कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
87--केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
88--कैलाश, श्री गाजीपुर
89--कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
90--कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
91--कौकब हमीद खां, श्री बागपत
92--कौशल किशोर, श्री खीरी
93--कौशल किशोर, श्री लखनऊ
94--खालिद अज़ीम उर्फ अशरफ, श्री इलाहाबाद
95--गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
96--गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
97--गंगा भक्त सिंह, श्री हरदोई
98--गया चरन दिनकर, श्री बांदा
99--गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
100--गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
101--घूरा राम, श्री बलिया
102--चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
103--चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
104--चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
105--चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
106--चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
107--छेदी राम, श्री गाजीपुर
108--छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
109--छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

110--जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
111--जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
112--जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
113--जगदीश मिश्र
बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
114--जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
115--जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
116--जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
117--जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
118--जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
119--जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
120--जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
121--जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
122--जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
123--जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
124--जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
125--जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ
पप्पू भैया, श्री गोरखपुर
126--जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
127--ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महाराजगंज
128--तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
129--दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
130--दयाराम, श्री कौशाम्बी
131--दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
132--दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
133--दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
134--दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
135--दीनानाथ भाष्कर, श्री
सन्त रविदासनगर, भदोही
136--दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
137--दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
138--देवकी नन्दन, श्री हाथरस
139--देव नारायण उर्फ
जी0 एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
140--देवेन्द्र नागपाल, श्री ज्योतिबाफूले नगर
141--देवेन्द्र प्रताप, श्री एटा
142--देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
143--द्वारिका प्रसाद, श्री सन्त कबीर नगर
144--धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
145--धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
146--धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
147--धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकर नगर
148--धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
149--धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
150--धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
151--नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
152--नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
153--नरेन्द्र कुमार, श्री गौतमबुद्ध नगर
154--नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
155--नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
156--नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
157--नरेन्द्र शिशौदिया, श्री गाजियाबाद
158--नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
159--नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
160--नारद राय, श्री बलिया
161--परमजीत, श्री मुजफ्फरनगर
162--परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
163--पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
164--पीटर फैन्थम, श्री नाम निर्देशित
165--पीतम राम, श्री पीलीभीत
166--पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
167--पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
168--प्रताप चौधरी, श्री हाथरस
169--प्रदीप जैन "आदित्य", श्री झांसी
170--प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
171--प्रभु दयाल, श्री मेरठ
172--प्रभु नारायण, श्री चन्दौली

173--प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
174--प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
175--प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
176--प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
177--प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
178--प्रेमलता देवी, श्रीमती अलीगढ़
179--प्रेम सिंह, श्री मथुरा
180--फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
181--फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) देवरिया
182--फागू, श्री मऊ
183--बंशीधर राज, श्री खीरी
184--बलराम यादव, श्री आजमगढ़
185--बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
186--बाबूराम, एम0काम, श्री जालौन
187--बाबू लाल, श्री गोण्डा
188--बाबू लाल, चौधरी आगरा
189--बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
190--बिजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
191--बीजू पटनायक, गाजीपुर
192--बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
193--बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
194--बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
195--बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
196--बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
197--ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
198--भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
199--भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
200--भरत सिंह, श्री बलिया
201--भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
202--भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
203--मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
204--मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
205--मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
206--मदन भैया, श्री बागपत
207--मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
208--मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
209--मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
210--मशहूद खां, श्री बलरामपुर
211--मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
212--महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूले नगर
213--महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
214--महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
215--महेन्द्र सिंह, चौधरी अलीगढ़
216--महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
217--महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
218--महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
219--महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
220--माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
221--मान पाल सिंह, श्री एटा
222--माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
223--मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
224--मुकुल बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
225--मुकुल उपाध्याय, श्री अलीगढ़
226--मुलायम सिंह यादव, श्री बदायूं
227--मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
228--मुश्ताक सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
229--मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
230--मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
231--मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
232--मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद

233--मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
234--मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
235--मोहम्मद बशीर, चौधरी आगरा
236--मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
237--मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
238--मोहम्मद शफीर, श्री फतेहपुर
239--यशपाल चौधरी, श्री खीरी
240--यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
241--याकूब, हाजी मेरठ
242--योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
243--योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
244--रंगनाथ मिश्र, श्री संत रविदास नगर, भदोही
245--रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
246--रणवीर राणा, श्री मेरठ
247--रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर कुशीनगर
248--रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
249--रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
250--रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
251--रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
252--राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
253--राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
254--राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
255--राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
256--राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
257--राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
258--राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
259--राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
260--राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
261--राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
262--राजवीर सिंह, श्री बुलन्दशहर
263--राजा राम, श्री प्रतापगढ़
264--राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
265--राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
266--राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
267--राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
268--राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
269--राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
270--राजेश कुमार, श्री खीरी
271--राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
272--राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
273--राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
274--राबिया कलाम, श्रीमती वाराणसी
275--राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
276--राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
277--राम करन आर्य, श्री बस्ती
278--राम किशुन, श्री चन्दौली
279--राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
280--राम कृष्ण, श्री सीतापुर
281--राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
282--राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
283--रामजी शुक्ला, श्री औरैया
284--राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
285--रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
286--रामपाल यादव, श्री सीतापुर
287--राम पाल वर्मा, श्री हरदोई
288--राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
289--राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
290--राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
291--रामबाबू हरित, डा0 आगरा

292--राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
293--राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
294--राम मगन, श्री बाराबंकी
295--राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
296--रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
297--रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
298--राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
299--राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
300--राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
301--राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
302--रामहेत भारती, श्री सीतापुर
303--रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
304--रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
305--रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
306--लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
307--लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
308--लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
309--लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
310--लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
311--लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
312--वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
313--वरीम अहमद, श्री आजमगढ़
314--विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
315--विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
316--विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
317--विजय सिंह, श्री सोनभद्र
318--विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
319--विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
320--विनय शाक्य, श्री औरैया
321--विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
322--विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
323--विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
324--विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
325--विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं
326--विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
327--विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
328--विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
329--विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
330--वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर
331--वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
332--वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
333--वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
334--वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा", श्री ललितपुर
335--वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
336--वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
337--शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
338--शब्बीर, श्री बहराइच
339--शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
340--शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
341--शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
342--शकिर अली, श्री देवरिया
343--शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
344--शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
345--शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
346--शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
347--शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
348--शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
349--शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
350--शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा

351--शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
352--शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
353--शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
354--शिंशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
355--शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
356--श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
357--श्यामदेव राय चौधरी, श्री वाराणसी
358--श्याम नारायन, श्री महराजगंज
359--श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
360--श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
361--श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
362--श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
363--श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
364--श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर
365--संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
366--संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
367--संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
368--सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
369--सत्तो देवी, श्रीमती सहारनपुर
370--सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
371--सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
372--सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी
373--समरपाल सिंह, श्री बागपत
374--सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 मुरादाबाद
375--सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
376--सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
377--सियाराम सागर, डा0 बरेली
378--सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
379--सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
380--सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
381--सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
382--सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
383--सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री गाजियाबाद
384--सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0 बांदा
385--सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
386--सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
387--सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
388--सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
389--सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
390--सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
391--सुल्तान बेग, श्री बरेली
392--सुशील चौधरी, डा0 सहारनपुर
393--सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
394--सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर
395--सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी
396--स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
397--हरि ओम यादव, श्री फिरोजाबाद
398--हरि प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
399--हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
400--हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री वाराणसी
401--हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
402--हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
403--होशियार सिंह, श्री बुलन्दशहर
404--रिक्त गाजीपुर
405--रिक्त गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

श्री राजेश अग्रवाल

प्रमुख सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1--श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा (खीरी),

2--श्री बंशीधर राज, सदस्य, विधान सभा (खीरी),

3--श्री वसीम अहमद, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़),

4--श्री दीनानाथ भास्कर, सदस्य, विधान सभा (भदोही),

5--श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली),

6--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (मेरठ),

7--श्री ओम प्रकाश सिंह, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर),

8--श्री गया चरन दिनकर, सदस्य, विधान सभा (बांदा),

9--श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य, विधान सभा (जौनपुर),

10--श्री श्याम सूरत उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल

श्री टी0 वी0 राजेश्वर

मंत्रि-परिषद्

मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री मुलायम सिंह यादव	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), मनोरंजन कर, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी, (मद्य निषेध को छोड़कर), ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय।
2	मोहम्मद आजम खां	संसदीय कार्य, नगर विकास
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात
4	श्री कोकब हमीद	पर्यटन
5	श्री अहमद हसन	परिवार कल्याण
6	श्री बलराम यादव	पंचायतीराज
7	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
8	श्री नरेश अग्रवाल	परिवहन
9	डा0 अशोक बाजपेयी	कृषि (कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात को छोड़कर) एवं धर्मार्थ कार्य
10	श्री किरन पाल सिंह	बेसिक शिक्षा
11	श्री अम्बिका चौधरी	राजस्व
12	श्री हरि शंकर तिवारी	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा
13	श्री राम गोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार
14	श्री शाकिर अली	लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
15	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास
16	श्री आर0 के0 चौधरी	खेलकूद, युवा कल्याण
17	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामोद्योग
18	श्री ओम प्रकाश सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास
19	श्री वीरेन्द्र सिंह	पशुधन
20	श्री राज किशोर सिंह	उद्यान
21	श्री जगदीश सिंह राना	लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग
22	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षा दल
23	श्री राकेश कुमार वर्मा	कारागार
24	डा0 वकार अहमद शाह	श्रम एवं सेवायोजन
25	श्री मुन्ना सिंह चौहान	सिंचाई
26	श्री राजपाल त्यागी	ग्राम्य विकास
27	श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण
28	श्री ख्वाजा हलीम	औद्योगिक विकास
29	श्री उज्जवल रमण सिंह	पर्यावरण

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	श्री कामेश्वर उपाध्याय	दुग्ध विकास
2	श्री दिनेश सिंह	अर्थ एवं प्रशासनिक सुधार एवं मत्स्य
3	श्री बाबू लाल	खाद्य प्रसंस्करण, राजनैतिक पेंशन, भाषा, मद्य निषेध तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
4	श्री महबूब अली	पिछड़ा वर्ग कल्याण
5	श्री वीरेन्द्र सिंह	इलेक्ट्रानिक्स एवं सार्वजनिक प्रौद्योगिक उद्यम
6	श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला	कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा
7	श्री श्याम नारायण	विकलांग कल्याण
8	श्री हाजी याकूब	अल्पसंख्यक, हज
9	श्री शारदानन्द अंचल	सहकारिता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
10	श्री योगेश प्रताप सिंह	कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान
11	श्री राजेन्द्र सिंह राना	महिला कल्याण एवं संस्कृति
12	श्री गंगा प्रसाद पुष्कर	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

राज्य मंत्री

1	श्री अजीत कुमार राजू	बेसिक शिक्षा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	लोक निर्माण
3	श्री इकबाल महमूद	राजस्व
4	श्री कैलाश	औद्योगिक विकास
5	श्री जयवीर सिंह	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
6	श्री नारद राय	नगर विकास
7	श्री बनवारी सिंह यादव	प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति
8	श्री मानपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा
9	श्री राम आसरे विश्वकर्मा	उच्च शिक्षा
10	श्री विनोद कुमार सिंह	चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा को छोड़कर)
11	श्री सीताराम निषाद	कारागार
12	श्री सूरज सिंह शाक्य	कारागार
13	श्री शाहिद मंजूर	वित्त
14	श्री शैलेन्द्र यादव	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण
15	श्री स्वामी ओइमवेश	गन्ना विकास
16	श्री संजय गर्ग	कर एवं निबन्धन (व्यापार कर)
17	श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	खाद्य एवं रसद
18	श्री जय प्रकाश यादव	कृषि

नेता विरोधी दल

श्री लालजी टण्डन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 16 फरवरी, 2006

(विधान सभा की बैठकसभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य--251

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप , श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	संत कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह) श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशाकिशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटेलाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम सिंह विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र प्रताप , श्री	एटा
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभू दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज) , श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0 एडवोकेट	उन्नाव
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान ठाकुर, श्री	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
याकूब हाजो, श्री	मेरठ
योगेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर (भदोही)
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजाराम, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रताप यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राबिया कलाम, श्रीमती,	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम पाल यादव, श्री	सीतापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
राम बाबू हरित, डा0 — आगरा
राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
राम मगन, श्री — बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
राम सेवक , श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
रियाज अहमद , श्री — पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, डा0 — मेरठ
लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
लाल जी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
वसीम अहमद , श्री — आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
विद्या चोधरी, श्रीमती — आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री — बदायूं
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री — शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदास नगर (भदोही)
शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली
शाकिर अली, श्री — देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
शैलेन्द्र यादव ललई , श्री — जौनपुर
श्याम देव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
श्याम नारायन, श्री — महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्री राम भारती, श्री — मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) , श्री — मेरठ
सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी
समर पाल सिंह, श्री — बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार कुं0 — मुरादाबाद
सलिल विशनोई, श्री — कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सिया राम सागर, डा0	बरेली	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर		

नोट–सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान) एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा के दो सदस्यों एवं एक राज्य मंत्री के गम्भीर आरोप में लिप्त होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, दो दिन, कल से लेकर आज तक बहुत गम्भीर प्रकरण सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, बसपा के एक विधायक और मौजूदा सरकार के एक मंत्री ने जिस प्रकार से लोकतन्त्र को कलंकित किया है, जिस पर मैंने नियम 311 में सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद जी, आपने नियम 311 में सूचना दी है, मैंने उसे पढ़ा है और देख भी लिया है, इसलिए आपको जीरो आवर में अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा, इसलिए मेरा अनुरोध है कि अभी इसे स्थगित कर दें। टण्डन जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले उन्हें सुन लें। माननीय हुकुम सिंह जी और प्रमोद जी आप लोग बैठ जाएं, नेता विरोधी दल खड़े हैं, उन्हें सुन लें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने लिखित सूचना नियम 311 में दी है।

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठ जाएं, शून्य प्रहर में आप अपनी बात कह लीजिएगा, मैं इसे निलम्बित नहीं कर रहा हूँ, यह महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए आप शून्य प्रहर में अपनी बात कह लीजिएगा। प्रमोद जी, आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया आप बैठ जाएं। टण्डन जी आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कहें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मुझे केवल दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आपको जीरो आवर में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, आप इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और वरिष्ठ सदस्य भी हैं, आप सारे नियमों को भलीभांति समझते हैं। मैंने आपसे आग्रह किया है कि आपको जीरो आवर में अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा और आप जो कुछ कहना चाहता हैं, वह बात तो सदन के पटल पर आ गई है। अब आप बैठ जाएं। नेता विरोधी दल को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, इसलिए टण्डन जी अपनी बात कह लें, उसके बाद हम कार्यवाही को आगे बढ़ाएं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात कह लूँगा।

श्री अध्यक्ष--

टण्डन जी खड़े हैं, वह नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें बोलने का पूरा अधिकार है और वह कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए पहले उन्हें सुन लिया जाए और आपको जीरो आवर में बोलने का अवसर मिलेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, यह सारे देश में, सारी दुनिया में इतनी शर्मनाक स्थिति हुई है कि दो-दो राज्य मंत्रियों के.....

(श्री प्रमोद कुमार व श्री जगदम्बिका पाल सहित कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद जी, आपकी पूरी बात सुनी जायेगी। आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आसन ग्रहण करें।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, ये सत्ता के दलाल हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न प्रहर का समय था लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे आये जिनको नियम 311 में दिया गया। कल माननीय टण्डन जी ने नियम 311 में दिया था, उसको भी आज लेना है, आपकी भी नियम 311 में सूचना है। नियम 311 में सूचना देने का मतलब है कि कोई गम्भीर सूचना सदन में अध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष अगर उससे सहमत हैं तो नियमों को निलंबित करके उस पर सुनने का अवसर देते हैं। आप उन्हें डायरेक्ट नहीं कर सकते। नियमों को नहीं निलंबित करते हैं और शून्य प्रहर में अवसर देते हैं तो आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने आग्रह किया कि आप शून्य प्रहर में अपनी बात कहेंगे। मा0 टण्डन जी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को यह अधिकार है कि किसी भी समय सदन में हस्तक्षेप कर सकते है। वह खड़े हुये हैं और मैं नहीं जानता कि वह क्या कहना चाहते हैं। मा0 टण्डन जी की बात आ जाए। प्रमोद जी जो बात आप कहना चाहते हैं। वही बात अगर टण्डन जी कहना चाहते हैं तो मैं उनसे भी आग्रह कर लूँगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, कल से जो दिखाया जा रहा है उससे विधान सभा कलंकित होती है।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

ये सत्ता के दलाल हैं। यह महबूब अली की बात नहीं उठाना चाहते हैं। हमारे दल ने तो विधायक को निलंबित कर दिया। मान्यवर, इस तरह से यह सदन में नहीं बोल पायेंगे।

(डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी व उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों ने भी नारे लगाये।)

(इसी बीच श्री प्रमोद कुमार के साथ कांग्रेस के कई सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा। प्रमोद जी, आसन ग्रहण करिये। टण्डन जी अगर वही बात कहना चाहते हैं जिसको आप कह रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष से भी आग्रह कर लूँगा कि वह भी शून्य प्रहर में अपनी बात कहें।

*श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि बी0 बी0 सी0 और दूसरे चैनल हैं वह दो दिन से यह दिखा रहे हैं कि दो राज्यमंत्री जिनके ऊपर ड्रग स्मगलिंग का और सरकारी वाहन के इस्तेमाल करने का आरोप है, खुलेआम घूम रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वह मंत्री इस सदन में न बैठें।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात आ गयी है। मा0 प्रमोद जी भी यही कहना चाहते हैं। आपने कोई लिखित सूचना नहीं दी है, उन्होंने लिखित सूचना दी है। चूँकि उनकी लिखित सूचना है और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपने अपनी बात कह ली। यह जो कुछ है, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं चाहूँगा कि इस विषय पर सभी नेताओं से विचार-विमर्श हो। शून्य प्रहर में आपनी बात कहेंगे तो कुछ हम अपनी बात भी कहेंगे। बेहतर है कि जो बात आप उठा रहे है, माननीय प्रमोद जी उठा रहे हैं। यह बात हमारी आपकी सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया जाये। इसलिए आग्रह है कि पहले इस विषय पर सभी नेताओं की बैठक हो जाए फिर डिसकस किया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी--

मान्यवर, सदन को स्थगित करके बैठक बुला लें।

श्री हुकुम सिंह--

[x x x]

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी। आपने सारी बात कह ली यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैंने 311 में सूचना दी है। मैंने 311 में जो सूचना दी है उसमें एक मंत्री, एक विधायक और एक और विधायक, तीनों लोग मान्यवर, दोषी हैं। मेरा कहना है कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुला लें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी कहा, माननीय टण्डन जी और माननीय हुकुम सिंह की बात के ऊपर कि यह सदन से संबंधित मामला है और सदन के नेता की आम राय से कोई निर्णय हो सकता है। इस पर टण्डन जी की बात आयी आपकी बात आयी। प्रश्न प्रहर खत्म हो जाए, मैं आप सबको बुलाकर जो सबकी राय बनेगी वैसा होगा।

श्री हुकुम सिंह--

जब तक आप बैठक करें तब तक दागी लोगों को माननीय सदन में बैठने न दें। लोक सभा में भी यह हुआ है। लोक सभा ने इसमें निर्णय लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकुम सिंह जी, लोक सभा में और इसमें फर्क है। लोकसभा में जो कार्यक्रम था वह दूसरा था। वहां पहले नेताओं ने परामर्श किया था। मैं यहां नहीं था, मैं गोरखपुर में था वहां से अभी आया हूँ। अखबारों में मैंने पढ़ा। मेरे पास प्रेस के लोग गये थे। मैंने कहा कि अभी मैंने देखा नहीं है। मैं नेताओं की बैठक करूँगा तब निर्णय लूँगा। प्रश्न प्रहर खत्म हो जाने दीजिये।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यह विधान सभा के सम्मान और गरिमा का प्रश्न है। 17 करोड़ जनता के समक्ष जिस तरह से प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची है और पहले जिस तरह से लोक सभा ने गरिमा की रक्षा की है, इस विधायिका की, विधान सभा की गरिमा की रक्षा के लिये जो विधायक इसमें लिप्त हैं उनको इस सदन की सदस्यता से निकालने की कार्यवाही की जाय तभी हम विधान सभा के सम्मान की रक्षा कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न प्रहर खत्म हो जाय। नेताओं की बैठक बुलाकर बात की जायगी। यह अकेले मेरे वश का नहीं है। पूरा सदन इसमें निर्णय लेगा कि क्या होना चाहिये ?

श्री जगदम्बिका पाल--

इस विधान सभा में बैठे हुये कुछ लोगों ने पूरी विधायिका को कलंकित किया है। पूरी विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुंचायी है, पूरी विधान सभा की अस्मिता और सम्मान के विपरीत आचरण किया है।

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब बात हो गयी। प्रश्न प्रहर खत्म होने दीजिये। नेता सदन आ जायं, नेता सदन बाहर हैं। सबकी बैठक बुलाकर, चूँकि यह मामला पूरे सदन के सदस्यों से संबंधित है, सबकी भावनाओं से संबंधित है इसलिये अकेले स्पीकर, अध्यक्ष का कुछ मतलब नहीं है, इसमें पूरे सदन की और नेताओं की राय से कुछ काम किया जा सकता है। मैंने कुछ देखा नहीं है, मैं गोरखपुर में था। मैंने अभी पढ़ा है। थोड़ी देर बाद नेता सदन आ जांय, अभी प्रश्न प्रहर के बाद मैं नेताओं की बैठक बुलाता हूँ। जैसा निर्णय आप लोग लेंगे उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। आप लोग बैठ जांय।

श्री प्रमोद कुमार--

आप एक चीज जो है, बता दें। कांग्रेस ने 311 में सूचना दी है किसी अन्य दल की लिखित सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

नहीं दी है।

श्री प्रमोद कुमार--

मेरा कहना है कि इनमें कोई सूचना देने लायक नहीं है वह कैसे देंगे। इनका एक सदस्य दागी है। उनका एक सदस्य 5 हजार रुपये लेते हुये पकड़ा गया है, इनके मंत्री पकड़े गये हैं, यह तो कोई दे नहीं सकते। हमी एक ऐसे हैं जिन्हें बोलने का अधिकार है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रमोद जी, अब बैठ जायं कृपया प्रश्न प्रहर चलने दें।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

आपने व्यवस्था दे दी है कि इस पर नेताओं की बैठक बुला लेंगे। तब तक एक अन्तरिम व्यवस्था दे दें कि सम्बन्धित सदस्य इस सदन में नहीं बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष--

नेताओं की बैठक हो लेने दीजिए। नेताओं का भी मत आ जाने दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

केवल एक अन्तरिम व्यवस्था दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

इस समय संसदीय कार्यमंत्री जी नही हैं उनकी सूचना आई है कि वह ट्रेन में हैं वह थोड़ी देर में आयेंगे। नेता सदन भी नहीं है हम इस सम्बन्ध में बिना दलीय नेताओं से बातचीत किए कोई निर्णय लेना नही चाहते हैं। संसदीय कार्यमंत्री जी आ रहे हैं तब तक प्रश्न प्रहर चलने दें।

डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी--

इतना कहने में क्या जा रहा है कि जिनका नाम आया है वह तब तक सदन में नहीं बैठेंगे। इतनी अन्तरिम व्यवस्था दे दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष महोदय, इस विषय को जिन्होंने उठाया है जिन्होंने इस पर नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी है उनको पहले सुना जाना चाहिए। इस मामले में इन लोगों की नीयत साफ नहीं थी इसलिए इन्होंने लिखित सूचना नहीं दी है।

श्री जगदम्बिका पाल--

एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। खुले आम इनकी पार्टी का विधायक रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा है कि प्रश्न प्रहर के बाद दलीय नेताओं की बैठक बुला लेंगे।

(व्यवधान जारी)

क्योंकि इस प्रश्न पर कांग्रेस के सदस्य बहुत उत्तेजित हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी बहुत उत्तेजित हैं। अत: मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ और दलीय नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वह बैठक के लिए कक्ष सं0 15 में चलें।

[तत्पश्चात् 11 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 11 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुन: सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नोएडा भूमि घोटाले में संलिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*1--डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नोएडा के अरबों रुपये के भूमि घोटाले की जांच प्रचलित है ? यदि हां, तो जांच में अब तक क्या तथ्य सामने आये हैं ? उसके लिए अधिकारियां एवं भू-माफियाओं के सम्बन्ध किस हद तक जिम्मेदार हैं ? क्या इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)--

जी हां। ताज एक्सप्रेस वे प्राधिकरण द्वारा जे0 पी0 इण्डस्ट्रीज को दिये गये कार्य में भूमि की जांच का प्रकरण भी सम्मिलित था । जिसके लिये श्री श्रीरंग मिश्र, अवकाश प्राप्त मा0 न्यायाधीश को जांच हेतु एक सदस्यीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। उक्त जांच आयोग की जांच आख्या को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 10-5-2004 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

तदोपरान्त ताज एक्सप्रेस वे परियोजना की जांच हेतु श्री विजय शंकर माथुर की अध्यक्षता में श्री एल0 एस0 पी0 सिंह अवकाश प्राप्त न्यायाधीश सहित दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन अधिसूचना संख्या 1889/77-4-2004-10 एन0/2004, दिनांक 22-6-2004 द्वारा किया गया जिसकी कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय के दिनांक 15-7-2004 के आदेशानुसार स्थगित है।

रेल गाड़ियों में आपराधिक घटनाओं को रोकने के संबंध में योजना

*2--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सीमान्तर्गत गुजरने वाली रेल गाड़ियों में लूट-पाट, डकैती तथा अन्य प्रकार की आपराधिक घटनायें घटित होने से रेल यात्रियों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने हेतु कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

यह कहना सत्य नहीं है कि प्रदेश के सीमान्तर्गत गुजरने वाली रेल गाड़ियों में लूट-पाट, डकैती व अन्य प्रकार की आपराधिक घटनाएं घटित होने से रेल यात्रियों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। वर्ष 2005 में विगत वर्ष की अपेक्षा अपराधों में कमी आयी है जिसका विवरण निम्नवत् है :--

अपराध शीर्षक	2005	2004	2003
डकैती/लूट	23	24	28
हत्या	06	05	07
जहर खुरानी	22	48	58
चोरी	478	840	1174

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:--उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

चलती ट्रेनों में यात्रियों एवं उनके सामान की सुरक्षा हेतु राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही कार्यवाही के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है--

(1) राजकीय रेलवे पुलिस उ0 प्र0 के अधिक्षेत्र में अपराधों से प्रभावित ट्रेनों में डीक्वाय स्कीम लागू की गई है, जिसमें सादे वस्त्रों में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर ट्रेनों के अन्दर गुप्त तरीके से अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।

(2) ट्रेन एस्कोर्ट को और अधिक सक्रिय किया गया है और ऐसी ट्रेनें जिनमें घटनायें हुयी है उन्हें चिन्हित कर उनमें विशेष पुलिस बल की व्यवस्था की गयी है।

(3) पूरे उ0 प्र0 की जी0 आर0 पी0 को सिंगल फ्रिक्वेन्सी पर कर दिया गया है, जिससे ट्रेन में चलने वाले पुलिस एस्कोर्ट रास्ते में पड़ने वाले किसी भी थाने/पुलिस चौकी एवं जिला कंट्रोल रूप से संपर्क कर सकते हैं और समय पर सूचना का आदान-प्रदान करके अपराधों की रोकथाम में सहायता मिलती है। राजकीय रेलवे पुलिस के समस्त थाना चौकियों में वायरलेस सेट एवं हैण्डसेट दे दिये गये हैं।

(4) लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सी0 सी0 टी0 वी0 लगा दिया गया है, जिसके कारण अपराधों के रोकथाम में सहायता मिल रही है।

(5) पूर्व प्रकाश में आये अपराधियों की फोटो एलबम तैयार कर जी0 आर0 पी0 मुख्यालय, परिक्षेत्र अनुभाग व थाना एवं चौकियों पर रखा गया है, जिसे पीड़ित व्यक्ति को दिखाया जाता है और पहचानने पर विधिक कार्यवाही की जाती है।

(6) अपराधों की रोक थाम हेतु जी0 आर0 पी0/आर0 पी0 एफ0/रेलवे प्रशासन एवं जनपदीय पुलिस के मध्य परस्पर सहयोग एवं समन्वय स्थापित रखते हुए स्टेशन परिसर एवं ट्रेनों में सघन चेकिंग करायी जाती है।

(7) प्रभावित रेल खण्डों एवं ट्रेनों पर अपराधियों से यात्रियों को सतर्क करने हेतु पोस्टर/स्टीकर चस्पा कराये गये हैं।

(8) रेलवे स्टेशन व ट्रेनों के अन्दर तथा सरकुलेटिंग एरिया में लाउड हैलर/ध्वनि प्रसारण यन्त्रों द्वारा यात्रियों को जहरखुरानी के अपराधों से बचने के लिए निरन्तर सतर्क रखने हेतु प्रसारण कराया जा रहा है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

तारांकित प्रश्न

*1--श्री जगदम्बिका पाल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नियमित किये जाने की मांग

*2--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सहकारी चीनी मिलों में 15-20 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नियमित करने पर विचार करेगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

सहकारी चीनी मिलों में समय-समय पर तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से आवश्यकता की अवधि के लिए कार्य पर लिया जाता है, जिसके दृष्टिगत इन्हें पूर्णकालिक रूप से नियमित नियुक्त किये जाने का औचित्य एवं आधार नहीं है।

वर्तमान पेराई सत्र में निजी चीनी मिलों को कृषकों द्वारा गन्ना विक्रय किये जाने पर प्रोत्साहन/अनुदान के रूप में धनराशि दिये जाने की मांग

*3--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्तमान पेराई सत्र में निजी चीनी मिलों को कृषकों द्वारा अपना गन्ना विक्रय किये जाने पर प्रति कुन्तल प्रोत्साहन/अनुदान के रूप में कोई धनराशि दी जा रही है ? क्या उक्त प्रोत्साहन/अनुदान राशि सहकारी चीनी मिलों तथा चीनी निगम द्वारा संचालित चीनी मिलों द्वारा भी दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

सहकारी तथा निगम की चीनी मिलों द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य की दर पर ही गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण परियोजनाओं हेतु आगणन

1--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2004 के पहले सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न 84 के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ के तीन सड़क निर्माण परियोजनाओं के आगणन मण्डलायुक्त, इलाहाबाद से मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आगणन प्राप्त हो गये और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित माननीय सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 20-12-03 के बिन्दु संख्या 1 में कुल 4 सेतुओं एवं पहुँच मार्ग का विवरण है, बिन्दु संख्या 2 एक नहर की पटरी को पक्का करने से सम्बन्धित है, तथा बिन्दु संख्या 3 पेयजल परियोजना से सम्बन्धित है, जिनके सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है--

1--(क) अशोकपुर असुढ़ी के मध्य नाले पर पुल का निर्माण कार्य की स्वीकृति वर्ष 1999-2000 में शासनादेश संख्या 3863 ई0/23-लोनि-11-48 ई0/99, दिनांक 25-09-99 द्वारा की गई है। वर्तमान में सेतु का कार्य पूर्ण तथा पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) ढिढुई भाट पट्टी के मध्य नाले पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग, मानापुर ग्राम के पास पीली नाला सेतु का निर्माण तथा मोछहा नाले के मध्य पहुँच मार्ग एवं सेतु के निर्माण हेतु पूर्वान्चल विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार नि:शुल्क भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण अब तक आगणन उपलब्ध नहीं कराये गये है।

2--ग्राम बीबीपुर ब्लाक पट्टी से सलाहपुर जौनपुर की सीमा तक नहर की पटरी को पक्का कराने के सम्बन्ध में इस मार्ग के संरखण के अन्तर्गत बीबीपुर-बंधवा-भरोखन-सलाहपुर-थनेपुर-गोपापुर-नेवादा-रूर मार्ग नाम से शासनादेश संख्या यू0 ओ0-374/23-11-05, दिनांक 16-12-05 द्वारा स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3--पेयजल योजना कन्धई मधुपुर सैफाबाद मेंहदिया नरहरपुर रामगंज के कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है, निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र के चमरौरा नाले पर पुल तथा मार्ग निर्माण के संबंध में आदेश

2--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में रामगढ़वा-नरहरपुर-औरंगाबाद/सतेश्वर नाथ मंदिर के मध्य चमरोरा नाले पर पुल तथा मार्ग निर्माण हेतु मा0 राज्य मंत्री, लोक निर्माण का आदेश प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को माह अगस्त/सितम्बर, 04 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां, अक्टूबर, 2004 में प्राप्त हुआ है।

सेतु निगम द्वारा गठित आगणन का परीक्षण प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया तथा रु0 216.13 लाख का आगणन (सेतु पहुँच मार्ग तथा अतिरिक्त पहुँच मार्ग सहित) शासन को दिनांक 31-01-06 को उपलब्ध कराया गया। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

तहसील मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले जनता दिवस की सूचना जन प्रतिनिधियों को दिये जाने की मांग

3--डा0 विनोद तिवारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले जनता दिवस में क्या जनप्रतिनिधियों को बुलाये जाने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

जी नहीं।

जी नहीं। व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जा रही है।

जनता दिवस मुख्य रूप से जनता के शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। जन प्रतिनिधि भी जनता की शिकायत के निस्तारण के संदर्भ में जनता दिवस में भाग ले सकते हैं।

प्रदेश में लेखपालों को आलात पैमाइश (पैमाइश उपकरण) उपलब्ध कराये जाने की मांग

4--श्री बाबू लाल कुशवाहा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लेखपालों को आलात पैमाइश (पैमाइश उपकरण) उपलब्ध कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त उपकरण कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

भूलेख नियमावली के प्रस्तर-333 के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो राज्य सरकार के पैमाइश के सभी उपकरणों की, जो तहसील में रखी जाती है या सुपरवाइजर कानूनगो या लेखपाल के पास रहते हैं, एक संचय पुस्तक (स्टाफ बुक) रखेगा। इससे विदित होता है कि पैमाइश के सभी उपकरण तहसील में रखे जाते हैं, यह उपकरण लेखपालों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रदेश के सभी लेखपालों के पास पैमाइश उपकरण उपलब्ध नहीं है। जिन्हें शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शमशाद अली, अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास समिति, बहेड़ी, बरेली के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

5--श्री सुल्तान बेग--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्र0सं0 सी0 10134825 प0 सं0/सी0 एम0/वि0 को0/एम0-134825/2005, दिनांक 29-11-2005 सै0 शमशाद अली, अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास समिति, बहेड़ी, जनपद बरेली की जांच के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रकरण की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? जांच के उपरान्त कोई ठोस कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

प्रकरण की जांच संयुक्त गन्ना आयुक्त, बरेली से करायी गयी। जांच में श्री सै0 शमशाद अली, पूर्व अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास समिति, बहेड़ी, बरेली, वर्ष 2005-06 तक रु0 1,24,718.72 के समिति के बकायेदार पाये गये, जिसमें से रु0 2399.25 का ऋण श्री अली द्वारा अदा किया गया है तथा अवशेष ऋण रु0 1,22,319.47 की वसूली की जा रही है।

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला के मो0 करीम नगर (राजा हाता) में मानकों के विपरीत खोली गयी शराब की दुकान को हटाने की मांग

6--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आबकारी विभाग के द्वारा धार्मिक एवं स्कूल, अस्पताल से कितनी दूरी पर शराब की दुकान खोलने की नीति निर्धारित की गयी है ? क्या यह सही है कि मानकों के विपरीत स्कूल एवं मस्जिद तथा घनी अल्पसंख्यक आबादी में जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला के मो0 करीम नगर (राजा हाता) में शराब की दुकान संचालित है। यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त शराब दुकान को बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 प्रख्यापित है, जिसके नियम 5 के उप नियम 4 के अन्तर्गत मन्दिर, मस्जिद, स्कूल तथा अस्पताल के बिल्कुल निकट नई मदिरा की दुकान खोले जाने पर निषेध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि दुकान नियमानुसार मानकों के अन्तर्गत संचालित है।

प्रदेश में कृषि विविधीकरण की द्वितीय चरण की योजना में कानपुर देहात की सिकन्दरा एवं पुखराया तहसील को सम्मिलित किये जाने की मांग

7--श्री महेश त्रिवेदी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में कृषि विविधीकरण योजना (यू0 पी0 डास्प) द्वितीय चरण की योजना में कानपुर देहात की सिकन्दरा एवं पुखराया तहसील को सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प) के द्वितीय चरण की तैयारी का कार्य चल रहा है। परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन (एप्रेजल) वर्तमान में विश्व बैंक के विचाराधीन है। अत: परियोजना की रूप-रेखा तथा परियोजना क्षेत्र को अन्तिम रूप दिया जाना शेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के खापर में कच्ची शराब बिक्री के अवैध धन्धे को करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

8--श्री सुल्तान बेग--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के खापर में कच्ची शराब बिक्री का धन्धा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध धन्धा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

तहसील मीरगंज, जनपद बरेली, जनपदीय मुख्यालय से 38 कि0 मी0 दूर रामगंगा एवं छोटी निहाल नदियों के मध्य खादर में दुर्गम भौगोलिक स्थिति के मध्य है। खादर के गांवों में मुख्यत: अत्यन्त सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में कच्ची शराब की बिक्री की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

जी हां, प्रदेश में अवैध/कच्ची शराब बनाने वालों के विरुद्ध समय-समय पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाते हैं। जनपद बरेली के खादर क्षेत्र में क्षेत्रीय मुखबिरों एवं विभागीय संसाधनों से सूचनायें प्राप्त कर वर्ष 2005 में अप्रैल से दिसम्बर, 2005 तक दबिश देकर 43 अभियोग पकड़े गये, जिसमें 456.500 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, 1550 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया तथा 9 व्यक्तियों को जेल भेजा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली थाना दियोरनियां, ग्राम शरीफ नगर में बालक राम द्वारा मन्दिर और पी0 डब्लू0 डी0 की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

9--श्री सुल्तान बेग--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली, थाना दियोरनियां, ग्राम शरीफ नगर में बालक राम द्वारा मन्दिर और पी0 डब्लू0 डी0 की भूमि पर जबरन अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कब्जा हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

मन्दिर की भूमि का स्वामित्व ग्राम समाज का होने के कारण अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जानी है। लोक निर्माण विभाग की भूमि पर मात्र आंशिक भाग में चबूतरा निर्मित है जिसे हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग में कृषि रक्षा अधिकारियों को रिक्त पदों पर विनियमित किये जाने की मांग

10- श्री लल्लू सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कृषि रक्षा अधिकारियों के कुल कितने पद सृजित हैं तथा इसके सापेक्ष कितने कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन अधिकारियों को रिक्त पदों पर विनियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

कृषि विभाग में कृषि रक्षा अधिकारी के कुल 70 पद सृजित हैं। उनके सापेक्ष 33 अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें 19 नियमित रूप से एवं 14 पद के सापेक्ष तैनात हैं। कुल 37 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद को भेजा गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा कतिपय सूचनायें मांगी गयी हैं, जिन्हें भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना उप आयुक्त द्वारा बिजनौर मिल के बाकरपुर क्रय केन्द्र का निरीक्षण के मामले में घटतौली करने वाले लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

11--कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 28-11-05 को गन्ना उप आयुक्त द्वारा बिजनौर मिल के बाखरपुर क्रय केन्द्र का निरीक्षण किया गया था जिसमें 2.5 कु0 या 14.7% की घटतौली का मामला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो घटतौली करने वाले लिपिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कृषकों की शिकायत पर उप गन्ना आयुक्त, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 26-11-2005 को बिजनौर जनपद के क्रय केन्द्र बाकरपुर का निरीक्षण किया गया। उक्त क्रय केन्द्र पर तैनात तौल लिपिक श्री विरेन्द्र कुमार की अनुपस्थिति के कारण निरीक्षण रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकी। निरीक्षणकर्ता द्वारा सम्बन्धित तौल लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की बिजनौर इकाई को निर्देश दिये गये। चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा दोषी तौल लिपिक को निलम्बित कर दिया गया है।

ग्राम रामापुर, तहसील करनैलगंज, जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायत की भूमि को आवंटित किये जाने का कथित प्रकरण

12--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम पंचायत की भूमि किसी संस्था को पट्टे पर आवंटित किये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो जिलाधिकारी, गोण्डा के आदेश दिनांक 3-10-2005 द्वारा ग्राम रामापुर, तहसील करनैलगंज, जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायत की भूमि गाटा सं0 1258 दो हेक्टेयर एक निजी संस्था को आवंटित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्नगत भूमि जिलाधिकारी, गोण्डा के आदेश दिनांक 3-10-2005 से किसी निजी संस्था को आवंटित नहीं की गयी है, बल्कि उप जिलाधिकारी, करनैलगंज के आदेश दिनांक 18-01-2005 से आदर्श बालिका शिक्षा एवं समाजोत्थान समिति, ग्राम चौरी के पक्ष में पट्टे पर दी गयी थी जिसे उप जिलाधिकारी, करनैलगंज ने अपने आदेश दिनांक 20-9-2005 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी में जिलाधिकारी, ने अपने आदेश दिनांक 3-10-2005 द्वारा उप जिलाधिकारी, करनैलगंज के आदेश दिनांक 20-9-2005 को निरस्त करते हुए पत्रावली उप जिलाधिकारी, करनैलगंज के न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित कर दी है। प्रथम दृष्टया पट्टा अनियमित होने के कारण पट्टा निरस्त करने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी, गोण्डा को दे दिये गये हैं।

प्रदेश में आबकारी राजस्व की जनपदवार वसूली संबंधी पत्र

13--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी के बकाया राजस्व की वसूली जनपदवार किये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 06-9-2004 संलग्नकों सहित (कम्प्यूटर संख्या सी0 एम0 वि0 को0 संख्या 1/109252/04, दिनांक 08-9-2005) सचिव, आबकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, परन्तु उक्त पत्र की कम्प्यूटर सं0 सी0 एम0 वि0 को0 संख्या 1/109252/04 का दिनांक 08-09-2005 के बजाय दिनांक 08-09-2004 है।

संदर्भित पत्र में किये गये अनुरोध को सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया और सम्बन्धित अधिकारी को सेवा से पदच्युत (डिसमिस) किये जाने का दण्ड पारित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में मनोरमा नदी पर पंडूल घाट के पुल का अधूरा निर्माण कार्य पूरा कराये जाने की मांग

14--श्री राम करन आर्य--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बस्ती जनपद में मनोरमा नदी पर पंडूल घाट का पुल का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

कार्य की लागत में बढ़ोत्तरी के कारण पुनरीक्षित आगणन गठित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा सेतु निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु समय सीमा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 93 पर हाथरस सिटी में रेलवे लाइन क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने का प्रस्ताव

15--श्री देवकी नन्दन कोरी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 93 पर हाथरस सिटी में रेलवे लाइन क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने का प्रस्ताव केन्द्रीय रेल मंत्रालय को भेजने पर विचार करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में बांसगांव-कुसमौल पिच मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

16--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में बांसगांव-कुसमौल पिच मार्ग के निर्माण हेतु मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 19-5-2005 को बरही इण्टर कालेज, बरही, गोरखपुर में घोषणा की गयी थी ? क्या उक्त मार्ग के निर्माण के लिये वित्तीय स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती एवं अम्बेडकर नगर के बीच एल0 डी0 रोड पर टाण्डा पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

17--श्री राम करन आर्य--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0 डी0 रोड पर अम्बेडकर नगर एवं बस्ती जनपद के बीच टाण्डा पुल की स्वीकृति जारी हो गई है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

सेतु का निर्माण प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता राशि दिये जाने हेतु आवेदन-पत्र

18--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" --

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता राशि दिये जाने हेतु कितने आवेदन-पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में

30-11-05 तक लम्बित थे ? लम्बित आवेदन-पत्रों में कितने लाभार्थियों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया है और किन-किन व्यक्तियों को अभी तक उक्त योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ? क्या श्रीमती कुसुमा देवी पत्नी भगवान शरण (पुत्री पूरन), निवासी भनपुरा कटरा, जिला शाहजहांपुर को किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

दिनांक 30-11-05 तक कुल 54 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये जो संबंधित बीमा कम्पनी को निस्तारण हेतु भेज दिये गये।

लम्बित आवेदन पत्रों में से कुल 17 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है, और 17 व्यक्तियों के दावे लम्बित हैं एवं 20 व्यक्तियों के दावे निरस्त कर दिये गये हैं।

प्रकरण बीमा कम्पनी के पास निस्तारण हेतु लम्बित है।

उपरोक्तानुसार।

जिला संत कबीर नगर में ग्राम जोगाराजा एवं ग्राम कलुआपुर के मध्य कठिनईया नदी पर अर्द्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

19--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला संत कबीर नगर में ग्राम जोगाराजा एवं ग्राम कलुआपुर के मध्य कठिनईया नदी पर बनने वाला पुल अर्द्धनिर्मित है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

20--श्री परमजीत--

[3सरे सोम0 के अता0 प्र0 स0 146 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विश्व बैंक पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना में प्रथम चरण में छूटे गांवों को द्वितीय चरण में शामिल करने की मांग

21--श्री परमजीत--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विश्व बैंक पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना द्वितीय चरण हेतु कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है ? क्या परियोजना के प्रथम चरण में छूटे गांवों को द्वितीय चरण में शामिल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक वाजपेयी--

कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प) के द्वितीय चरण की तैयारी का कार्य चल रहा है। परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन (एप्रेजल) वर्तमान में विश्व बैंक के विचाराधीन है। अत: परियोजना के सकल धनराशि की स्थिति निर्धारित नहीं हुई है।

परियोजना की रूप-रेखा तथा परियोजना क्षेत्र को भी अन्तिम रूप दिया जाना शेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

अपर आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल द्वारा आयुक्त को प्रस्तुत की गयी जांच आख्या पर कृत कार्यवाही

22--श्री राम करन आर्य--

विधान सभा के तृतीय सत्र 2005 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 62 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल के आदेश दिनांक 31-8-2004 के अनुपालन में अपर आयुक्त, आजमगढ़ की जांच आख्या 5-11-2004 किस अधिकारी को प्रस्तुत की गयी है और उसके बिन्दु क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

अपर आयुक्त, आजमगढ़ की जांच आख्या 5-11-2004 आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को प्रस्तुत की गई ?

जांच में श्री भीम यादव की शिकायत गलत पायी गयी, शिकायतकर्ता द्वारा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो से मिली भगत करके दूसरे शिकायतकर्ता सत्य नारायण व शारदा पुत्रगण बिन्देश्वरी आदि की भूमि पर गलत इन्द्राज मालिकान रजिस्टर 1410 फसली में दर्ज करा लिया गया था।

जांचोपरान्त गलत इन्द्राज को निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लुम्बिनी से बस्ती के राज्य मार्ग सं0 5 के निर्माण में की अनियमितता की जांच हेतु शिकायती-पत्र

23--श्री जय प्रताप सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मार्ग सं0 5 लुम्बिनी से बस्ती मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दि0 8-6-2005 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

उक्त मार्ग के निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करायी गयी। निर्माण कार्य में अनियमितता पाये जाने पर उत्तरदायी अभियन्ताओं को निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद गांव किशोरा, परगना केवई, तहसील हंडिया में चकमार्ग पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग

24--श्री शहाजिल इस्लाम--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गांव किशोरा, परगना केवई, तहसील हंडिया, जनपद इलाहाबाद में चकमार्ग (खाता संख्या 385, रकबा 0.026) पर गांव के ही व्यक्तियों ने अवैध रूप से कब्जा कर उसे अपने खाते में मिला लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

दिनांक 26-01-2006 को ग्राम किशौरा, परगना केवाई, तहसील हंडिया, जनपद इलाहाबाद स्थित चकमार्ग गाटा संख्या 385 रकबा 0.0260 की पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटवा दिया गया है। मौके पर चकमार्ग रिक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में जी0 टी0 रोड से नानक-सासनी मार्ग तथा जलेसर मार्ग पर सासनी से कैलोरा चौराहा तक क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत कराये जाने की मांग

25--श्री देवकी नन्दन--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद अलीगढ़ में जी0 टी0 रोड से नानऊ-सासनी मार्ग तथा जलेसर मार्ग पर सासनी से कैलोरा चौराहा तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

26--श्री रामहेत भारती--

[उसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी में लोक निर्माण विभाग को राष्ट्रीय मार्ग तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्य हेतु आवंटित धनराशि

27--श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' --

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वर्ष 2004-05 में लोक निर्माण विभाग (पी0 डब्लू0 डी0) को कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा उससे क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या उक्त कार्यों के लिये निविदायें समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वर्ष 2004-05 में जनपद झांसी को राज्य सरकार से रु0 831.76 लाख भारत सरकार से राष्ट्रीय मार्ग हेतु रु0 1103.25 लाख तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य हेतु रु0 590.38 लाख कुल रु0 2525.39 लाख की धनराशि आवंटित की गई तथा इससे निम्नलिखित कार्य कराये गये--

राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि से--

1--मिट्टी का कार्य	5.33 कि0 मी0
2--सीलिंग कोट	8.36 कि0 मी0
3--इण्टर कोट	22.45 कि0 मी0
4--टाप कोट	25.82 कि0 मी0
5--पी-1	22.52 कि0 मी0
6--पी-2 नवीनीकरण	126.34 कि0 मी0

भारत सरकार से राष्ट्रीय मार्ग हेतु प्राप्त धनराशि से--

1--बी0 एम0	21.00 कि0 मि0
2--एस0 डी0 बी0 सी0	43.80 कि0 मी0
3--पी0 सी0	9.00 कि0 मी0
4--एस0 डी0	3.00 कि0 मी0
5--राष्ट्रीय मार्ग पर लघु सेतु	2 नं0

भारत सरकार से पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 के कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से--

1--मिट्टी का कार्य	39.98 कि0 मी0
2--ब्लैंकिट कोट	33.88 कि0 मी0
3--जी0 एस0 बी0	39.48 कि0 मी0
4--जी0-2	27.18 कि0 मी0
5--जी0-3	19.88 कि0 मी0
6--लेपन	12.03 कि0 मी0

नियमानुसार रु0 2.00 लाख से अधिक धनराशि के कार्यों की निविदायें समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत कुल आवंटित धनराशि द्वारा पूर्ण किये गये कार्य एवं शेष कार्यों की जानकारी की मांग

28--श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से वर्ष 2004-05 में कुल कितना धन जिले को आवंटित किया गया ? आवंटित धन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान करके किस कार्यदायी संस्था को कुल कितना धन दिया गया एवं इनमें से कुल कितने कार्य अब तक पूर्ण कर लिये गये तथा कितने शेष हैं ? शेष कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जनपद झांसी में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में कुल रु0 726.275 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्यदायी संस्था को दी गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है--

कार्यदायी संस्था	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जनपद द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि
1--जल निगम	01	43.315 लाख
2--सेतु निगम	01	500.00 लाख
3--ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	08	87.45 लाख
4--राजकीय निर्माण निगम	01	75.00 लाख

इस धनराशि से एक कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 9 कार्य अभी शेष है जो प्रगति पर हैं एवं एक कार्य प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत होने के कारण बुन्देलखण्ड विकास निधि से नहीं कराया जा रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

वर्ष 2002 में चकबन्दी लेखपाल पद हेतु आरक्षित श्रेणी के लिये चयन

29--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2002 में चकबन्दी लेखपाल पद हेतु आरक्षित श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों की चकबन्दी लेखपाल के पदों पर नियुक्तियां कर ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां। आरक्षित श्रेणी के लिए उक्त चयन वर्ष 2003 में हुआ था।

प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जनपदों/नियुक्ति प्राधिकारी को दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

30--श्री संजीव दरियाबादी--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 कृषि समूह "क" सेवा की पदोन्नति में आरक्षण हेतु रोस्टर प्रणाली लागू किया जाना

31--श्रीमती राजरानी रावत--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण शाखा से उ0 प्र0 कृषि समूह "क" सेवा की पदोन्नति में आरक्षण हेतु रोस्टर प्रणाली लागू की गयी ? यदि नहीं, तो क्या इस हेतु कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त प्रणाली कब तक लागू कर दी जायेगी ?

डा0 अशोक वाजपेयी--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्रामीण मार्गों की मरम्मत हेतु लोक निर्माण खण्ड बांसी को आवंटित धन

32--श्री जय प्रताप सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में जनपद सिद्धार्थनगर में ग्रामीण मार्गों की मरम्मत के लिये लोक निर्माण खण्ड बांसी को कितना धन आवंटित किया गया है ? उक्त धन किन-किन मार्गों की मरम्मत में खर्च किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 2003-04 में रु0 105.51 लाख एवं वर्ष 2004-05 में रु0 71.87 लाख आवंटित हुआ है।

† संलग्नक सूची "अ"

† (देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 83-86 पर।)

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग के अन्तर्गत अभियन्त्रण शाखा से उ0 प्र0 कृषि समूह "क" सेवा में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति

33--श्रीमती राजरानी रावत--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के अन्तर्गत अभियन्त्रण शाखा में उ0 प्र0 कृषि समूह "क" सेवा में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित हैं ? यदि हां, तो उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विकास खण्ड पलिया में पलिया मीरा मार्ग पर शारदा नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की मांग

34--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड पलिया में पलिया मीरा मार्ग पर शारदा नदी पर पुल का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर-खीरी में तहसील-निघासन में खैरीगढ़ से सिंगाही मार्ग पर सुहेली नदी पर अर्द्ध निर्मित पुल का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने की मांग

35--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर-खीरी के तहसील निघासन में खैरीगढ़ से सिंगाही मार्ग पर सुहेली नदी पर पुल का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद खीरी के तहसील निघांसन में तिकोनिया ग्राम जाने वाले मार्ग पर पढुआ से लखाही मार्ग पर तथा मोहबतिया बेहड़ गांव तक जाने वाले मार्ग पर रपटा पुलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की मांग

36--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर-खीरी के तहसील-निघांसन में तिकोनिया ग्राम जाने वाले मार्ग पर पढुआ से लखाही मार्ग पर तथा मोहबतिया बेहड़ गांव तक जाने वाले मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त रपटा पुलों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पडुआ-लखाही मार्ग पर पड़ने वाले नाले पर रपटा बनाये जाने हेतु रु0 33.75 लाख की आवश्यकता है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। मोहबतिया-बेहड़ गांव तक जाने के लिए किसी पुल के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

जनपद खीरी की तहसील निघांसन में निघासन-बेलहा मार्ग पर रपटा पुल बनवाये जाने की मांग

37--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी की तहसील निघासन में निघांसन-बेलहा मार्ग पर रपटा पुल निर्माण हेतु कोई योजना शासन द्वारा बनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग पर रपटा निर्माण का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा नियोजन विभाग को भेजा गया है। आदर्श जनपद योजना में सीमित धनराशि को देखते हुए सन्दर्भगत रपटे के निर्माण की स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया में रतरुर मार्ग पर कटस्टोन लगाने हेतु धन अवमुक्त किये जाने की मांग

38--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद बलिया में अड़वा मोड़ से रतरुर तक मार्ग की विशेष मरम्मत एवं रतरुर में कटस्टोन लगाने हेतु वर्ष 2003-04 में कितना धन अवमुक्त किया गया था ? क्या उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत मार्ग हेतु वर्ष 2003-04 में रु0 30.67 लाख की धनराशि अवमुक्त किया गया था।

जी नहीं।

अवमुक्त धनराशि को तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 बलिया द्वारा अन्य कार्यों पर व्यय करने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

जनपद शाहजहांपुर से बन्द पड़े गन्ना क्रय केन्द्रों को चालू किये जाने की मांग

39--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में गन्ना क्रय केन्द्रों की संख्या कितनी है ? उनमें से कितने गन्ना क्रय केन्द्र बन्द पड़े हुए है ? बन्द पड़े केन्द्रों को कब तक चलवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद शाहजहांपुर में कुल गन्ना क्रय केन्द्रों की संख्या 83 है।

जनपद शाहजहांपुर के समस्त क्रय केन्द्रों का संचालन सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा किया जा रहा है। कोई क्रय केन्द्र बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के कोरांव तहसील के गोहानी, अयोध्या आदि कतिपय तालाबों पर अवैध कब्जेदारों को हटाये जाने की मांग

40--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में कोरांव तहसील के गोहानी, अयोध्या, बरहुला खुर्द, मड़फा, रामपुर कलां, छड़गड़ा पटेहरी, गजाधरपुर, बेदवार, बंशीपुर आदि गांवों के तालाबों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस प्रकार के अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उच्चतम न्यायालय ने भी हिन्दुस्तान तिवारी बनाम कमला देवी के वाद में 25 जुलाई, 01 को आदेशित किया था कि तालाबों पर से अवैध अतिक्रमण व कब्जे तत्काल हटाये जायें ? यदि हां, तो इस आदेश पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

केवल ग्राम मड़फा कला स्थित तालाब गाटा संख्या 987 रकबा 2.660 हे0 एवं गाटा सं0 988 रकबा 3.938 कुल क्षेत्रफल 6.598 हे0 पर अनारकली पत्नी शीतला प्रसाद व कृष्णावती देवी पत्नी चन्दन निवासी मड़फा ने अपने नाम दर्ज करा लिया था, शेष उल्लखित ग्रामों में अवैध कब्जा का प्रकरण नहीं पाया गया।

ग्राम मड़फा कला के तालाब सं0 987, 988 पर अनारकली पत्नी शीतल प्रसाद व कृष्णावती पत्नी चन्दन के दर्ज नाम को वाद सं0 5 न्यायालय उप जिलाधिकारी कोरांव धारा विविध में ता0 फे0 12-06-05 जारी परवाना अमलदरामद दिनांक 06-07-05 द्वारा पुन: तालाब के खाते में दर्ज कराकर कब्जा छुड़वा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशित किया है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ही कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अ0 अ0 विभागीय निर्माण इकाई अनुरक्षण (विद्युत), लोक निर्माण विभाग द्वारा राजभवन की साज सज्जा/अनुरक्षण इत्यादि पर किये गये फर्जी भुगतान की जांच

41--श्री राम करन आर्य--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अ0 अ0 विभागीय निर्माण इकाई अनुरक्षण (विद्युत) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा कितना धन राजभवन की साज सज्जा व अनुरक्षण मद में कितना धन वर्ष 2004-2005 व 2005-2006 में खर्च किया गया है। क्या यह सही है कि बिना कार्य किये व बिना सामानों की खरीद के वहां पर तैनात वर्तमान सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता द्वारा फर्मों को भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां। राजभवन के साज-सज्जा, अनुरक्षण एवं विद्युत देय मद में वर्ष 2004-05 में कुल रु0 125.16 लाख तथा वर्ष 2005-06 में 12/05 तक रु0 93.03 लाख व्यय किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा नियम विरुद्ध ग्राम हरिहरपुर एहत माली में दिये गये बालू खनन पट्टे की जांच

42--श्री सतीश महाना--

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 अरबन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1975 की धारा 3 में घोषित क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति नहीं किया जा सकता है। यदि हां, तो जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा उक्त ऐक्ट की धारा 3 घोषित तहसील व जिला उन्नाव के ग्राम हरिहरपुर एहत माली में बालू खनन पट्टा दिये जाने की कार्यवाही उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण के अर्ध0 शा0 पत्रांक-214/341/पी0ए0/05, दिनांक 11-7-2005 द्वारा आपत्ति किये जाने के बावजूद की जा रही है ? यदि हां, तो क्या नियम विरुद्ध उक्त क्षेत्र में बालू खनन पट्टा दिये जाने की कार्यवाही रोकी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं, प्रश्नगत मामले में संयुक्त जांच दल, जिसमें तहसीलदार, कानपुर विकास प्राधिकरण भी थे, की आख्या में की गयी संस्तुति/अनापत्ति के आधार पर प्रश्नगत खनन क्षेत्र रकबा 101.00 एकड़ के स्थान पर कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा अनापत्ति प्रदान किये गये 75.00 एकड़ क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशव देव, अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड 2 लो0 नि0 वि0, शाहजहांपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र

43--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-08-2005 जो श्री केशव देव, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0 नि0 वि0, शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं श्री महेश चन्द्र, अवर अभियन्ता (प्रा0) के उत्पीड़न से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच अधीक्षण अभियन्ता, बरेली वृत्त, लो0 नि0 वि0, बरेली से करायी गयी। उक्त जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता।

44--श्री राम विशुन आजाद--

[3सरे शुक्र के अता0 प्र0 सं0 78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

45--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

[दिनांक 2-2-06 को तारां0 प्र0 सं0 7 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी के राम नगर विधान सभा क्षेत्र में सुमली नदी के चिरैया घाट तथा पुरैना घाट पर आवागमन हेतु पुल निर्माण की मांग

46--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर विधान सभा क्षेत्र जनपद बाराबंकी में सुमली नदी के चिरैया घाट तथा पुरैना घाट पर पुल न होने के कारण ग्राम के स्थानीय वासियों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त पुलों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में सूखा पीड़ित लाभार्थियों को वितरित की गयी धनराशि

47--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 में सूखा राहत की धनराशि जनपद शाहजहांपुर में किन-किन व्यक्तियों को और कितनी-कितनी वितरित की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2004-05 में कितने सूखा पीड़ित लाभार्थी शेष हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी कैन्ट की सड़क लहरतारा से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र

48--श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-10-2005 जो निर्वाचन क्षेत्र, वाराणसी कैण्ट की सड़क लहरतारा से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक का निर्माण कराये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

आंशिक भाग में मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, पूरे मार्ग का पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के उपकोषागारों की रोकड़ शाखा के संग्रह तहसीलदारों का पद एवं वेतनमान अन्य शाखाओं में कार्यरत संग्रह तहसीलदारों की भांति किये जाने विषयक आदेश

49--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के उपकोषागारों की रोकड़ शाखा में कार्यरत संग्रह तहसीलदारों का पदनाम एवं वेतनमान अन्य शाखाओं में कार्यरत संग्रह तहसीलदारों की भांति किये जाने विषयक माननीय मुख्य मंत्री जी का आदेश संख्या सी0 एम0/वि0 को0/एम0/130377/2005, दिनांक 5-8-05 प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां। परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश प्राप्त हुए थे।

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2000 द्वारा कोषागारों की रोकड़ (कैश) शाखा संवर्ग को मृत घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के उपकोषागारों की रोकड़ शाखा में कार्यरत संग्रह तहसीलदारों का पदनाम एवं वेतनमान अन्य शाखाओं में कार्यरत संग्रह तहसीलदारों की भांति दिये जाने की मांग प्रासंगिक नहीं रह जाती है। तदनुसार वित्त विभाग द्वारा प्रकरण में पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका है, मृत घोषित संवर्ग को जीवित कर उसके समान पदनाम एवं वेतनमान देने का आधार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के सहावर सोरों आदि कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

50--श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह--

क्या कृषि विज्ञान एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 29-11-04 को प्रस्तावित जनपद एटा के अन्तर्गत सहावर सोरों मार्ग से नगला ईश्वरी रोशन नगर तक व अमरसा मोहनपुर मार्ग से मेढोल ढकपुरा तक मार्ग कासगंज मंडी समिति द्वारा निर्माण

कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मार्गों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट, तहसील कर्वी के ग्राम खुटहा में ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

51--श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट, तहसील कर्वी के ग्राम खुटहा में ग्राम सभा की भूमि गाटा सं0 201 से अवैध कब्जा हटाये जाने के आदेश उपजिलाधिकारी द्वारा दिनांक 26-11-2005 को दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जा हटा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

उपजिलाधिकारी द्वारा 26-11-05 को अवैध निर्माण रुकवाने का आदेश दिया था।

उप जिलाधिकारी कर्बी के आदेश दिनांक 26-11-05 के द्वारा क्षेत्रीय नायब तहसीलदार कर्बी ने क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों एवं पुलिस बल के सहयोग से उक्त निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। अवैध कब्जे के विरुद्ध धारा 122ख ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अधीन प्रस्तुत बेदखली वाद संख्या 2 गांव सभा बनाम राम मनोहर आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर/तहसीलदार (न्यायिक) कर्वी में विचाराधीन है।

जनपद वाराणसी की कछवा रोड कपसेठी मार्ग को राजमार्ग घोषित किये जाने की मांग

52--श्री रंगनाथ मिश्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जनपद की कछवा रोड कपसेठी मार्ग जो आजमगढ़-गाजीपुर जिलों के बाई पास रोड के रूप में प्रयोग हो रहा है, क्या यह मार्ग राज्य मार्ग के रूप में स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो क्या इसे राज्य मार्ग स्वीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह सही है कि इस सड़क का एक किलोमीटर मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्ग का किमी0-01 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

गड्ढे भरकर सड़क को यातायात के योग्य बना दिया गया है। विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद भदोही की विधान सभा क्षेत्र औराई में सड़कों का वार्षिक अनुरक्षण तथा व्यय की गयी धनराशि

53--श्री रंगनाथ मिश्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही जनपद की औराई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग, ज्ञानपुर द्वारा किन-किन सड़कों का वार्षिक तथा बड़े पैमाने पर अनुरक्षण किया गया तथा उन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? कितनी सड़कें ऐसी हैं जिन पर विगत पांच वर्षों में कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं किया गया ? क्या चकापुर से मुक्तपुर मार्ग पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

भदोही जनपद की औराई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में (वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 04-05) सामान्य अनुरक्षण नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की सूची 'क' संलग्न है। उक्त कार्यों हेतु रु0 159.75 लाख व्यय किया गया है।

विधान सभा औराई में विगत पांच वर्षों में कोई मरम्मत न कराये जाने वाले कार्यों की 49 मांगों की सूची 'ख' संलग्न* है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

अपर जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा ग्राम समाज के तालाबों को अनधिकृत रूप से मछली निकालने हेतु आवंटन

54--श्री लाल जी वर्मा --

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 24-11-2005 को आदेश पारित करके ग्राम गुवांव, परगना व तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम समाज का तालाब सं0 133क/0.735 हे0 बिना नीलामी अथवा पट्टे के एक व्यक्ति को मछली निकालने के लिए अधिकृत किया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत उक्त आदेश पारित किया गया है ? क्या मा0 राजस्व मंत्री जी उक्त आदेश पारित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

उक्त आदेश अनियमित पारित किया गया है।

जी हां।

जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर को निर्देश दे दिए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

---

*देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 87-90 पर।

जनपद वाराणसी की सेवापूरी वि0 खं0 में पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्मित खरगोपुर-भिटकुरी आदि क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण की मांग

55--श्री रंगनाथ मिश्र--

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी जनपद की सेवापूरी वि0 खं0 की पी0डब्ल0डी0 की सड़क खरगोपुर से भिटकुरी खिल्लुपुर तक तथा मिर्जामुराद अदमा, कछवा कपसेठी, कपसेठी मझमेड़िया, अदमा करधना मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत पर कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार उसका पुन: निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

समस्त मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

कछवा कपसेठी मार्ग पर पाट होल्स/पैच मरम्मत के कार्य पर वित्तीय वर्ष 2005-06 में रु0 9.93 लाख व्यय किया गया है। शेष मार्गों पर इस वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में ग्राम कुण्डा के निकट नदी पर आवागमन हेतु रपटा पुल के निर्माण की मांग

56--श्री रामशंकर पाल--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में ग्राम कुण्डा के निकट नदी पर पुल न होने की वजह से क्षेत्रवासियों का आवागमन बाधित रहता है ? क्या मंत्री जी उक्त स्थान पर रपटा पुल का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कुण्डा के सामने कल्याणी नदी के डाउन स्ट्रीम में 2.50 कि0मी0 पर तथा अपस्ट्रीम 4.00 कि0मी0 पर पूर्व से ही सेतु निर्मित है। जिससे यातायात सुचारु रूप से चल रहा है। अत: रपटा पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया के ब्लाक प्रतापपुर में ग्राम समाज की जमीन को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाये जाने का प्रकरण

57--श्री शिव चरन प्रजापति--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरीपुर पट्टी, ब्लाक प्रतापपुर, तहसील हंडिया, जनपद इलाहाबाद में मुख्य राजस्व अधिकारी इलाहाबाद द्वारा मु0सं0 775/448 सन् 1994-95 अन्तर्गत धारा 198 (4) जमी0अ0, इन्दर बनाम देवराज में दि0 21-9-1995 को दिये गये आदेशानुसार भूखण्ड संख्या 515 से देवराज का नाम खारिज करके ग्राम सभा में अंकित करने

का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्राम सभा की उक्त जमीन को राजस्व अभिलेखों में सुरक्षित करवा लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांव की ग्राम समाज की जमीन को अभिलेखों में कब तक सुरक्षित करा दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया ब्लाक प्रतापपुर में तालाबों को ग्राम समाज के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करवाये जाने का कथित प्रकरण

58--श्री शिव चरन प्रजापति--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरीपुर पट्टी, ब्लाक प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद (तहसील हण्डिया) में तालाब सं0-567, 566, 564 को चकबन्दी के दौरान श्री रामदुलार पुत्र श्री बाबादीन ने अपने नाम करवाकर अभिलेख में सुरक्षित करवा दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तालाब से श्री रामदुलार आदि का नाम काटकर अभिलेखों में ग्राम समाज के नाम तालाब दर्ज करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

ग्राम हरीपुर पट्टी, विकास खण्ड प्रतापपुर, तहसील हंडिया, इलाहाबाद स्थित गाटा सं0 567 बदरपुर आज भी तालाब के खाते में अंकित हैं। गाटा सं0 566 व 564 तालाब की भूमि है, जिस पर दौरान चकबन्दी रामदुलार आदि पुत्रगण बाबादीन द्वारा अपना नाम दर्ज करवा लिया गया था। उक्त दोनों गाटों पर से रामदुलार आदि पुत्रगण बाबादीन आदि का नाम निरस्त कर दिया गया है और दोनों अराजी को पूर्ववत् तालाब के खाते में अंकित कर दिया गया है।

जनपद इलाहाबाद, ग्राम हरीपुर पट्टी, तहसील हण्डिया के कतिपय निवासियों द्वारा ग्राम सभा के कतिपय भूखण्डों को बन्द कर दिये गये रास्ते को खुलवाने की मांग

59--श्री शिव चरन प्रजापति--

क्या सरकार को जानकारी है कि धर्मराज रामराज, बड़ेलाल, पवन कुमार, संजय कुमार, अरविन्द, रामनरेश, राम नारायण उर्फ जमादार, निवासी ग्राम हरीपुर पट्टी, तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद ने ग्राम सभा की भूखण्ड सं0 762, नाली 784, चकमार्ग 692, 786 व 814 पर छप्पर, नरखी आदि लगाकर रास्ता बन्द कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ता को खुलवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

ग्राम हरीपुर पट्टी तहसील हण्डिया इलाहाबाद स्थित ग्राम सभा की भूमि सं0 762, 784, 692, 786 व 814 का मौके पर सीमांकन कराकर अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप से सोनाडीह तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

60--श्री रामकरन आर्य--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप से सोनाडीह मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत नाम का कोई मार्ग नहीं है, परन्तु अखोप से सोनाडीह के मध्य विभाग के दो मार्गों के अंश सम्मिलित हैं। एक मार्ग अखोप से कुन्डैल नियामत अली मार्ग कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं, तथा दूसरा सीयर सोनाडीह मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा क्षेत्र में पूर्वान्चल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में जानकारी

61--श्री लाल जी वर्मा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में विधान सभा क्षेत्र टाण्डा में पूर्वान्चल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में स्वीकृत सम्पर्क मार्ग जियापुर से जंगबहादुर यादव के नलकूप तक बसखारी गोकुलपुर मार्ग से भत्पुरवा निषाद बस्ती तक के मार्ग का निर्माण अन्य योजना में हो जाने के कारण उक्त स्वीकृत परियोजनाओं की जगह पर संशोधित प्रस्ताव प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या संशोधित प्रस्ताव के अनुसार परियोजनायें स्वीकृत हो गई हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

पूर्व स्वीकृत जियापुर से जंगबहादुर यादव के नलकूप तक के मार्ग के स्थान पर तीन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। बसखारी गोकुलपुर मार्ग से भटपुरवा निषाद बस्ती तक सम्पर्क मार्ग के स्थान पर उत्रेथू मार्ग से नहर की पटरी होते हुये गड़ेरियन का पुरवा तक मार्ग निर्माण स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

उपरोक्तानुसार।

आगणन गठन में विलम्ब के लिये कार्यदायी संस्था के संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभाग को लिखा गया है।

62--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद वाराणसी के हरपालपुर दलित बस्ती में दलितों के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

63--डा0 सुशील चौधरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के हरपालपुर दलित बस्ती में गरीबी एवं कुपोषण से अगस्त, 2005 से अक्टूबर, 2005 तक 22 दलितों की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

वाराणसी जनपद के हरपालपुर दलित बस्ती में गरीबी एवं कुपोषण से अगस्त, 2005 से अक्टूबर, 2005 तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई ।)

विधान सभा के दो सदस्यों एवं एक राज्य मंत्री के गम्भीर आरोप में लिप्त होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिले में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

आएगा, आप बैठ जायें, आपकी सूचना है।

श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष जी, तीनों सदस्य यहां है नहीं, इसलिए चर्चा करना बेकार है, लेकिन इतना सुझाव दे दें कि वह सदन के अन्दर न बैठें जब तक सभी दलों के नेताओं की बैठक न हो जाए।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को सूचना दे दूं।

श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष जी, 311 में कांग्रेस पार्टी ने सूचना दी है, क्विशचन ऑवर नहीं चल पाया, अब सबसे पहले इस विषय को ले लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को सूचना दे दूं, पाल साहब आप बैठ जायें, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जो बात कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। अभी माननीय नेता सदन नहीं हैं, नेता सदन आयेंगे तो 3.00 बजे बैठक होगी और जो विषय यहां उठे हैं, उन पर नेताओं की बैठक में विचार करके जो भी सब लोग निर्णय लेंगे, वह लागू किया जाएगा, तब तक के लिए मेरा आग्रह है कि सदन को चलने दिया जाए। एक बात आई कि उन लोगों से कहा जाए कि वह यहां न रहें, प्रमोद कुमार जी ने भी कहा। वह सदस्य यहां हैं भी नहीं, इसलिए उनके बारे में भी 3.00 बजे की बैठक में विचार होगा। मेरा आग्रह है कि तब तक सदन चलने दें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

एक सुझाव मैं देना चाहता हूं, यह एक ऐसा प्रकरण है जिससे न केवल विधायक की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जुड़ी है, वरन् इस सदन की गरिमा भी जुड़ी हुई है। घटना जो हुई , यदि सत्य है तो सदन की भी अवमानना हुई है और सदन की गरिमा घटी है। लगातार इस टेप को सी0एन0एन0 और चैनल-7 पर प्रसारित किया जा रहा है। मेरा आपसे एक और अनुरोध है। कब किसके घर में

जाकर क्या चीज टेप करके दिखा दें, भरोसा नहीं है। चैनल-7 के लोग आज हमारे घर आए और उन्होंने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, तब मैंने कहा कि यदि ऐसी बात हुई है तो गलत है। लेकिन हमारे अधिकांश विधायक ईमानदार हैं, यदि किसी को पकड़ा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो। वह हमारे पास बैठकर क्लोजअप ले रहे हैं कि हम किस एंगिल से बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, आए हुए लोगों से हम कोई कागज ले रहे हैं, फिर हमारे पीछे लगे हुए प्लग को निकाल देते हैं। इस प्रकार उस टेप का क्या दुरुपयोग होगा, कोई नहीं जानता। मंत्रियों के यहां इण्टरव्यू लेने के लिए आते हैं, सार्वजनिक जनप्रतिनिधियों के पास आते हैं, कब क्या प्रयोग होगा, कोई नहीं जानता। जब चर्चा हो तो कोई नार्म हो। दूसरा, आप टेप मंगवा लीजिए यदि सदन की गरिमा गिरने की संभावना है, आप उसका स्वयं परीक्षण करें और उसके बाद कोई निर्णय हो। जो भी करें लेकिन कृपया उस टेप को मंगवाकर उसका प्रसारण तत्काल रोक दिया जाए। इससे जनता के अन्दर विधायक की जो छवि खराब होगी वह रिपेयर नहीं हो सकती है, वह तो जिन्दगी भर के लिए बदनाम हो गया। चूंकि यह सदन की गरिमा की बात है। विधायक की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की बात है और वह इस सदन का सदस्य है इसलिए उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा की रक्षा करना हम सबका सामूहिक दायित्व हो जाता है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आपने तय किया था कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी पर आपने आदरणीय वरिष्ठ सदस्य श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी को अनुमति दे दी। मैं कहना चाहता हूं कि यह कहां तक उचित होगा कि हम किसी के अधिकारों को रोकें। अगर एक घटना को एक चैनल दिखा रहा है तो क्या हुआ। हमारा अधिकार असीमित है, हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी निष्ठा, अपनी गरिमा को बनाये रखने के लिए। लेकिन पत्रकारिता पर अंकुश लगाना अनुचित होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसे रोकें, कृपया सच्चाई का सामना करें। अगर वह सच हो तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो. और अगर वह सच न हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो जिसने गलत सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद जी इस पर बैठक में विचार किया जाएगा।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर।)

पाल साहब, बात आ गयी है। दलीय नेताओं की बैठक में सारे सुझावों पर विचार किया जाएगा और जो निर्णय होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की भावनाओं को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री राम करन आर्य--

मान्यवर, विधायकों का भी सम्मान होता है। इसलिए एकांकी किसी के साथ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। जब किसी की इज्जत चली जाती है तो वह वापस नहीं होती है और मेरे साथी जो बहस करेंगे मैं उन्हें जानता हूं। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए अगर नहीं सुनना है तो मैं बाहर चला जाता हूं।

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब आप बतायें, आप क्या कहना चाहते हैं, संक्षेप में बतायें।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, कांग्रेस दल के नेता का बयान आ गया। जब इनके नेता का बयान आ गया तो फिर जगदम्बिका पाल जी के कहने का क्या मतलब है।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, क्षेत्रीय संतुलन बना रहे इसलिए अगर प्रमोद जी बोल दिए हैं तो श्री जगदम्बिका पाल जी को बोल लेने दिया जाए।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, श्री लाल जी वर्मा बोले थे तो श्री सुखदेव राजभर जी से नहीं रहा गया इसलिए वह भी बोले।

(श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उक्त प्रकरण पर बोलने का अवसर न मिलने पर सदन त्याग कर जाने लगे जो श्री प्रमोद कुमार के अनुरोध पर वापस आये।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16 फरवरी, 2006 को नियम 301 के अंतर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयी पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय कन्या हाई स्कूल मसकनवां को इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद जौनपुर में मुफ्तीगंज पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग चौकी बनाने एवं भवन हेतु धन उपलब्ध कराने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ में लोक निर्माण विभाग खण्ड-4 में कथित भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की बांदा मुख्यालय में जिला जेल के सामने की अनुसूचित जाति कालोनी के पुनर्निर्माण के संबंध में है। पांचवी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण कराने के संबंध में है। छठी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पुनर्गठन के निर्णय के कारण छात्रों में व्याप्त रोष के संबंध में है। सातवी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई के ब्लाक हरपालपुर में कुण्डा नाला पर स्वीकृत पुल निर्माण हेतु धन निर्गत करने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की आजमगढ़ जनपद में आहोपट्टी में हाथ से कागज बनाने की ट्रेनिंग देने व कागज तैयार करने की योजना तथा पल्हनी रेलवे स्टेशन के पास डेरी की योजना का जीर्णोद्वार करने के संबंध में है। नौवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की बुलन्दशहर के ग्राम रिझौड़ा में खण्डित डा0 अम्बेडकर की प्रतिमा के स्थान पर दूसरी प्रतिमा लगवाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की दि काशी सहकारी चीनी मिल लि0, औराई, जनपद संत रविदास नगर के कर्मचारियों के समस्त देयों के भुगतान की मांग के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री आर0एस0 कुशवाहा की लखीमपुर खीरी में पलिया एवं निघासन चिकित्सालय में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति/तैनाती के संबंध में है। ये सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती है।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय कन्या हाई स्कूल मसकनवां को इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद--

[आपको सादर अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जो आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से काफी पिछड़ा है इस ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय कन्या हाई स्कूल मसकनवां जो क्षेत्र पंचायत छपिया में आता है इस विद्यालय में ग्रामीण अंचल से दूर-दूर अंचलों से छात्रायें शिक्षा ग्रहण करने आती हैं हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्राओं को इण्टरमीडिएट की शिक्षा के लिये दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है जिससे छात्राओं एवं अभिभावकों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है उक्त विद्यालय को इण्टरमीडिएट स्तर तक करने के लिये वहां की क्षेत्रीय जनता एवं अभिभावकों द्वारा कई बार प्रार्थना-पत्र शासन स्तर पर दिया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । मेरे द्वारा भी 24-2-99 को नियम 51 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकर्षित किया था, शिक्षा निदेशालय द्वारा विद्यालय को इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण करने का प्रस्ताव दिनांक 12-6-98 को शासन में प्राप्त हुआ था परन्तु अभी तक इन्हीं कारणोंवश विद्यालय का उच्चीकरण सम्भव नहीं हो सका है जिससे छात्राओं का भविष्य अंधकारमय प्रतीत हो रहा है।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से राजकीय कन्या हाई स्कूल मसकनवां को उच्चीकरण करने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर में मुफ्तीगंज पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग चौकी बनाने एवं भवन हेतु धन उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदीश नारायण राय--

[जनपद जौनपुर में जौनपुर केराकत गाजीपुर मार्ग स्थित है जिसमें जौनपुर शहर से केराकत की दूरी लगभग तीस किलोमीटर है। जौनपुर कोतवाली के बाद केराकत कोतवाली ही पड़ती है इस तीस किलोमीटर के बीच मुफ्तीगंज पुलिस चौकी है। जो रिपोर्टिंग चौकी नहीं है और न ही उसका अपना भवन है जिससे जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये मुफ्तीगंज पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग चौकी के रूप में बनाने तथा उसमें भवन हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ में लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-4 में कथित भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी--

[मैं आपके द्वारा मा0 लोक निर्माण विभाग मंत्री जी उ0 प्र0 सरकार का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में निर्माण खण्ड-4 लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ द्वारा निर्माण कार्य चलाया जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत किसी सुनिश्चित ग्राम को पक्की सड़क से जोड़ना है। स्थलीय सर्वे न करके अनुमानित दूरी के अनुसार स्टीमेट बनाये गये जिसके कारण अधिकांश मार्ग ग्राम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 200 मीटर से लेकर 1 किमी0 तक अवशेष बच जा रहा है। इसका क्या होगा ?

जिन मार्गों पर कार्य चल रहे हैं पहले से लगे ईंट के खड़न्जों को उखाड़ कर इस ईंट को मनमानी तौर पर बन्दरबांट कर ली गई। यह सरकारी धन की खुली लूट हुई है।

दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ताकि लापरवाही व भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके।]

बांदा मुख्यालय में जिला जेल के सामने की अनुसूचित जाति कालोनी के पुनर्निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू लाल कुशवाहा--

[मान्यवर, जनपद बांदा मुख्यालय में करीब चालीस वर्ष पूर्व स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत बांदा जेल के सामने अनुसूचित जाति की कालोनी बनायी गयी थी जिसकी दीवारें व छतें जर्जर व बेकार हो गयी हैं टूट कर गिर रही हैं जिससे वहां के निवासियों को हर समय जान व माल का खतरा बना है उसका पुन: निर्माण न होने से जनता में असंतोष व्याप्त है।

यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है बांदा जेल के सामने की अनु0 जाति की कालोनी के पुन: निर्माण की मांग करता हूं तथा शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

बलिया जनपद के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जियाउद्दीन रिजवी--

[बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में मुख्य सड़कें राज्य मार्ग बहुत खराब हो गया है। निम्नलिखित मार्गों का नवीनीकरण एवं मरम्मत का कार्य कराया जाना बहुत आवश्यक है। सड़के टूटने के कारण आवागमन में जनता को बहुत कठिनाई हो रही है वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है सड़के खराब होने के कारण प्राय: दुर्घटना होती रहती है मेरा आपसे अनुरोध कि लोक निर्माण को निर्देशित करने की कृपा करें कि निम्नलिखित मुख्य मार्ग/सड़कों का विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण करायें।

1--सिकन्दरपुर से मनियर मार्ग

2--सिकन्दरपुर से बेल्थरा रोड मार्ग

3--सिकन्दरपुर से लिलकर मार्ग

4--सिकन्दरपुर से किकोठा मार्ग।

अत: इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पुनर्गठन के निर्णय के कारण छात्रों में व्याप्त रोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

[उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमण्डल की बैठक में 29-12-05 की बैठक में उ0प्र0 राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इस आयोग को अधीनस्थ सेवाओं के चयन की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 से लेकर सौंप दी गयी है।

1990 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था, जो कि समूह "ग" की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया था। भ्रष्टाचार के विरोध में पूरे प्रदेश में छात्रों द्वारा धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन किया गया, जिसके कारण 1998 में सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने इस आयोग की परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा आयोजित करने का निर्णय लिया। इससे अधीनस्थ सेवा चयन में पारदर्शिता एवं निपक्षता प्रदर्शित होने लगी।

परन्तु वर्तमान सरकार ने पुन: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन का निर्णय लिया है, जिससे धांधली की शुरुआत की आशंका है। इस आयोग के पुनर्गठन के निर्णय से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवकों में हताशा की भावना उत्पन्न हो गयी है, क्योंकि उन्हें नौकरियों में अनियमितताओं की आशंका है।

इलाहाबाद में हजारों छात्र सरकार के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिये हैं। सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं।

उक्त विषय लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है, अत: नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

हरदोई के ब्लाक हरपालपुर में कुण्डा नाला पर स्वीकृत पुल निर्माण हेतु धन निर्गत करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव--

[मान्यवर, हरदोई जनपद के ब्लाक हरपालपुर में अम्बेडकर गांव ढकपुरा तथा समग्र गांव बारामऊ गढिया के मध्य कुंडा नाला पर पुल स्वीकृत हुआ था परन्तु सेतु निगम को धन निर्गत न होने के कारण उस पुल का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है जिससे क्षेत्रीय जनता में घोर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अत: अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त पुल बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ में आहो पट्टी में हाथ से कागज बनाने की ट्रेनिंग देने व कागज तैयार करने की योजना तथा पल्हनी रेलवे स्टेशन के पास डेरी की योजना का जीर्णोद्धार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नरेश यादव--

[आजमगढ़ जनपद में सन् 77 में आहोपट्टी में हाथ से कागज बनाने की ट्रेनिंग देने तथा कागज तैयार करने की योजना तथा पल्हनी रेलवे स्टेशन के पास डेयरी की योजना बनाई गयी थी। कार्य भी दोनों के आरम्भ हुए। भवन भी बन गये थे। दोनों योजनायें बहुत ही महत्वपूर्ण रही है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास की दृष्टि से रोजगार के अवसर सृजित होते, उत्पादन बढ़ना/डेयरी की योजना के पीछे दूध का पाउडर बनाने की भी योजना थी। वर्तमान में दोनों की स्थिति बड़ी दयनीय है। आहोपट्टी का भवन तो बिल्कुल काम न होने के कारण जर्जर अवस्था में है। जो लोग उसमें काम करते थे बेकार हो गये हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। न प्रशासन ध्यान दे रहा है एवं न सरकार ही ध्यान दे रही लोकहित में दोनों का जीर्णोद्धार तथा पुनर्संचालन आवश्यक है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि लोकहित में सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर दोनों उद्योगों को चलायें।]

बुलन्दशहर के ग्राम रिझौड़ा में खण्डित डा0 अम्बेडकर की प्रतिमा के स्थान पर दूसरी प्रतिमा लगवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुंशी लाल गौतम--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर के गांव रिझौड़ा तहसील व जिला बुलन्दशहर विगत पिछले वर्षों से भारत रत्न बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने तीसरी बार क्षतिग्रस्त कर दी थी जो आज भी खण्डित है। भारत के महापुरुषों के साथ इस प्रकार का कृत्य असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है इसकी रोकथाम की जाए तथा गांव के सौहार्द्र पूर्ण वातावरण को बनाने के लिए इस प्रकार के दूषित वातावरण को रोके जाने के लिए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी आवश्यक है। आज महापुरुष जाति, धर्म व मजहब के आधार पर बंटे हुए हैं उनके प्रति सभी आदर-समानपूर्वक राजनैतिक दलों को चिन्ता करनी चाहिए जिन्होंने पूरा जीवन अपने देश के गरीब मजदूरों के लिए लगा दिया था।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न के माध्यम से गांव रिझौड़ा, थाना सलेमपुर, जनपद बुलन्दशहर में खण्डित डा0 अम्बेडकर की प्रतिमा के स्थान पर सांस्कृतिक विभाग से दूसरी प्रतिमा लगवाने तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

दि काशी सहकारी चीनी मिल लि0 औराई, जनपद संत रविदास नगर के कर्मचारियों के समस्त देयों के भुगतान की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र--

[दि काशी सहकारी चीनी मिल्स लि0 औराई, जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में प्रबन्धन द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि के मद से पैसे की कटौती की गयी परन्तु उसे भविष्य निधि कार्यालय के एकाउन्ट में जमा नहीं किया गया तथा सेवानिवृत्त एवं मृतक कर्मचारियों को देय धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा परमानेन्ट कर्मचारियों के सात माह से वेतन नहीं दिया गया है इस तरह से कर्मचारियों के साथ चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा कर्मचारियों को भुगतान न करके प्रधान प्रबन्धक द्वारा धन का दुरुपयोग अपने बंगले तथा गाड़ियों में पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे चीनी मिल के कर्मचारियों में काफी असंतोष एवं रोष व्याप्त है।

अत: इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्वपूर्ण विषय पर में सदन के माध्यम से चीनी मिल के कर्मचारियों के समस्त देयों के भुगतान किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखीमपुर खीरी जिलान्तर्गत पलिया एवं निधासन चिकित्सालय में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति/तैनाती के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

[जनपद लखीमपुर खीरी में पलिया चिकित्सालय व निधासन चिकित्सालय में महिला चिकित्सक पिछले कई वर्षों से नहीं है। जिसके कारण तमाम महिलाओं के इलाज के बगैर मौत हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोनों ही अस्पतालों में कुत्ता काटने, सांप काटने की कोई भी दवा व वैक्सीन न होने के कारण अक्सर ही लोगों की मौत हो जाती है।

अत: इस लोकमहत्वपूर्ण अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं शासन से उक्त अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति/तैनाती किये जाने की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष--

निम्न माननीय सदस्य श्री राम करन आर्य की सूचना अस्वीकार की गयी है।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16-2-2006 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई । इसमें पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार जी की बिना किसी संगीन जुर्म के मामूली आरोपों में बन्द किये गये बन्दियों द्वारा लम्बी अवधि तक कारावास की सजा काट लेने के बाद भी उन्हें रिहा न किये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय जी की विधान सभा के वर्ष 2005 के प्रथम सत्र के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के संबंध में दिनांक 18-2-2005 को प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 166 के अन्तर्गत दी गयी सूचना एवं उसके संबंध में दिनांक 26 जुलाई, 2005 को सदन में नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश के कार्यान्वयन न होने के संबंध में है। तीसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की प्रदेश के छात्रों के हित में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में दस प्रतिशत अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराये जाने के संबंध में है। हम पहली सूचना ले रहे हैं।

बिना किसी संगीन जुर्म के मामूली आरोपों में बन्द किये गये बन्दियों द्वारा लम्बी अवधि तक कारावास की सजा काट लेने के बाद भी उन्हें रिहा न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक गम्भीर विषय है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

यह सदन से संबंधित तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जो नियमावली बनी है उसका उल्लंघन हुआ है, उसके संबंध में है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आपने मुझे एक अत्यन्त संवेदनशील और अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय पर बोलने का अवसर दिया। जो मानवीय संवेदना से जुड़े न हों उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन जो खबरें पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, कुछ जानकारी रखते हैं वह इससे व्यथित दिखते हैं और इसे मैंने आपके माध्यम से सरकार को और सम्पूर्ण सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। मान्यवर, तीन चार घटनायें ऐसी है जिसमें 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष से लोग बन्द हैं। इसमें से एक जनपद उन्नाव के शंकर लाल, जिनका जुर्म इतना था कि इनकी पड़ोसी से कहा सुनी हो गयी थी वह चालीस वर्ष से जेल में बंद हैं। एक जगरूप निवासी सिसेंडी, थाना मोहनलालगंज हैं जो कि तीस साल से सजा काट रहे हैं। इसी प्रकार से पांच-छः प्रकरण ऐसे हैं। मान्यवर, सरकार का दायित्व है प्रोसीक्यूशन करना। प्रोसीक्यूशन होता है तो न्यायालय दण्ड निर्धारित करता है, दोषमुक्त करता है या दोषयुक्त मानता है। इसमें एक कहा-सुनी, मार-पीट का मामला है तो 323 का मुकदमा कायम होता है और दो-तीन साल की सजा होती है, चोरी की गयी है तो साधारण कारावास, दो चार महीने की सजा, और एक हत्या का प्रकरण है, जो गवाह है वह कह रहा है कि नहीं की गयी। तो ऐसे प्रकरणों पर जिनमें सरकार को लगे कि निर्दोष हैं या सजा ज्यादा है तो उस मुकदमें को वापस ले लिया जाय। मेरा आपके माध्यम से शासन से और सम्पूर्ण सदन से आग्रह है कि ऐसे लोग जो तीस-पैंतीस सालों से जेलों में बन्द हैं उन्हें मुचलके पर रिहा किया जाय। तो मान्यवर अगर इनको सजा होगी भी तो एक साल, छः महीने, दो साल और अगर आजीवन कारावास भी हुआ तो 14 साल, 15 साल, वह 35 साल की सजा काट चुके हैं तो एक जनहित के माध्यम से संवेदनशील मुद्दे पर मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ एक आग्रह करना चाहूंगा कि वह इन मुकदमों को वापस ले लें और अगर ये मुकदमें वापस हो जायेंगे तो स्वतः समाप्त हो जायेंगे, तो ये जिस त्रासदी से गुजरे हैं मान्यवर, जैसे मैं आज अखबार पढ़ रहा था कि 25 साल की आयु में वह आदमी जेल गया था और 74 साल की आयु में वह वापस आ रहा है मान्यवर, तो आखिर एक जीवन तो नष्ट हो चुका उसका, क्या 74 साल के बाद उस पर मुकदमा चलायेंगे ? मान्यवर इस तरीके से जिसकी पड़ोसी से कहा-सुनी हुई है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद जी, आप हमें यह बतायें कि आपको यह सूचना नियम 300 में कैसे आती है ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह जो नियमावली बनी है, उसके अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता सजा नहीं निर्धारित करती है, प्रक्रिया निर्धारित करती है कि किस प्रक्रिया से दण्ड दिया जाय और उसको संशोधित करने का अधिकार उत्तर प्रदेश की विधान सभा को है और उसमें वर्ष 1973 में संशोधन हुआ भी है मान्यवर, वही प्रदत्त करती है क्योंकि यहां सदन की बनायी हुई नियमावली का उल्लंघन हो रहा था, नियमों का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए इसे मैं नियम 300 में लाने का प्रयास कर रहा हूं फिर भी मान्यवर, इन लाइनों के बीच में भी एक लाइन होती है जो दिखती नहीं है, पढ़ी नहीं जा सकती है लेकिन समझी जा सकती है जिसको कहते हैं विटविन द लाइन और वह सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी आप पढ़ सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता है तो मैं जो दिख नहीं रहा है, जो लिखा नहीं गया है, मान्यवर, मैं उसका उद्धरण देकर कहना चाहता हूं कि यह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा प्रश्न है इससे न तो आप इन्कार कर सकते हैं और न मुझसे विपरीत विचारधारा रखने वाले

लोग इंकार कर सकते हैं तो मेरी सिर्फ आपसे विनती, प्रार्थना, अपील है कि शासन अगर इससे सहमत हो जाये कि जिनकी सजा 35-40 साल से ज्यादा हो चुकी है, अगर उनके मुकदमें वापस लेने पर विचार किया जाय तो मैं समझता हूं कि मेरा औचित्य का प्रश्न उठाने की मंशा सफल हो गई ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बतायेंगे ?

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

साथ ही यह आश्वासन भी दे दें कि इनके साथ ऐसा नहीं होगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जी आपको साक्ष्य मानकर, मान्यवर इस प्रश्न की गम्भीरता का अन्दाजा तो उसी वक्त हुआ जब इस तरह के एक-दो मामले प्रकाश में आये। बहुत गम्भीर प्रश्न है और एकदम कोई फैसला कर लेने का नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कि क्या यही चार-पांच मामले हैं या और भी हैं जो हमारे संज्ञान में आ गए उनकी मदद होगी लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिनका कोई पुरसेहाल नहीं होगा और वह जेलों में पड़े होंगे। गलती कहां हुई है यह बुनियादी चीज है। इतनी लम्बी आजादी के बाद भी हम अभी अपने सिस्टम को इस हद तक भी दुरुस्त नहीं कर पाये कि टी क्राईम्स करने वाले 30-30, 35-35 साल तक जेलों में बन्द हों और उनकी सुनवाई तक न हो रही हो। यहां तक हुआ कि जिनके परिवार जन गये मिलने, पूछने तो कहा कि यह शख्स मर गया, नहीं है और जब कि वह पागलखाने में थे तो कहीं कोई रिकार्ड मेन्टेन होता हो, इसकी भी जानकारी रहनी चाहिए, किस मुकदमें में आया है, कितनी उसकी अधिकतम सजा हो सकती है, कितने दिन से वह यहां है, कोई इसकी जमानत लेने वाला है या नहीं है। खुद हमारे साथ मान्यवर, इमरजेन्सी में बनारस जेल में यही हुआ कि 22-24 साल से एक साहब बन्द थे जो बहुत छोटे क्राईम में आये थे जिसकी सजा शायद जेब कतरी वगैरह की 15-20 दिन की हो सकती है, लेकिन सारा जीवन उनका जेल में बीता और फिर उनका कहना था कि अब चूंकि मेरा बाहर कोई नहीं है लिहाजा अब जेल ही मेरा घर है, मुफ्त का खाना मिल जाता है और यहीं से मैं मर कर चला जाऊंगा। ऐसे बहुत से हादसे हैं लेकिन एक चीज जो प्रमोद कुमार जी ने कही वह ज्यादा काबिलेगौर है कि किस मुकदमें की कितनी सजा है और कितनी सजा वह भोग चुका है उसी में मिसाल आपने 302 की भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिल फैसले है इस सिलसिले में कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद ही है मैं उसमें आपका मुखाल्फित नहीं कर रहा हूं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप एकदम तय नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, सरकार तय करेगी, फिर राज्यपाल महोदय को जायेगी उसके बाद निर्णय होगा तो इन अधिकारों का हनन यहां नहीं हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि सभी वरिष्ठ नेता साथ बैठे और इस पर नेता सदन के साथ कोई ऐसा निर्णय लिया जाय कि पेटी क्राईम्स के बारे में हमारा क्या फैसला होगा और अगर हमें किसी सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, कानून में अगर कहीं कोई कमजोरी है और अगर हमारे प्रोसीजर में कहीं कोई कमी है तो मान्यवर यह ऐसा वक्त है हम इसे खोने न दें। बहुत ही दुखद चीजें सामने आयी है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भी इंगित होना चाहिए जिनकी वजह से यह हुआ। अब जैसे किसी ने करप्शन किया, बेईमानी की और वह रिटायर हो गया और जब पत्रावली सामने आती है तो कहा जाता है कि इस मामले को ड्राप कर दें क्योंकि वह साहब तो अब रिटायर हो गये हैं। लेकिन यह कोई न्याय नहीं है, कम से कम ऐसे लोगों के बारे में समाज को उसके परिवार को मालूम होना चाहिए उसके बच्चे को और उसके बच्चे के बच्चे को भी पता रहे कि तुम्हारे पिता के खिलाफ कार्यवाही क्यों की गयी है ? तुम्हारे पापा इसलिए जेल में गये क्योंकि उन्होंने यह बेहूदगी की थी। यह पता हो कि पापा ने चोरी की थी, रिश्वत ली थी और वह मर गये, लेकिन उसके बाद भी सरकार का फैसला यह हुआ है। वह बात आये जिनकी लापरवाही से और जिनकी वजह से एक छोटे से जुर्म के नतीजे में एक शख्स को पूरी जिन्दगी देनी पड़ी हो। यह गम्भीर मामला है और मान्यवर इस पर आपके स्तर से विचार होना चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को स्वीकार किया है कि इस तरह के तीन-चार प्रकरण सामने आये हैं और अभी कितने और ऐसे प्रकरण होंगे जिनका कोई पुरसाहाल नहीं होगा। उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। प्रकृति में जो इस तरह के छोटे मोटे जुर्म हैं और जिनका रिकार्ड नहीं रखा जाता है उसकी जिम्मेदारी सीधे-सीधे प्रशासन और राज्य सरकार की है। जो इस तरह के चार विषय संज्ञान में आ गये हैं और जो विषय हमारी तरफ से उठाये गये हैं उन चार प्रकरणों को लेकर यहां सुझाव दिये गये हैं।

मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा हर वक्त मुकदमें वापस लिये जाते हैं चाहे वह छोटे मोटे जुर्म से संबंधित हो या कत्ल के मामले हो, उन मुकदमों को वापस लेने की कार्यवाही होती है। तो यह ऐसे मामले हैं जिनमें यह बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि नेता सदन के साथ वरिष्ठ नेताओं की इस पर बैठक हो जाय और उस पर कोई आम राय बने। उन्होंने यह सुझाव दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि इस तरह के लोग हैं, मैंने कहा कि इस तरह के लोग हो सकते हैं। हैं और हो सकते हैं में फर्क है। मान्यवर, जब सरकार किसी को छोड़ने की कार्यवाही करती है मुकदमा वापस लेती है, तो हम तो कानून के राज में रहते हैं और जिसमें व्यवस्था है कि उसकी दरख्वास्त लगती है और फिर उसकी जांच होती है। इसमें उनके परिवारजन की तरफ से दरख्वास्त आये और अगर नहीं, तो फिर इस बारे में निर्णय हो जाय सदन का कि हम इन्हें छोड़ते हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (हाजी याकूब)--

मान्यवर, आज यह बात उठा रहे हैं। इसके पहले भी सरकारें रही हैं उनको भी इस पर गौर करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस प्रकरण पर माननीय प्रमोद कुमार तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक सुझाव भी दिया है, मैं इस प्रश्न को अब निरस्त करता हूं।

विधान सभा के वर्ष 2005 के प्रथम सत्र के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के संबंध में दिनांक 18-2-2005 को प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-166 के अन्तर्गत दी गयी सूचना एवं उसके संबंध में दिनांक 26 जुलाई, 2005 को सदन में नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश के कार्यान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री जगदीश नारायण राय--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न नियम 300 के रूप में यहां पर रखा है। मान्यवर, अगर यह सदन अपने बनाये गये नियमों का अनुपालन कराने में अक्षम है तो यह हम सबके लिए और प्रदेश के लिए दुखद बात होगी। मेरे द्वारा जो प्रश्न 18 फरवरी, 2005 को उठाया गया था उसका जवाब गलत आया था। मैंने व्यवस्था के रूप में इस प्रश्न को उठाया और आपने उस पर सरकार को कार्यवाही का निर्देश भी दिया उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई । उसके बाद नियम 300 में उठाया और आपने निर्देशित भी किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई फिर आज मैंने इसे औचित्य के रूप में उठाने की सूचना दी है। मान्यवर, हम जिन नियमों का अनुपालन कराने में अक्षम हैं तो उन नियमों को यहां से हटाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस संदर्भ में मेरे कार्यालय से कई बार राजस्व विभाग के अधिकारियों को रिमाइण्डर गये परन्तु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब अगर 20 तारीख तक इसका जवाब नहीं आया तो मुझे विवश होकर उन अधिकारियों को सदन में तलब करके जवाब दिलाना होगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, एक विभाग नहीं, बल्कि दूसरे विभाग भी अगर ऐसा करते हैं तो उसमें हम आपको अधिकार देते हैं। आपको अधिकार है। इसे हम स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, बीस तारीख तक इसका जवाब आ जाये।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, आपको तो सारा अधिकार नियमावली में है, संविधान में है फिर यह कहां से आपको अधिकार दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी ऐसी जरूरत पड़े आप कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यही तो है न, अब यही तो आप हमारे दिल का नाजायज फायदा उठाते हैं। मंशा यह है कि आपने जिस तरह फरमाया उससे हम सहमत हैं।

प्रदेश के छात्रों के हित में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में 10 प्रतिशत अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

तीसरी सूचना गौर साहब यह किसी भी तरह नियमों में आती है, तो वह नियम हमें बता दें ? या आप नियम 56 में दिया होता ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, आप सुनने के बाद तो निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह बोलने के लिए तो व्यवस्था उठाकर भी बोला जा सकता है कि साहब व्यवस्था का सवाल है अपनी बात कह लें लेकिन यह नियम 300 में कहां आता है अच्छा आप कहिये।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह विषय हमने कार्य स्थगन के माध्यम से उठाया था और आपने निर्देश दिया था और संसदीय कार्य मंत्री जी का आश्वासन था इसलिए मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, हम सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर लोक सेवा आयोग हैं जिसके माध्यम से पीसीएस और पीसीएस जे, अनेकों प्रतियोगिताओं की परीक्षा होती हैं वहां के छात्र इस बात को लेकर आन्दोलित थे कि वहां जो प्रारम्भिक परीक्षा है उसके 10 प्रतिशत परीक्षार्थी जो परीक्षा में बैठते हैं उनको उत्तीर्ण किया जाय और उनको फाइनल परीक्षा में बैठाला जाय। इसमें जो अभी तक व्यवस्था है आप अवगत होंगे, सदन अवगत होगा कि अगर एक पद है तो उसमें 12 लोगों को बुलाया जाता है कई जगह एक-एक लाख छात्र परीक्षा में बैठ जाते हैं। उस दिन भी मैंने कहा था कार्य स्थगन के माध्यम से, सरकार का कोई खर्च नहीं होना छात्रों को फाइनल इक्जामिनेशन में जितने लोग बैठें उसके 10 प्रतिशत अभ्यर्थी बैठ सके इसके लिए निर्णय लेना है। मान्यवर, आपने कार्य स्थगन के माध्यम से निर्देश दिया था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब में कहा था कि हम यथाशीघ्र निर्णय लेंगे मान्यवर, 6-7 माह हो गये। अगर यथाशीघ्र की यही परिभाषा है कि 6-7 महीना भी यथाशीघ्र नहीं है तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इलाहाबाद में छात्र पुन: आन्दोलित हो रहे हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सही स्थिति क्या है सरकार बता दे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं इसको दिखवा लूंगा अगर कहीं देर हुई है तो जल्दी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

अब 300 हो गया।

आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ? मान्यवर, अभी मेरा एक प्रश्न अतारांकित प्रश्न संख्या 54 पर लगा था।

श्री अध्यक्ष--

आज प्रश्नकाल चला ही नहीं ?

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, वह उत्तरित माने गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो मैंने कहा नहीं कि सारे प्रश्न उत्तरित माने जायेंगे ?

*श्री लालजी वर्मा --

मान्यवर, मेरा अतारांकित प्रश्न है, यह नियमावली में है। इसमें मान्यवर, मैंने यह सवाल किया था कि क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 24-11-2005 को आदेश पारित करके ग्राम गुवांव, परगना व तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम समाज का तालाब संख्या 133क/0.735 हे0 बिना नीलामी अथवा पट्टे के एक व्यक्ति को मछली निकालने के लिए अधिकृत किया गया है ? इस पर माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है जी हां। फिर उन्होंने कहा कि गलत आदेश दिया गया है और इस गलत आदेश के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खिलाफ मैंने पूछा कि क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जी हां, जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर को निर्देशित कर दिया है तो अपर जिलाधिकारी का आदेश है अपर जिलाधिकारी के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यवाही नहीं कर सकता है इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अपर जिलाधिकारी पर कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया है तो मान्यवर, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी पर क्या कार्यवाही करेगा, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

कार्यवाही नहीं करेगा लेकिन कार्यवाही की संस्तुति करता है। वह जांच करेगा जांच करके वह देखेगा कि कहां त्रुटि हुई है फिर वह नियुक्ति विभाग को शासन को संस्तुति करेगा, इसलिए उसको मार्क किया गया होगा।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 02 फरवरी, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 फरवरी, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 4, 5 व 6 में कुछ नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह" द्वारा प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2005 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संबंध में परिवहन मंत्री का संशोधित उत्तर एवं कृत कार्यवाही का विवरण

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजस्व मंत्री अपना वक्तव्य पढ़ें।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)--

मान्यवर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2005 के पहले शुक्रवार को . . . . . ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, सर्वसम्मति से इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री नरेश अग्रवाल--

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ "मोती सिंह", सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2005 के पहले शुक्रवार को [पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 03 के उत्तर के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (बारहवां संस्करण) के निदेश संख्या 165 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना दिनांक 22 फरवरी, 2005 के संबंध में निदेश संख्या 166 (2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं संशोधित उत्तर।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण।
1	2	3	4
03-विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के प्रथम बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा संचालित शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के 79 ग्रामों जहां विद्युत पोल की आपूर्ति की गयी है, का विद्युतीकरण प्रत्येक वर्ष में कितने ग्राम को चयन कर विद्युतीकृत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	03-79 ग्रामों के चिन्हीकरण करने पर पाया गया कि केवल 9 वर्जिन ग्राम भैरोपुर (0429), सुजानपट्टी (0407), पहलमापुर (0258), अलीपुर (0276), नेवादा (0207), रानीपुर (0245), मतेठी (0264), जेतापुर (0265) तथा रामपुर बेला (0252) अविद्युतीकृत हैं। अन्य 70 ग्राम पूर्व में विद्युतीकृत हैं और उनके अवशेष मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। उपरोक्त अविद्युतीकृत वर्जिन 09 ग्रामों का विद्युतीकरण 2005-06 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति एवं उपलब्धता सुनिश्चित होने पर कर दिया जायेगा। प्रश्न नहीं उठता।	विधान सभा क्षेत्र पट्टी से संबंधित कुल 79 ग्रामों में से केवल 9 ग्राम वर्जिन हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैं भैरोपुर, सुजानपट्टी, पहलमापुर, नेवादा, चांदपुर, मजेठी, जैतापुर, गोपालपुर, रामपुर बेला। शेष ग्रामों में से 58 ग्राम एल0टी0 मेन्स से विद्युतीकृत हैं एवं 12 ग्राम सी0ई0ए0 परिभाषा द्वारा पूर्व में विद्युतीकृत हैं। कुल 79 ग्रामों की वर्तमान स्थिति संलग्न की जा रही है। मा0 विधायक द्वारा अपने पत्र दिनांक 30-6-2004 के द्वारा ग्राम भटियाभार (सैफाबाद) के स्थान पर ग्राम रानीपुर परिवर्तित कर दिये गये थे परन्तु अधिशासी अभियन्ता, वि0 वि0 खण्ड प्रतापगढ़ के कार्यालय के अभिलेखों में भूलवश आवश्यक संशोधन नहीं किया जा सका, जिससे संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। ग्राम रानीपुर दिनांक 20-11-2004 को ऊर्जीकृत किया जा चुका है।]	अधिशासी अभियन्ता वि0वि0 खण्ड प्रतापगढ़ के कार्यालय के दोषी पाये गये श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव, मानचित्रक को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने हेतु चेतावनी दे दी गयी है तथा अन्य कोई दोषी नहीं पाया गया है।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

दिनांक 15 एवं 16 फरवरी, 2006 की नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित करते हुए आज कार्य-स्थगन के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई ।

श्री अध्यक्ष--

कल जो संत ज्ञानेश्वर वाला मामला था, वह आज के लिये स्थगित किया गया था, आज पहले उसे ले लेते हैं। माननीय नेता विरोधी दल, कृपया अपनी बात रखें।

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, इलाहाबाद में संत ज्ञानेश्वर नाम के एक व्यक्ति, वह संत थे या नहीं थे, मुझे इस विवाद में नहीं जाना, लेकिन उनके 7 साथियों के साथ उनको मार दिया गया। मान्यवर, हत्याकांड तो होते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रतिबंधित हथियार हैं, जो केवल आतंकवादियों के पास होते हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल खुलेआम प्रदेश में हो रहा है। विधायक राजू पाल की हत्या ए0के0-47 से हुयी, उसके बाद कृष्णानन्द राय की हत्या ए0के0-47 से हुयी। उसके बाद खडगवंशी मारा गया, वह भी इसी तरह के हथियार थे। कहने का मतलब यह है कि यह हथियार खुले आम प्रदेश में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। आतंकवाद बढ़ रहा है, माओवाद बढ़ रहा है। यह सब पूर्वांचल से पूरी एक चेन बनी हुयी है। जहां इस तरह के हथियार दिये जा रहे हैं, एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि सबको घेरकर एक ही तरह के हथियार चलाकर हत्या की जा रही है। यह प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा के लिये कितना बड़ा खतरा है, इस खतरे के ऊपर क्या सरकार गंभीर है ? इसमें अखबार की एक खबर है और उसकी जो न्यूज वैल्यू बनती है, उसको हम सदन में कोड कर सकते हैं। इस हत्याकांड में एक सपा विधायक का नाम आया, उसके बाद सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह निर्दोष है। मेरा कहना यह है कि जांच हो जाने दो, कार्यवाही हो जाने दो, उसके बाद यदि वह निर्दोष है तो मैं कोई यह कहने वाला नहीं हूं कि निर्दोष है तो भी उसको फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन अगर जिसने अपराध किया है तो मैं इसे गंभीरता से लेता हूं। दूसरी बात यह कि अगर आज सरकार ने इस सबका संज्ञान नहीं लिया तो यह जो अन्य राज्यों में हो रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, यह प्रदेश तो इतना बड़ा है कि उसको यहां रोका ही नहीं जा सकता। चिन्ता का विषय यह है कि ए0के0-47 और उससे भी ज्यादा मारक शक्ति वाले हथियार खुलेआम इस्तेमाल हो रहे हैं। आज तक कोई पकड़ा नहीं गया कि किसने इसका इस्तेमाल किया, बल्कि ऐसे लोग छोड़े गये हैं और मुकदमें वापस हुये हैं। मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात अलग है, लेकिन अगर हमारे प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाय और जो चाहे विदेशी हथियार खरीद ले, इसे तो बहुत से लोग सप्लाई कर रहे हैं, जिनकी मंशा है कि यहां पर अशान्ति पैदा हो जो इस प्रदेश को विकास की तरफ जाने से रोके और जिससे चारों तरफ एक भय का वातावरण पैदा होता है, वह न हो इसलिए मैंने यह प्रश्न उठाया है ताकि सरकार ऐसे हथियारों के इस्तेमाल को होने से रोके और उस पर कार्रवाई करे। जो संत ज्ञानेश्वर के बारे में अखबारों में निकला है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब तो सिर्फ इस बात से है कि आठ आदमी सड़क पर मारे गये हैं और उन्हें मारने में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। यह घटना गम्भीर है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इस पर सरकार की ओर से बयान आये कि वह कैसे इसे रोकेगी और कैसे इन हथियारों के इस्तेमाल को रोकेगी, क्या कभी इस पर विचार किया गया ? मुझे लगता है कि कभी इस पर विचार नहीं किया गया।

(माननीय सदस्य डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

गौर साहब, आपका भी यही मामला है और इसमें बाजपेयी जी, स्वामी प्रसाद मौर्या जी, सुखदेव राजभर जी, दद्दू प्रसाद जी, वर्मा जी, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) जी, प्रमोद जी, जगदम्बिका पाल जी तथा और भी तमाम लोगों ने सूचना दी है। तो क्या इस पर सभी लोग बोलेंगे ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैंने अलग से सूचना दी है और यह मेरे जनपद का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आपके जनपद का मामला है, आप अपनी बात रख लीजिए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, यह मामला मेरे जनपद का है। इलाहाबाद में माघ मेला चल रहा है, वहां पर पुलिस व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाएं है। वहां पर संत ज्ञानेश्वर का कैंप भी लगा हुआ था, पांच बजे वह अपने शिष्यों के साथ मोक्षधाम वाराणसी जा रहे थे, अपराधी भी माघ मेले में थे, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि संत ज्ञानेश्वर इस समय यहां से जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और जहां संत ज्ञानेश्वर की गाड़ी थी, उन्होंने वहां पर अपनी गाड़ी लगा दी और आठ लोगों की हत्या कर दी। ए0के0-47 के 15 खोखे वहां से बरामद किये गये हैं और गाड़ी पर 25 जगह गोलियों के निशान लगे हैं। मान्यवर, इलाहाबाद में कुछ ही दिन पहले यह खबर निकली थी कि इलाहाबाद अपराधियों के निशाने पर है, तो आखिर वहां का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार क्या कर रही थी ? इलाहाबाद में पिछले एक वर्ष के अन्दर एक दर्जन राजनीतिक हत्याएं हो चुकी है। 25-01-2005 को राजू पाल की हत्या, 27-02-2005 को को-आपरेटिव बैंक के चेयरमैन (सपा) शिव सागर सिंह की हत्या, 24-10-2005 को बसपा नेता राम विशाल पाल की हत्या, 13-10-2005 को सपा नेता अधिवक्ता सुरेश सिंह यादव की हत्या, सपा नेता मुनीम यादव की झूंसी में घेरकर हत्या, बसपा नेता निरंजन पासी की हत्या, कांग्रेसी नेता सुरेश दुबे की हत्या, मान्यवर, इलाहाबाद में छात्रसंघ के चुनाव में कभी भी किसी प्रत्याशी की हत्या नहीं होती थी लेकिन 24-11-2005 को छात्रसंघ चुनाव में कमलेश यादव (सपा) की हत्या कर दी गई। इस प्रकार से मान्यवर, इलाहाबाद में एक तरह से अराजकता पैदा हो गई है। मैं चाहूंगा कि इलाहाबाद के अन्दर सुरक्षा का वातावरण बने। मेडिकल कालेज में 11 तारीख को पोस्ट मार्टम हो रहा था, वहां मैं गया था इस प्रकार की हत्याएं बहुत ही दु:खद है और सरकार के द्वारा इन मामलों में जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाही की जानी चाहिए। इस हादसे में जो निर्दोष महिलाएं, जो घायल हुई हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है, मैं चाहूंगा कि उनको आर्थिक अनुदान दिया जाए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आतंकवादियों द्वारा ए0के0-47 हथियार का प्रयोग हो रहा है और घटनायें दर घटनायें घटती चली जा रही हैं, यह प्रदेश के लिए बहुत ही चिन्तनीय विषय है। मान्यवर, चिन्तनीय विषय के साथ ही इस पर कार्रवाही की भी

आवश्यकता है क्योंकि ये ऐसे प्रतिबन्धित हथियार हैं जो आम जनता के पास उपलब्ध नहीं हैं। ये ऐसे विदेशी हथियार हैं जो हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा कहीं छापे में या लड़ाई में पाये गये हैं, इस प्रकार या तो पुलिस के पास ये हथियार हैं या फिर विदेशी एजेन्सियों के पास है। प्रदेश में कुख्यात अपराधियों द्वारा ए0के0-47 हथियार से घटनायें की जा रही हैं। इसका मतलब है कि या तो कहीं पुलिस कर्मियों से या फिर विदेशी एजेन्सियों से हथियार पाते हैं। दोनों ही तरीके से या कहीं से भी हथियार आता है तो यह चिन्ता का विषय है। आज आम जनता की बात जाने दें, यही विधान सभा है, यही सदन है जो इन तमाम घटनाओं का गवाह बन चुका है। राजू पाल, कृष्णानन्द राय की हत्या ए0के0-47 के द्वारा की गयी। आज भी उन घटनाओं का पर्दाफाश तो नहीं हुआ एक और हत्या ए0के0-47 द्वारा संत ज्ञानेश्वर की हो गयी। संत ज्ञानेश्वर, अपराधी या संत थे, यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि ऐसा हथियार जो उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित माना जाता है और आम जनता के हाथ में नहीं आता है तो यह हथियार, अपराधियों के हाथ में कहां से आता है, यह गम्भीर बात है और जांच का विषय है। आपने देखा कृष्णानन्द राय के साथ 8 अन्य लोगों की हत्या हुई, हंडिया में इसी तरह की घटना हुई और संत ज्ञानेश्वर के साथ ही उनके 7 शिष्यों की भी हत्या हुई । जिस तरह से घेराबंदी करके ए0के0-47 से गोलियां बरसायी जाती है इससे विशेष सुरक्षा प्राप्त प्रमुख प्रतिनिधि चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र के हों, चाहे धार्मिक क्षेत्र के हों, चाहे सामाजिक कार्यों से जुड़े हुये लोग हों, आज उनकी भी सुरक्षा सन्देह के घेरे में आ जाती है। आज हमारे नेता सदन या इसी तरह से और भी विशेष सुरक्षा प्राप्त लोग हैं उनकी सुरक्षा पर सवालिया निशान उठ रहा है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार के हादसे फिर से न हो इस पर सरकार को बहुत ही गम्भीरता से चिन्तन करने की आवश्यकता है। आज भय का वातावरण है, जब ए0के0-47 के द्वारा जिसका जहां मन होता है, गोलियां चलाकर घटनायें कर दी जाती हैं। आज तक सरकार एक भी हादसे का खुलासा नहीं कर पायी है । इसका मतलब है कि मामला गम्भीर हो गया है और प्रदेश की जनता के लिए चिन्ता का विषय हो गया है साथ ही यह लोक महत्व का है। हमारे नेता सदन ने कई बार यहां पर आश्वस्त किया है, कृष्णानन्द राय की हत्या के संबंध में भी आश्वस्त किया था, राजू पाल की हत्या के संबंध में भी आश्वस्त किया था कि विशेष जांच के माध्यम से घटना का खुलासा करेंगे। उक्त दोनों घटनाओं का खुलासा नहीं हुआ इसी बीच एक घटना और हो गयी। विदेशी हथियार आ रहे हैं परन्तु सरकार खुलासा नहीं कर पा रही है। मान्यवर, मेरी मांग है कि ए0के0-47 हथियार से होने वाली जितनी भी घटनायें हैं उनकी जांच सी0बी0आई0 से होनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

*श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, जहां तक इसकी ग्राह्यता का प्रश्न है, आप मान्यवर अपने हृदय में बैठ कर स्वीकार कर लें, इसकी चर्चा को। आज जिन असलहों का प्रयोग हो रहा है उसकी तरफ सोचना पड़ेगा। रोजाना उत्तर प्रदेश में 100 लोगों का कट्टे में चालान हो रहा है। हर जिले में 10 लोग कट्टे बरामद करके पकड़े जा रहे हैं। लोगों को 10 ग्राम गांजा दिखाकर पकड़ा जा रहा है लेकिन कभी 5 क्विंटल गांजा पकड़ कर किसी का चालान नहीं किया गया है। कट्टे तो रोज 100 पकड़े जा रहे हैं लेकिन ए0के0-47 एक भी नहीं पकड़ी जा सकी है। हमारी बार्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है, सी0बी0आई0 है तमाम एजेंसियां हैं, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्वांचल के लिये भी लंबी चौड़ी व्यवस्था की गयी है, डी0आई0जी0 तथा आई0जी0 नियुक्त हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि कोई प्रवेश न करे, लेकिन लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। यह सत्य है कि असलहे आ रहे हैं इस सवाल पर गंभीरता से विचार करना है। आज जो स्थिति है उसकी गंभीरता में जायं। जो हमारे वी0आई0पी0 हैं उन पर हमला हो सकता है। डी0आई0जी0 और आई0जी0, सीमा सुरक्षा बल है, पुलिस है लेकिन केवल गरीब को 10 ग्राम गांजा दिखाकर पकड़ा जा रहा है और जो 5 क्विंटल गांजा लाने वाले लोग हैं वह कभी पकड़े नहीं जाते हैं। इसी तरह से रोज 100 लोगों को कट्टा दिखाकर पकड़ा जा रहा है लेकिन किसी के पास से एक भी ए0के0-47 नहीं बरामद की जा सकी है। आज पूरे प्रदेश के सामने संकट है। प्रदेश में बाहर की एजेंसियां घुस गयी हैं। पुलिस कुछ मदद नहीं कर पा रही है, हमारे जो नेता हैं, वी0आई0पी0 हैं इनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इसलिये इसकी ग्राह्यता पर चर्चा करा लीजिये, हो सकता है कि और कुछ सुझाव आ जायं। हमारे नेता सदन रहेंगे, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी रहेंगे। इसकी ग्राह्यता पर और इस पर चर्चा होनी चाहिये।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, अत्यन्त जघन्य हत्याकांड की ग्राह्यता पर बोलने का आपने अवसर दिया जिसके लिये मैं आपके प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूं। जो हमारे सम्मानित नेताओं ने बात कही है उसी मतलब की बात मैं कहना चाहता हूं सिर्फ मैं 2-3 तथ्यों को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। 10 फरवरी को संत ज्ञानेश्वर की हत्या हुयी, उनके साथ 8 लोगों की और हत्या हुयी। प्रश्न यह हो सकता है कि संत ज्ञानेश्वर का आपराधिक इतिहास हो सकता है, होगा, परन्तु उनके साथ जो मारे गये हैं अगर उनको देखा जाय तो बहुत ही व्यथित कर देने वाली स्थिति सामने आती है। मान्यवर, 5 लड़कियां मारी गयी हैं, छोटी-छोटी, जिनका क्या दोष था, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है वह सिर्फ उनके साथ थीं। इसलिये मेरा कहना है कि इस घटना को इस तरह से, इस संदर्भ में न लिया जाय कि जिसकी हत्या हुयी है उसका आपराधिक इतिहास था। हमें यह संज्ञान लेना होगा कि इस हत्याकांड में जिन हथियारों का उपयोग हुआ है वह कहां से आये। कृष्णानन्द राय जी की हत्या हुयी पूरा प्रदेश सिहर उठा, पूरा प्रदेश कहीं न कहीं भय की गिरफ्त में है, अभी उबरा नहीं है। इसके पहले श्री राजू पाल की 25 जनवरी को हत्या हुयी थी वह मामला भी उभर कर सामने नहीं आ पाया है। फिर यह हत्या हुयी, जिस इलाहाबाद-वाराणसी मार्ग पर यह हत्या हुयी है वह व्यस्ततम मार्ग है। हंडिया के पास क्रासिंग पर, जहां हत्या हुयी है वह एक महत्वपूर्ण मार्ग है और व्यस्ततम इलाका है। वहां मेले में जाने वाले लोग निकल रहे थे ऐसे व्यस्ततम इलाके में यह हत्या हो गयी।

इस तरह से 25 जनवरी को श्री राजू पाल की हत्या बसंत पंचमी के एक दिन पहले व्यस्ततम मार्ग पर हो गयी। उसमें सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति का नाम आया है। माननीय राय के मामले में भी सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति का नाम आया और यह जो हत्याकांड हुआ है उसमें भी सत्तारूढ़ दल के किसी विधायक का नाम आया है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। स्वचालित हथियारों से जिस ढंग से हत्यायें की जा रही हैं वह अत्यंत चिन्तनीय है। इस तरह की घटनाओं से अभी तक स्काटलैंड यार्ड पुलिस निपटती रही है। लेकिन यहां पर इस तरह की यह घटनाएं पहली बार हो रही है इस तरह से सामूहिक जघन्य अपराधों में अपराधी अपराध करके चले गए और कहीं पर भी एक अपराधी पकड़ा नहीं गया। इस घटना में एक जीप पर हमलावर सवार होकर आए और हमले के बाद उन्होंने जीप छोड़ दी उसके बाद वह पैदल गए होंगे और जहां पर यह घटना हुई वहां से हंडिया थाना एक किमी0 के अन्दर है घटना के बाद वहां पर काम्बिंग करके गिरफ्तारी की जा सकती थी। अब इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से घटनाएं हो रही है कि पांच छः लोग स्वचालित हथियारों से लैस होकर आते हैं और वह 50-60 लोगों के एक साथ होने के बाद भी अंधाधुंध फायरिंग करके 8-10 लोगों को मारकर आराम से चले जाते हैं। इस तरह का नरसंहार केवल गैंग के द्वारा हो सकता है। अन्यथा किसी को अकेले पाकर किसी समय पर मारा जा सकता है लेकिन 50-50 लोगों के बीच भी हत्याएं इस तरह से व्यवस्थित ढंग से की जाती है जी0टी0 रोड पर इस तरह से हत्याकांड किया जाना यह चि ता का विषय है इस पर विचार करना चाहिए। सभी जगहों पर इतनी निर्मम तरीके से हत्याएं करके अपराधी फरार हो गए चाहे कृष्णा नन्द राय की हत्या रही हो, राजू पाल की हत्या रही हो इन हत्याकांड में इन लोगों के अलावा 7-8 लोग और मारे गए तो उनका दोष तो नहीं हो सकता है यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं जब कृष्णा नन्द राय की हत्या हुई थी उस समय मैंने सी0बी0आई0 जांच की मांग की थी अगर उसी समय हमारी यह मांग मान ली जाती तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होती। अभी भी सरकार चेते और इस पर विचार करे। सामूहिक हत्याएं नहीं रुक पा रही है इस की सी0बी0आई0 जांच की जाय ? क्योंकि यह अन्तर्राज्यीय गिरोह है जहां सत्ता पक्ष की भागीदारी हो वहां प्रदेश की पुलिस निष्पक्षतापूर्वक जांच नहीं कर सकती है। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

*श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण घटना की ग्राह्यता पर मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आभारी हूं। हमारे माननीय दल के नेताओं, सदस्यों ने इस घटना की गम्भीरता पर चिन्ता प्रकट की है। इस 14वीं विधान सभा में इस तरह की घटनाओं पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं हर समय सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में कानून व्यवस्था बेहतर है। अध्यक्ष महोदय, ए0के0-47 हथियारों का प्रयोग अभी तक बिहार में होता था लेकिन जिस तरह से इन हथियारों का खुले आम प्रयोग बिहार में होता था उसी तरह का प्रयोग यहां हो रहा है और नरसंहार हो रहा है। जिस तरह से कृष्णा नन्द राय की हत्या हुई और उनके साथ 8 लोग मारे गए उसी तरह से ज्ञानेश्वर के साथ 8 लोग मारे गए इस तरह की घटनाओं में आस-पास जितने लोग होते हैं उन सभी को मार दिया जा रहा है। इसके बाद भी राज्य सरकार दुहाई दे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है सभी लोग सुरक्षित हैं लेकिन आज संत सुरक्षित नहीं हैं, विधायक सुरक्षित नहीं है आम आदमी सुरक्षित नहीं है। अभी मंत्री जी का उत्तर आएगा कि संत का आपराधिक इतिहास था, हत्याओं के मुल्जिम थे क्योंकि जिस तरह से हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उनके आश्रम में कोई जा नहीं सकता था केवल युवतियां जा सकती थीं उसकी भी जांच करना आवश्यक है क्योंकि संत के भेष में अगर कोई अपराध करता है, हत्या करता है किसी जिलाधिकारी की हत्या कर दे किसी विधायक की हत्या कर दे, किसी पत्रकार के ऊपर हमला कर दे तो क्या उसके लिए कानून का राज नहीं था, कानून का सवाल नहीं था। तो जिस तरीके से घटनाएं घटित होती गई और उन हथियारों का प्रयोग हुआ जो कि प्रतिबंधित है और उन जगहों पर उनका प्रयोग हुआ, किसी अन्धेरे में नहीं हुआ। मान्यवर, हत्याएं होती थीं आदि काल से लेकिन आज जिस तरीके से ब्लांड वे लाइट मर्डर हो रहे हैं जिस तरीके से सामूहिक हत्याएं हो रही हैं जैसा कि अभी इलाहाबाद के बारे में माननीय नरेन्द्र कुमार सिंह गौर ने बतलाया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज हत्यारों के हौसले इतने बढ़ गये हैं कि वे पार्टी से जुड़े लोगों, अभी जैसा कि कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन की हत्या की बात हो, ब्लाक प्रमुख की हत्या की बात हो, महत्वपूर्ण लोगों की हत्याएं हो रहो हैं अभी इलाहाबाद में संत ज्ञानेश्वर की हत्या हो गई तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। इस तरह की घटनाएं आज इलाहाबाद, गाजीपुर, बस्ती, पूर्वांचल, मथुरा सभी जनपदों में आज आप फेहरिस्त देखें तो सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की, व्यवसाइयों की, व्यापारियों की हत्याएं हो रही है। मान्यवर, आज जिस तरीके से अपराधी ए0के0-47, ए0के0-56 जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या सरकार यह चिन्ता नहीं करेगी कि जिन प्रतिबंधित हथियारों का प्रयोग आज अपराधी कर रहे हैं तो उससे कानून की धज्जियां नहीं उड़ायी जा रही है। पुलिस प्रशासन का और सरकार के इखलाक का दुरुपयोग नहीं हो रहा है ? मान्यवर, यह अत्यन्त ज्वलन्त और लोक महत्व का प्रश्न है। अतः आप कृपया इसे कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करके सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष जी, इस गम्भीर मसले की ओर कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। मेरे पास इसकी थोड़ी तफसीलात है लेकिन मेरी बात को बहुत हल्का कर दिया जगदम्बिका पाल जी ने और उस पहलू पर भी आपने रोशनी डाली है जो शुरुआत से है। रिपोर्ट पढ़ने से और मारे जाने वाले लोगों की सूची देखने से दुःख होता है। पीर, फकीर, संत लोग इस तरह से मारे जायं तो यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन मान्यवर, कानून के पास कोई ऐसा अधिकार नही है कि वह पहले से कोई अन्दाजा लगा ले। जब कोई घटना होती है तो कानून अपना काम करता है। अब संत जी के ऊपर बहुत से हीनियस क्राइम्स थे लेकिन वे अदालत से जमानत पर थे। मान्यवर, माननीय न्यायालय द्वारा जमानत मिली हुई है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। एक चीज बहुत गम्भीर है और जिस पर माननीय नेता विरोधी दल ने प्रकाश डाला है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जो कि प्रतिबंधित है जैसे कि ए0के0-47, ए0के0-56 मान्यवर, हम लोग आपस में कितनी बहस कर लें इधर बैठकर या उधर बैठकर यह जो इतने बड़े अपराधी हैं जो इस तरह से इन प्रतिबंधित हथियारों का प्रयोग करके हत्याएं कर रहे है जाहिर है कि उन्होंने यह असलहे भी गलत तरीको से ही हासिल किये होगें। यह बहुत गम्भीर बात है और सरकार इसकी निन्दा करती है और कानूनी कार्यवाही कड़ी से कड़ी हो सकती थी वह की गई है।अभी एक माननीय सदस्य का कहना था कि इलाहाबाद से गाड़ी चली थी और यह हत्या हो गई।

मान्यवर, हर देश के पास मुखतलिफ किस्म की एजेन्सियां है। देश की हिफाजत के लिये देश के पास फोर्सेज है लेकिन दुनिया का कोई देश ऐसा नही है जहां की सरकार अपने देश के हर व्यक्ति को सुरक्षा दे सके। यह बिल्कुल सम्भव नहीं है। मैं कहने को कह दूं लेकिन यह बिल्कुल सत्य से परे है। माघ मेले में सुरक्षा की व्यवस्था आपकी बात से ही पता चल जाती है कि वहां पर कोई गड़बड़ी नही हुई। घटना रास्ते में होती है। कमी है तो इस पर चेकिंग होनी चाहिए लेकिन इस पर सरकार ने, कानून ने अपनी पूरी कार्यवाही की है और सरकार की तरफ से किसी मुजरिम की हिम्मत अफजाई करने और पनाह देने का प्रश्न नहीं उठता।

मान्यवर यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इसे अग्राह्य किया जाना चाहिए। इतना जरूर कहूंगा, फिर बार-बार वही बात आती है कि आपके साथ बैठें और इस पर कोई राय

बनाएं। आज भी कई ऐसे मामले हुए है जिसमें यही राय बनी है कभी-कभी जब बहुत सी चीजों से मायूसी हो जाती है तब हम लोग चाहते है कि सर जोड़कर बैठें। जिस तरह से क्राइम हुए है, जिस स्तर पर हुए है, जैसे लोगों ने किये है जैसे लोग के साथ हुए हैं, इसमें दो पहलू है इसमें दोनो का अपना-अपना व्यक्तिगत इतिहास रहा है यह मान्यवर बड़ा गम्भीर मामला है। आज भी टेलीविजन पर या कल जो देखा गया है जिसे लेकर सदन में कार्यवाही नही चल सकी। यह सब चीजे कहां जाकर रूकेंगी। खासतौर से सदन में बैठे लोग जो अपने को सम्मानित लोग कहते है। राजनीतिक लोग कहते है। इसमें कुछ लोग की वजह से तमाम लोगों को क्या-क्या सहना पड़ेगा ? क्या-क्या सुनना पड़ेगा इसमें गम्भीरता से विचार करने की जरूरत जरूर है। हमें कितना कामयाब होना चाहिए यह मैं नही जानता कितनों से हम ए0के047 ले पाएंगे,कितनों से हम ए0के056 ले पायेंगे कितनों को सही रास्ते पर ले जा पायेंगे। सरकार तो अपना काम कर रही है कानून अपना कार्य कर रहा है, लेकिन इन चीजों पर गहन विचार करने की जरूरत है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद में इस समय कितनी घटनायें हो चुकी है। वहां की स्थिति बहुत सेंस्टिव है कई घटनायें हुई हैं यहां पर विशेष पुलिस की व्यवस्था सरकार करे। ताकि ऐसी घटनायें न हो। दो महीने से वहां एस0एस0पी0 नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

इसको विशेषतौर से दिखावाया जाएगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मैं आपके माध्यम से एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं सरकार ने जिन परिस्थितियों का बयान करते समय पूरे सदन के सहयोग लेने की बात कही है आपके कक्ष में बैठकर,लेकिन सरकार ने यह संकल्प स्पष्ट नहीं किया कि जो अवैध हथियार हैं इसका आगमन प्रदेश की सीमा के भीतर रोकने पर किस तरह सरकार सख्ती करेगी, कैसे इसको रोकेगी ? इन हथियारों से अपराध हुए हैं सरकार ने माना हैं लेकिन सरकार ने यह संकल्प व्यक्त नहीं किया कि आगे से इन अवैध हथियारों की आमद रोकने के लिए सरकार क्या करेगी ? दूसरी बात जहां तक पूर्वांचल की बात है। पश्चिम में मेरठ गढ़ रहा है वहां छोटा शकील का गिरोह बन रहा है इसको भी देखने की आवश्यकता हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

यह प्रतिबन्धित हथियार है यह मान्यता प्राप्त नही है। यह चोरी छिपे लाये जाते है। इन्हे रोका जाता है इसमें और कड़ाई होनी चाहिए इसमें दो राय नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय बहुजन समाज पार्टी नेता, माननीय नेता कांग्रेस और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। संसदीय कार्य मंत्री का सुझाव है कि इन सब मामलों में सब नेताओं को बैठकर आपस में सोचने की जरूरत है। कोई इसका तरीका निकाला जा सकता है। आज कानून व्यवस्था पर सारी घटनाओं पर चर्चा हो चुकी है। इसी प्रकार की घटनाओं पर चर्चा हुई है उसका भी जवाब आया है। राज्यपाल से संबंधित भी सेम घटना थी और इसी तरह की थी। इस पर चर्चा हो चुकी है। हम संसदीय कार्य मंत्री के सुझाव से सहमत है। मैं भी यह चाहता हूं मा0 नेता

सदन, मा0 नेता प्रतिपक्ष एंव अन्य नेता एवं संसदीय कार्यमंत्री जी इसमें बैठें और गम्भीरता से विचार करें। सारे विचार के बाद कोई निष्कर्ष निकलता है तो ठीक है वरना फिर बैठेंगे। इसको मैं अग्राह्य करता हूं। इसी तरह से जो मामला कुमार जी ने दिया है इसमें बैठक में बात होगी यह बाद में होगा। अगला सुरेश कुमार खन्ना जी का है कल से यह लगाए है बताएं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मैं आपका आभारी हूं आपने नियम 311 के तहत मेरी सूचना पर ब्लाक प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता से कराये जाने के संबंध में ग्राह्यता पर बोलने के लिए अवसर दिया...

श्री अध्यक्ष--

यह जीरो आवर में था नियम 56 में परिवर्तित किया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मैंने नियमों को निलम्बित कर सुनने की मांग की थी लेकिन आपने इसे कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार किया, मैं इसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, जिला पंचायत के चुनाव का काफी समय बीत गया है। मैंने इसी माननीय सदन के समक्ष अपनी बात रखने का पूरा प्रयास किया था और आपकी अनुमति न मिलने के बाद भी अपनी बात रखने की चेष्टा की थी। आज फिर से ब्लाक प्रमुखों के चुनाव सिर पर है, सम्भवत: 27-28 को होने जा रहे है या फिर मार्च में होंगे। चाहे कोई पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सारे समाचार-पत्रों से लेकर इलेक्ट्रानिक मीडिया तक में यही आ रहा है कि ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में क्या मापदण्ड अपनाया जा रहा है। मान्यवर, एक राजनैतिक कार्यकर्ता विकास के आधार पर, अपनी पर्सनालिटी के आधार पर चुनाव लड़ने की योजना बनाता है लेकिन ब्लाक प्रमुखों के चुनाव जिस मापदण्ड के आधार पर हो रहे है उससे इस सदन का ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का सिर झुक जाता है। अपने जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जी कह देंगे कि संविधान का संशोधन इसमें बाधा है इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जब पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए सभी लोगों की एक ही भावना है और प्रदेश की इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है फिर भी इस पर कोई सार्थक फैसला न होना, जिससे हम इस व्यवस्था को रोकने में सक्षम हो सके तो हमारे यहाँ बैठने का क्या औचित्य है और न इस सबसे बड़ी पंचायत का है। एक ही बात हो रही है कि कौन उसकी बोली पूरी करने में सक्षम है। जो कार्यकर्ता पाँच साल तक मेहनत करता है, खून-पसीना बहाता है, चाहे किसी को कुत्ता काटा हो, उसको इंजेक्शन लगवाना हो, किसी के साथ ज्यादती हुई है, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराना हो, राजनैतिक कार्यकर्ता ही जाता है। चाहे थाना, तहसील या ब्लाक में कोई काम हो, वह जाता है लेकिन जब चुनाव का मौका आता है तो बड़े-बड़े धन्ना सेठ ब्लाकों पर कब्जा करने के लिए किसी एक क्षेत्र से अपने बाहुबल के आधार पर किसी रूप में बी0डी0सी0 के मेम्बर बन जाते है और वह ब्लाक प्रमुख बनने का दावा करते है और फिर वह सम्पूर्ण राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते है। मान्यवर, दो विकल्प है, जिला पंचायत के चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार पैसे के द्वारा चुनाव को प्रभावित किया गया, किस प्रकार से बाहुबल से चुनाव प्रभावित किये गये। मैंने अपनी नोटिस में भी दिया है, 73 वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 (ग), 5 (ख) में यह व्यवस्था है लेकिन आप कह देंगे कि यह प्रक्रिया लम्बी है। जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। यह सदन सर्वसम्मति से इस बात का प्रस्ताव पारित करे कि ब्लाक प्रमुखों का चुनाव जनता से सीधे कराये जाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए।

श्री अध्यक्ष--

आप संकल्प लायें, नियम 56 में क्यों दे रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

यदि ऐसा है, चुनाव कराना इतना आवश्यक है और चुनाव होना ही है तो जो व्यवस्था वर्तमान में है और उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार है उसमें संशोधन करके उसको कम किया जाना चाहिए और व्यावहारिक स्थिति यह है कि यदि क्षेत्र छोटे हों और सदस्य संख्या ज्यादा हो तो इस भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

आपने पूरी बात कह दी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, सुझाव यह है कि अगर बी0डी0सी0 के सदस्यों के स्थान पर यह चुनाव ग्राम पंचायतों के सदस्यों के माध्यम से हो तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। आज जो परिस्थिति हमारे सामने है उसको देखते हुए इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ कि यह सरकार हर स्तर पर ब्लाक प्रमुखों के चुनाव के पहले इस सम्बन्ध में कोई फैसला करे। इसके साथ ही आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के अपने स्थान पर खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब, आपकी नोटिस नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मेरा कहना है कि आप इस पर संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लें और इस पर फैसला सुरक्षित रख लें। अगर माननीय सदस्यों की राय हो तो हम इस पर संकल्प ला सकते है और वह संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित करके पार्लियामेंट में भेज सकते है।

श्री अध्यक्ष--

वह है लेकिन बात यह है कि चुनाव आसन्न है, पार्लियामेंट से यह संशोधन होना है, और चुनाव रोका भी नहीं जा सकता है। इसमें व्यावहारिक कठिनाई भी तो देखिए। माननीय खन्ना जी का सीधा सा कहना है कि इन चुनावों में धनबल से बी0डी0सी सदस्यों को प्रभावित किया जाता है और बिना किसी सेवा भावना के वह ब्लाक प्रमुख हो जाते हैं। इसको रोका जाना चाहिए। उनका इतना मत है।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, यह जो नियम 56 में माननीय विधायक जी द्वारा प्रश्न उठाया गया है वह बहुत ही उचित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप उस समय हमारे साथ थे जब हमने उसमें सीमा 21 से 18 साल कर दी और उसमें ब्लाक प्रमुख, ग्राम पंचायतों का चुनाव सीधे कराने का निश्चय है। इस लिए मेरा कहना है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है। अभी तक जो सूचना है और सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि अध्यक्ष, बी0डी0सी0 के सदस्यों को पहाड़ पर या अन्य जगहों पर घुमाने के लिए ले जाया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

यह सभी करते होंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

आपने भी कभी ऐसा किया है क्या ?

श्री हुकुम सिंह--

मेरा यह सुझाव है कि अगर सरकार इसको गम्भीरता से ले तो एक महीने के लिए चुनाव स्थगित हो जाये और इसमें यह हो सकता है कि इसमें प्रधानों को भी बी0डी0सी0 सदस्य मान लिया जाये तो उनका इलाज हो जायेगा जो लोग बाहर चले गये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

हुकुम सिंह जी तो बुजुर्ग होने लगे हैं। इतनी लुकाछिपी नहीं करनी चाहिए यह पता लगाने के लिए कि कौन कहाँ गया है। अब अच्छा नहीं लगता। माननीय खन्ना जी ने जो नोटिस दी है उसमें एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यह तो वही बात हुई कि कौआ कान ले गया, कान देखा नहीं और कौओं के पीछे भागे चले जा रहे हैं। यह बिलकुल वही स्थिति है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शेम-शेम कहा गया।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का कहना है कि आपने कोई साक्ष्य नहीं दिया। किसी ब्लाक का नाम लेकर अपनी बात नहीं कही।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, सभी बालिग सदस्य है, अगर आपने बालिग होने का सबूत नहीं दिया तो उन सदस्यों की कोई गलती नहीं है। जो लोग पहाड़ गये है वह सब अपनी मर्जी से गये है और वहां घूम फिर रहे है। यह ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है अत: आपसे अनुरोध है कि इसे अस्वीकार करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

जितने हल्के तरीके से संसदीय कार्यमंत्री ने लिया उतने हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। सारे इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रेस को माचिस जलाकर आग लगा दें। यह सही है कि हम अखबारों का संज्ञान नहीं लेते है लेकिन ऐसा नही है कि सार्वजनिक जीवन में आप लोग अखबारों को महत्व न दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय खन्ना जी मेरी बात सुन लें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का कहना सही है कि आपको स्पेसिफिक लिखना चाहिए था कि फलां ब्लाक में फलां जगह इतने बी0डी0सी0 को उठा लिया गया तो उसको गम्भीरता से लिया जाता।

(व्यवधान)

आप हमारे निर्णय को तो सुन लें।

(माननीय नेता विरोधी दल के खडे होने पर)

आप कुछ कहेंगे।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, यह सब जानते है, सारा सदन जानता है कि जैसे पशु बिकता है इसी तरह से बी0डी0सी0 के सदस्य भी बिकते है। इनको बुरा लग रहा है। यह कौन लोग हैं जो चुनाव लड़ा रहे है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। जो प्रारम्भिक इकाई है, जहां से आगे बढ़कर वह विधायक होंगे, उसके बाद सांसद हो सकते है, मंत्री भी होंगे अगर ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है कि पैसा लेकर वोट देंगे या वोट खरीदेंगे तो इसके ऊपर सरकार को निर्णय करना चाहिए। यह अधिकार राज्य सरकार का है कि वह डायरेक्ट कराये या इन्डायरेक्ट करायें। इसमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इस विषय को हंसी में नहीं लिया जाना चाहिए।। आज यह व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, नीचे से ऊपर तक यह चल रहा है। किसी के बारे में कुछ निकल रहा है, किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, आज बाजारों में रेट्स खुले हुए है कि फलां जगह इतना मिल रहा है, फलां जगह इतना मिल रहा है तो इसको स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र की विशेषता यह भी होनी चाहिए कि बड़ी हिम्मत के साथ यह स्वीकार करना चाहिए। जो बुराई हो रही है उस बुराई को एक जुट होकर उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। जो खन्ना जी ने विषय उठाया है उसकी महत्ता को कम न करें। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। आप कैसे हल करेंगे यह दूसरी बात है। आप राय बना लें, प्रस्ताव पास कर लें, कानून देख लें। यह हो रहा है और यह आपको मालूम भी है। आप इस सदन के संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते, आपका दायित्व है कि इसको रोकें और उसके लिए जो उपाय है, उसको देखें, उसके ढांचे को बदलें। तमाम रास्ते हैं सीधे वोटिंग करायी जाय, हुकुम सिंह जी ने जैसा कहा है कि इसमें प्रधान को भी वोटिंग में शामिल कर लिया जाय तो थोड़ा भाव कम हो जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

और महंगा हो जायेगा।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर प्रश्न माननीय खन्ना जी ने उठाया है, संविधान में संशोधन लाने की आवश्यकता न पड़े लेकिन न्याय विभाग है, न्याय विभाग से संसदीय कार्यमंत्री परामर्श ले लें। मेरी चिन्ता कुछ और है। कल का अनुभव, बीते कल का अनुभव आगे आने वाले कल के लिए रास्ता दिखाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में जिस प्रकार से बाहुबल और धन बल का प्रयोग हुआ है और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गयी है उसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल ने भी अपने एक भाषण में किया था और इलाहाबाद की घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि यह चिन्ता की बात है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने उदाहरण की बात की है। इलाहाबाद में एक विशेष राजनीतिक दल के चार कार्यकर्ता उठाकर के डी0आई0जी0 की अभिरक्षा में तब तक बन्द कर दिया गया जब तक कि चुनाव समाप्त नहीं हुए, परिणाम क्या हुआ ? क्या नहीं हुआ ? अब जो मेरी जानकारी है और वह निश्चित जानकारी है कि जिस प्रकार से ब्लाक प्रमुख के चुनाव कराने की बात हो रही है। उसी प्रकार से स्थानीय निकाय के अध्यक्ष भी चुने जाय। आज स्थानीय निकाय के चुनाव में, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष, नगर निगम के नगर प्रमुख

का चुनाव सीधे जनता से होता है। अब पत्रावली तैयार हो गयी है कि नगर निगम म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट में दूसरे सभी अधिनियमों में संशोधन करके उसमें भी अप्रत्यक्ष चुनाव कराने की बात हो रही है ताकि वहां बाहुबल और धन बल का प्रयोग करें और फिर पुलिस की धमकी, ए0के0 47 का प्रयोग करें, सब कर के सारे नगर निकायों के ऊपर सत्तारूढ़ दल अपना कब्जा कर ले। इसलिए हमने कहा कि यह बहुत गम्भीर बात है और मुझे विश्वास है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री इस प्रकार का अगर कोई प्रस्ताव है तो उसको रोकने की चेष्टा करेंगे और अगर आयेगा तो हमारी आशंका सिद्ध हो जायेगी कि यह सरकार लोकतंत्र में नहीं बन्दूक में और धन पर विश्वास करती है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय खन्ना जी को सुना, माननीय नेता विरोधी दल को सुना और संसदीय कार्यमंत्री को सुना और ये जो प्रश्न है जो प्रश्न चुनाव के संदर्भ में माननीय खन्ना जी ने उठाया है उसकी गम्भीरता की तरफ पूरा सदन अपना ध्यान लगाये हुए है और यह चूंकि एक गम्भीर मामला है और इसमें सभी राजनीतिक दल भी मुख्य रूप से सभी राजनीतिक दलों के भी प्रत्याशी होंगे और सभी राजनीतिक दलों के बी0डी0सी0 सदस्य होंगे इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि एक सामूहिक प्रयास करके इसको किस प्रकार से रोकें और इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। एक बात सरकार से कहना चाहूंगा कि इस तरह की जहां कहीं भी शिकायत मिले जहां धन बल का प्रयोग हो रहा है उसकी शिकायत मिले तो उसकी जांच कराई जाय और जो इसका प्रयोग कर रहे है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इस संदर्भ में मै उनको, आपको और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह के अगर आप चाहेंगें तो मै बहुत से वाकयात दे दूंगा, जहां कही शिकायत मिली है, जबतक मान्यवर किसी व्यक्ति से, परिवारजन से कोई शिकायत न मिले कि उसके सदस्य को उठा लिया गया हैं, बन्द कर दिया गया है, तब तक उसमें क्या किया जा सकता है। जहां-जहां इसकी शिकायत मिली है उसकी बरामदगी कराई गई है और आगे भी ऐसा होगा, इसलिए हमने कहा कि अगर खन्ना जी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया होता, कोई वाकया इसमें किसी एक व्यक्ति का भी रखा होता तो आपकी बात में बल होता।

श्री अध्यक्ष--

इस विषय पर मैंने सबको सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(व्यवधान)

सबको अपने अन्दर झांक कर देखना चाहिए कि इसको कैसे बन्द करना चाहिए, यह किसी एक आदमी की बीमारी नहीं है यह एक सामूहिक बीमारी उत्पन्न हो गयी है।

चौधरी महेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 56 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष--

आप संक्षेप में अपनी बात कह दें।

चौधरी महेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह घटना 08 फरवरी की है जनपद अलीगढ़ के कस्बा हरदुआगंज में मुहर्रम के पर्व पर ताजियों के अलम जुलूस के दौरान एक छज्जा और एक दीवार गिरने से छज्जे पर बैठे 20-25 बच्चे नीचे दब गये बच्चों के दबने से वहां पर जो जुलूस में शामिल लोग थे और जो बाहर के लोग थे उन्होंने बच्चों को निकाला, उसमें एक बच्चे की मौत हो गयी। उसमें जो घायल हो गये थे बच्चे, उन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया उनमें से जिस बच्चे की जो मौत हुई थी रिजवाना (10 वर्ष) थी। मान्यवर, उसमें दानिस (11 वर्ष), घोटू (8 वर्ष), रहीस (16 वर्ष), भोलू (8 वर्ष), अरीबा (9 वर्ष), कासिब (11 वर्ष), नौसीन (10 वर्ष), जावेद (22 वर्ष), इमीसा (8 वर्ष), आमिर (8 वर्ष), नवेद (10 वर्ष), इसरार (40 वर्ष), निकार अहमद (12 वर्ष), शेरवानो (12 वर्ष), रसीद (40 वर्ष), शरूख (10 वर्ष).. इरम (8 वर्ष), आदि (10 वर्ष), शासरा (12 वर्ष), मुजम्मिल हुसैन (15 वर्ष), खुशनुमा (12 वर्ष), इन बच्चों को मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया गया है। मान्यवर, बड़े गरीब लोग जो देहातों से आकर उस कस्बे में बसे हुए है और उनमें कुछ परिवार तो ऐसे है जो किराये के मकानो में रहते हैं। मान्यवर, उनमें कई बच्चों को तो 3-3 जगह से उनके पैर में और उनके बाजू में फैक्चर हुआ है। कई की इसमें हालत गंभीर है।

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा मरा है और उसमें जो गंभीर हालत में बच्चे है और अत्यन्त गरीब परिवार से है, उसमें मैं नेता सदन से मांग करता हूँ कि जो मृतक के परिवारजन है उनको 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाये और जो गंभीर रूप से घायल है उनके परिवारजन को 2-2 लाख रुपये की सहायता दी जाये। मैं यह भी मांग करता हूँ कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने जो मांग रखी है कि उनको आर्थिक सहायता दी जाये तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप कुछ कहेंगे या मैं इस पर ध्यान आकृष्ट कर दूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, हम विचार कर लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसकी बाबत आग्रह कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है बात हो गयी। यह नियम 56 में नहीं आता मैं इसे निरस्त करता हूँ।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, आपने मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए एक मसले पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, एन्टी रैबीज वैक्सीन कुत्ते के काटने पर या बन्दर के काटने पर लगायी जाती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो पैसे वाले लोग होते है वह तो बाजार से खरीद कर लगा लेते है और जो गरीब तबके के लोग है वह सीधे सरकारी अस्पताल भाग कर जाते है और यह अपेक्षा करते है कि वहाँ उनको एन्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध हो जायेगी और लगा दी जायेगी।

मान्यवर, हमारे यहाँ वाराणसी में श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय चिकित्सालय है वहाँ पर हजारों गरीब मरीज केवल उस जिले के ही नहीं अपितु पूर्वान्चल के जिलों के रोजाना इलाज के लिए आते है उसमें से कुछ लोग कुत्ता काटने के बाद इंजेक्शन लगाने के लिए आते हैं। मान्यवर, आज की तारीख तक अस्पताल में एक भी एन्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, मैने अपनी सूचना में एक वाक्या का जिक्र किया है कि इसी 9 तारीख को एक मुहल्ले के जहाँ बहुत गरीब लोग बसते है उनके परिवार के 11 लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिया और जब उन सबको लेकर मैं श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल आया।

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना है कि एन्टी रैबीज वैक्सीन का अभाव है, तो मैं सरकार का इस पर ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मैं एक बात की प्रशंसा भी करना चाहता हूँ कि जब मैं उन मरीजों को लेकर अस्पताल में गया तो मुझे चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि एक भी सुई उपलब्ध नहीं है। मैंने श्री जयवीर सिंह जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है उनसे फोन पर सम्पर्क किया तो उन्होंने तुरन्त ही अधीक्षक को इस बारे में निर्देश दिया और कहा कि यदि सुई उपलब्ध नहीं है तो आप इसके बारे में मुझको लिख करके भेजे। मेरे सामने अधीक्षक ने उन्हें बताया कि पहली जनवरी को जो डिमाण्ड भेजी गयी है वह 400 वायल की भेजी गयी है और एक भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मंत्री जी ने फोन पर कहा कि चौधरी साहब जिन लोगों को लेकर अस्पताल आये हैं, उनको आप किसी भी तरह से वैक्सीन उपलब्ध करायें। यह में कहना चाहता हूँ कि विशेष परिस्थिति में उन लोगों को फिर इन्जेक्शन उपलब्ध करायी गयी और लगायी भी गयी। लेकिन आज की तिथि तक उस अस्पताल में एक भी एन्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से चाहूँगा कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण अस्पताल है और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो कृपया एन्टी रैबीज वैक्सीन, जो लोग आते है उनको लग जाया करें। सरकार इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी व्यवस्था करा दें। इनके यहाँ दवा की कमी है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं कि कुत्ते भी बहुत बढ़ गये है और काट भी बहुत रहे है, सही है।

(हंसी)

मान्यवर, कमी हो गयी थी लेकिन आदेश जारी हो गये है और उपलब्ध करा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

अब इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

*श्री धर्मपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, 13 तारीख को माघ पूर्णिमा के अवसर पर हमारी विधान सभा में एक गांव अलीगंज है और वहां से प्रभातफेरी निकलती है। यह प्रभातफेरी विगत 10 वर्षों से निकलती चली आ रही थी। प्रभातफेरी मुश्किल से थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो एक मुस्लिम परिवार के घर के सामने पहुँची उन्होंने आपत्ति की कि यह प्रभातफेरी यहां से नहीं निकलेगी दोनों पक्ष थाने में गये, थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को बुलाया और दो घंटे बैठालकर थाने में पंचायत की कि जो पुरानी परम्पराएँ हैं, जो प्रभात फेरी 10 वर्षों से निकलती चली आ रही है तो प्रभातफेरी निकलेगी। पंचायत होने के बाद जब दोनों पक्ष वापस आ रहे थे सिपाही भी उनके साथ थे। जब वहां पर पहुचे इसके पहले ही उपद्रवियों ने उपद्रव कर दिया। सिपाही के गोली लगी और ईंट, पत्थर, बारूद, बम, तलवार आदि से यह हमले हुए, एक की मृत्यु हो गयी और एक का हाथ कट गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी गम्भीर वारदात में पुलिस ने घटना की रिपोर्ट उन लोगों के खिलाफ लिख दी जो थाने में बैठे थे थाने में जिन्होंने फैसला कराया था। दोनों पक्षों के लोगों का फैसला हुआ और उनकी रिपोर्ट थाने में गलत लिखी गयी। नाइंसाफी हो गयी मेरा यह निवेदन है कि इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक का हाथ कटा है, और बहुत सारे लोग घायल हो गये हैं। जिसमें निर्दोष व्यक्ति मारे गये हैं और जिनके हाथ कटे हैं इस केस की आप सी0बी0सी0आई0डी0 जांच करा दें। इतनी पुरानी परम्पराएं रही हैं इसको क्यों रोका गया इसकी गहराई में जाकर इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लेंगे और परीक्षण कराकर जो भी वाजिब कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने माननीय सदस्य को सुना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुना, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ।

(श्री राम इकबाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, जनपद भदोही में जिला पंचायत चुनाव में पुलिस की गोली से श्री गिरीश नारायण पाण्डेय की हुई मृत्यु विषयक मेरी नियम 56 की एक सूचना है। मैंने कल भी दिया था, अध्यक्ष जी, ने कहा था कि आज स्वीकार कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रंगनाथ मिश्र जी, आपकी सूचना को नियम 51 में परिवर्तित दिया गया है, इस पर शासन को वक्तव्य का निर्देश हो जायेगा।

(इस बीच श्री रंगनाथ मिश्र सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

मिश्र जी, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। आपकी बात लिखी नहीं जायेगी। [x x x]

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, माननीय सदस्य वेल से बिना आपकी अनुमति के बोल रहे हैं, आप यह निर्देश दें कि वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा। उसके लिये सही जगह और आपकी अनुमति आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता--

मिश्र जी, आप बहुत पुराने सदस्य हैं। आपकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने नियम 51 में परिवर्तित कर दी और निर्देश कर दिया कि इस पर वक्तव्य आ जायेगा और यदि आप वक्तव्य से संतुष्ट नहीं होगें तो नियमावली के किसी नियम 165-166 में अपनी बात पुन: ला सकते हैं, तो उस पर छानबीन हो जायेगी, छानबीन के बाद अगर आपकी बात सच होगी तो उस पर कार्यवाही भी होगी। अब कृपा करके आप आसन ग्रहण करे।

(श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा सदन के फ्लोर से)

[x x x]

श्री अधिष्ठाता--

आपकी बात सुन ली गयी, अब कृपया आप आसन ग्रहण करें।

(इस बीच बहुजन समाज पार्टी के कुछ अन्य माननीय सदस्य भी सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, यह बार-बार कुत्ता काटने की बात का जिक्र कर रहे हैं। कुत्ता काटने से फोबिया होता है, [x x x]।

(इस बीच श्री रंगनाथ मिश्र सदन के फ्लोर से वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री रंगनाथ--

[x x x]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रंगनाथ मिश्र जी, जो बोल रहे है, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र--

[x x x]

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, माननीय सदस्य कुछ बाते रखना चाहते हैं उनको सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राजभर जी, माननीय सदस्य रंगनाथ जी ने नियम 56 में एक सूचना दी, माननीय अध्यक्ष जी ने उसको नियम 51 में परिवर्तित करके शासन को वक्तव्य का निर्देश दे दिया। तीन-चार दिन में वक्तव्य आ जायेगा। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो माननीय सदस्य को

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियमावली के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है, वह उसमें दे सकते हैं तो विशेष छानबीन हो जायेगी और तब यदि माननीय सदस्य की बात सही है और सरकार के उत्तर में कुछ विसंगति है तो शासन को निर्देश हो जायेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र--

जब डी0एम0 खुद इन्वाल्व है तो आप उनसे क्या रिपोर्ट मंगवायेंगे ? आप 15 अक्टूबर की खबर को स्वयं देख लें।

श्री अधिष्ठाता--

नियम 56 में भी तो शासन जिलाधिकारी से ही रिपोर्ट मंगवायेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, केवल सी0आई0डी0 की जाँच करा ली जाय और उसको 5 लाख मुआवजा दिया जाय, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं माँग रहा हूँ [xxx] यह सरकार भी [xxx] विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेने के लिए [xxx] का नाम लेती है। यह सरकार और विपक्ष मिलकर [xxx] के खिलाफ जो कर रहे हैं, उसके लिये जनता इनको भी सबक सिखा रही है। कम से कम आप कुछ निर्देश तो दे दें ताकि सी0आई0डी0 की जाँच हो जाय। हम तो दूसरी कोई बात माँग भी नही रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी सूचना नियम 56 में स्वीकार ही नहीं की गयी, इसलिये कोई निर्देश का प्रश्न ही नहीं होता।

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, नियम 56 की सूचना नियम 51 में परिवर्तित नहीं होती। हमारी सूचना पर सरकार का वर्जन आना चाहिये, पता तो चले कि आप क्या निर्देश दे रहे हैं और सरकार क्या न्याय करना चाहती है।

श्री अधिष्ठाता--

परिवर्तित होती है आपकी बात अनुज्ञा के बिना भी सुन ली गयी, परन्तु सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, आपने इनकी बात का संज्ञान ले लिया..

श्री अधिष्ठाता--

मैंने संज्ञान नहीं लिया है, बिल्कुल नहीं लिया है।

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, चूँकि एक [xxx] की हत्या हुयी है, इसलिये यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है और विपक्ष भी नहीं सुन रहा है।

नोट [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मेरे ख्याल से यह अति है। श्री जगदम्बिका पाल की बात किसी हद तक मुनासिब है। कि इसका संज्ञान लिया जा रहा है। बार-बार जाति विशेष का नाम लेकर, पीठ को अपमानित करना उचित नहीं है। मान्यवर, बार-बार एक ही चीज वेल से कही गयी, फिर अपनी जगह से कहा जाना और बराबर लिखा जाना..

श्री अधिष्ठाता--

लिखे जाने के सम्बन्ध में मैंने निर्देश पहले ही दे दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि माननीय सदस्य वेल में है, लिहाजा उनका बोला हुआ लिखा नहीं जाना चाहिये। ऐसा इसलिये कहा कि उनके वेल में होने से सदन व्यवस्थित नहीं है। इसलिये लिखा नहीं जाना चाहिये। आपने उसको वैसे नहीं लिया। मेरे ख्याल से जो कुछ बोला गया है, आपकी अनुमति के बिना बोला गया है और पीठ पर आक्षेप भी लगाये गये हैं। पीठ पर आप हैं, आप भी उसी जाति के हैं, जो वैसे अध्यक्ष हैं, वह भी उसी जाति के हैं, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह भी उसी जाति के हैं। इसी के साथ-साथ यह कहा गया कि यहाँ कुत्तों का जिक्र हो सकता है, जिलाधिकारी सरकारी [xxx] है। यह कुत्ते हमने नहीं पाले हैं, आपने ही पाले हैं। अब कौन कौन काट रहा है, यह आप जानें। साढ़े 8-9 साल से आपने ही पाले थे, अब अगर वह काट रहे हैं तो हमारी गलती नहीं है। पाले ही क्यों थे ?

श्री अधिष्ठाता--

कृपया, आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, यह तो निर्णय दे दें कि जो कुछ बोला गया है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता--

यह निर्णय मैं पहले ही दे चुका हूँ।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, माननीय सदस्य इस सदन में गारण्टी के साथ कह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

लेकिन जिस प्रकार से कह रहे हैं, वह सदन की परम्पराओं के प्रतिकूल है।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, अगर कोई असंसदीय भाषा हो, तो उसे निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता--

जब लिखा ही नहीं जाएगा तो संसदीय या असंसदीय शब्द आने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लिखा भी गया है वह छपेगा ही नहीं। श्री राम इकबाल जी आप अपनी बात कहिये।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। 23 जनवरी, को सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती है।

नोट [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री रंगनाथ मिश्र एवं अन्य बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्य सदन के वेल में आ गये।)

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

जब सूचना नियम 56 से नियम 51 में परिवर्तित हो गई, तो उसका वक्तव्य आ जाएगा।

श्री अधिष्ठाता--

वेल में कही गई किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायगा।

श्री सुखदेव राजभर--

हम लोग तो वेल में केवल अपनी बात कह रहे है, [xxx] जब एक माननीय सदस्य कह रहे है कि डी0एम0 के गनर से गोली लगी है और हम लोग यहाँ पर आये है कि आपसे न्याय मिलेगा। डी0एम0 के गनर से गोली लगी और एफ0आई0आर0 भी दर्ज नहीं करने दिया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, श्री राम इकबाल जी, आपकी सूचना कल ली जायगी, अब हम आगे बढ़ते हैं।

(इस समय 2 बजकर 9 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष--

मिश्रा जी आपने मुझसे बात की थी और मैंने आपको बताया भी था। नियम 51 में पूरे तथ्य आते हैं और वक्तव्य स्वीकार हो जाता है, ताकि आप प्रश्न कर सकें, अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो आपको पूरा अधिकार मिलेगा, उन अधिकारियों को दण्डित कराने का, इसलिए मैंने आपकी सूचना को नियम 51 में स्वीकार किया था। यह गम्भीर प्रश्न है, नियम 51 में आप एक-एक प्वाइंट का जवाब ले सकते है, उसके बाद यह सदन की सम्पत्ति हो जायेगी। इसमें जो भी त्रुटि होगी या कुछ असत्य सूचना होगी तो आप अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके अधिकारियों को दण्डित करा सकेंगे। इसलिए मैंने आपकी सूचना को नियम 51 में परिवर्तित कर दिया था। नियम 56 में आप केवल अपनी बात कहते और संसदीय कार्यमंत्री की ओर से जवाब आ जाता कि यह अग्राह्य योग्य है, उसके बाद यह प्रकरण समाप्त हो जाता।

माननीय सुखदेव राजभर जी, आप खुद संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं, मैंने माननीय मिश्रा जी की सूचना की गम्भीरता को समझते हुए नियम 51 में परिवर्तित कर किया, उस पर सरकार का वक्तव्य आ जायेगा। मिश्रा जी अब आप अपने आसन पर चलिये।

(तत्पश्चात् वेल में आये हुये सभी सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये)

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, ब्राह्मणों की बात करने का अधिकार न बी0 एस0 पी0 को है, न भा0 ज0 पा0 को है, न स0 पा0 को है, ब्राह्मणों की बात करने का अधिकार केवल काँग्रेस पार्टी को है।

(श्री रंगनाथ मिश्र अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे)

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में केवल वक्तव्य नहीं है, वक्तव्य है, जिसका मतलब है कि वह सदन की प्रापर्टी हो गयी और माननीय सदस्य को एक-एक बिन्दु पर प्रश्न करने का अधिकार है। अगर शासन से

नोट [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आये हुये उत्तर में कोई बात असत्य है तो आपके पास प्रिविलेज है आप उस अधिकारी को दण्डित करा सकते है। नियम 56 की ग्राह्यता पर बोलकर उसे हल्का करने से क्या फायदा होता?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं आपके निर्देश का सम्मान करता हूँ परन्तु वक्तव्य आने के बाद यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप हमें मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपको मौका मिलेगा।

(श्री रंगनाथ मिश्र अपने आसन पर खड़े रहे)

श्री अध्यक्ष--

मिश्रा जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे हैं, सीनियर एम0 एल0 ए0 है, मेरी बात मान जाइये और बैठ जाइये। राम इकबाल सिंह जी अपनी बात रखें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, दो ब्राह्मणों के बीच में फंस गया था और मुझे बोलने नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

यह विधान सभा जातियों से नहीं समाज के सामूहिक प्रयास से चलती है। आज जाति की चर्चा कहाँ से चली आयी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, बड़ा ही सुखद तजुर्बा है, माननीय सदस्य ने कहा कि मैं उक्त जाति का, मरने वाला उक्त जाति का और जो अभी इस पीठ से चले गये वह भी उक्त जाति के। वह जो चले गये उनका कहा नहीं माने लेकिन उसी जाति का कहना मान लिया।

श्री अध्यक्ष--

राम इकबाल सिंह जी आप जल्दी अपनी बात खत्म कर लें।

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

मान्यवर, एजेण्डा आगे बढ़ गया है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मुझे पुकार लिया है।

श्री अध्यक्ष--

राम इकबाल सिंह जी, मा0 अधिष्ठाता जी ने आपकी सूचना को कल लेने का निर्णय दिया है। कल इसे नम्बर 1 पर ले लिया जायेगा। अब आप आसन ग्रहण करें।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मुंशी लाल गौतम व श्री नवाब सिंह नागर अपने-अपने आसन पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष--

ऐसा लगता है कि मुझे रिफ्रेशर कोर्स चलाना पड़ेगा।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, अभी मुझसे बात कर लीजियेगा।

श्री नवाब सिंह नागर--

मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष--

नागर जी, आप बैठ जाइये, अब नहीं हो पायेगा। माननीय हुकुम सिंह जी इन लोगों को समझाइये।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(श्री मुंशी लाल गौतम अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे)

श्री अध्यक्ष--

मुंशी लाल गौतम जी आप बैठ जाइये। आप किसी की बात नहीं मानते हैं। अब आपका लिखा नहीं जा रहा है। अब बैठ जाइये वरना हमें मजबूर होना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी सूचना पढ़ी है। फिर दोबारा दीजियेगा।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, मेरी सूचना स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

आप पढ़ें लिखे हैं। आप अपने को उपहास का पात्र मत बनायें।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, यह बच्चों से सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझसे अभी चैम्बर में बात करियेगा।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक है इसके उद्देश्य में जो उल्लेख किया गया है कि कुछ प्रसंस्करण इकाइयां आप लगाना चाहते हैं, उनमें जो निर्मित होगा या जो कच्चा माल होगा उस पर छूट देने का अधिकार सरकार को देना चाहते हैं। मण्डी समिति के शुल्क को कम करने का या समाप्त करने का अधिकार आप लेना चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या हैं। उद्देश्य का तो आपने उल्लेख कर दिया है लेकिन क्या सदन को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इस संशोधन विधेयक को लाने का कारण क्या है। कितनी इकाइयों ने आवेदन पत्र दिये हैं। इस संशोधन विधेयक से हमें आशंका लग रही है कि कुछ मल्टी नेशनल कम्पनियों को लाया जा रहा है। जैसा कि 2 साल में सामने आ रहा है कि विशेष छूट देकर मल्टी नेशनल कम्पनियों को लाया जा रहा है जिससे हमारे घरेलू उद्योग चौपट हो रहे हैं। आप विभिन्न प्रकार की छूट उनको देना चाहते हैं। आप यह विधेयक लाये हैं तो हमें यह जानने का अधिकार है कि कितनी प्रसंस्करण के क्षेत्र में आने वाली इकाइयां हैं और उनमें क्या निर्मित होगा, उनमें फलों का जूस, जैम या जेली बनेगी और कहां पर उनका क्या आधार होगा। दूसरी बात जो आपने छूट देने की है तो छूट देने का अधिकार तो पहले से ही था इस संशोधन विधेयक को लाने का कोई कारण नहीं है। मण्डी परिषद अधिनियम में यह अधिकार है, हम मण्डी समिति को निर्देशित करेंगे, बोर्ड को निर्देशित करेंगे कि क्या करना है। जब आप मण्डी परिषद के चेयरमैन हैं और आपको स्वत: ही अधिकार मिला है तो यह नया संशोधन विधेयक लाने का कारण क्या है। इसको लाने से जो मण्डी परिषद बोर्ड है वह निष्प्रभावी हो जायेगा। हमने जिस मण्डी परिषद के स्वरूप का विचार किया है कि उनका गठन होगा, उसमें किसान के प्रतिनिधि होंगे,उद्योग के प्रतिनिधि होंगे. जब उनका वह स्वरूप बनकर आयेगा तो कम से कम जो आवेदन-पत्र आयेंगे उनको अधिकार होगा कि वह विचार करें. यह अधिकार सरकार अपने पास लेकर मण्डी परिषद के बोर्ड को निष्प्रभावी करना चाहती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार के यह अधिकार लेने का कारण क्या हैं। आपके पास कितने प्रसंस्करण इकाइयों के आवेदन पत्र आये हैं, उनसे कितना इन्वेस्टमेन्ट होगा और पूंजी निवेश से किसानों को क्या फायदा होगा, यह मैं जानना चाहता हूँ । सरकार सदन को अन्धकार में रखना चाहती है। पहले इसकी जानकारी हो जाय तब यह संशोधन विधेयक लायें। क्या पूरा अधिकार करने वाले हैं। कल क्या होगा अमेरिका से लोग आयेंगे, फ्रांस से आयेंगे, जापान से आयेंगे, चीन से आयेंगे उन सभी को छूट देते चले जायेंगे इससे तो उद्योग चौपट होते चले जायेंगे। कम से कम कृषि क्षेत्र में यह कार्य नहीं करना चाहिये। मण्डी में अभी तक यह नहीं था बाकी जगह था। नई नई बातें शिवपाल जी कहाँ से लाए हैं। मण्डी परिषद का उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक व्यापार मण्डी स्थलों पर हो। केवल मण्डी परिषद को राजस्व का स्रोत समझकर हमने जो मूल उद्देश्य था उसे समाप्त कर दिया। आप भी समीक्षा करते होंगे जैसी कि मुझे जानकारी है पिछले वर्ष वसूली कितनी हुई इस वर्ष कितनी हुई। पिछले वर्ष टर्न ओवर कितना था इस वर्ष टर्न ओवर कितना बढ़ा है। टर्न ओवर गिरता जा रहा है। अगर लक्ष्य निर्धारित है तो क्या उसको पूरा किया जा रहा है ? जो करोड़ों रुपया मण्डियों में लगा दिया गया उसमें जितनी अपेक्षा थी कि किसान वहां माल लेकर आयेगा वह पूरी नहीं हो पा रही है। यह मुझे सुनिश्चित जानकारी है। विशेष रूप से दो मण्डियों में टर्न ओवर गिरता जा रहा है। मैं सुनिश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा में शिफ्ट हो रहा है मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ऊधम सिंह नगर तो उत्तरांचल में चला गया है लेकिन सहारनपुर जो धान का सबसे बड़ा पैदावार का जिला रहा है वहाँ का ज्यादातर हरियाणा से व्यापार हो रहा है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि जो सहूलियतें हमें देनी चाहिये हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि मण्डी परिषद के जो उद्देश्य हैं उनके

ऊपर विचार किया जाय। किसानों को सहूलियतें दी जायं, उनका उत्पीड़न रोका जाय। कभी आपने इस बात की समीक्षा की है कि हरियाणा से ज्यादा व्यापार क्यों हो रहा है। हमारे यहाँ खतौली मण्डी 15 दिन बन्द रही क्योंकि हठधर्मिता के चलते उनके लाइसेन्स निरस्त कर दिए जाते हैं और जब मोटी रकम आ जाती है तब बहाल किया जाता है। होता यह है कि आप इस आसपेक्ट का परीक्षण करते वह न करके विधेयक ले आए। आप सारे कार्य लखनऊ में सचिवालय में बैठकर करना चाहते हैं। मैं दो बाते कहना चाहता हूँ या तो मण्डी परिषद सक्रिय हो और जो उसका उद्देश्य था उसके अनुसार उसका संचालन हो या समस्त अधिकार आप आपने हाथ में ले लें और सचिवालय में बैठकर उसका संचालन करें। हमारे पास आज प्रसंस्करण के क्षेत्र में इतने आवेदन पत्र आये हैं उन आवेदन पत्रों के हिसाब से कितने रुपये का निवेश होगा ? मैंने जो जानकारी मांगी है वह जानकारी आ जाय जिससे सदन आश्वस्त हो जाय।

*श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। जो मंत्री जी के द्वारा फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के जो उत्पाद है उनको छूट देने के अधिकार के सम्बन्ध में है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की मण्डी प्रदेश के किसानों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है और अगर राज्य सरकार की यह चिन्ता का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश के जो फूड प्रोसेसिंग के प्लान्ट एक्जिस्टेड है राज्य के कृषकों से जुड़े उद्योग है जो प्रसंस्करण हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट है उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की जो प्रोसेसिंग मार्केट में है उनकी मार्केटिंग में कठिनाई आ रही है। किन्हीं कारणों से उन फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में कमी हो अगर उस सीमा में छूट देने की तैयारी कर रही है तो वह निश्चय ही स्वागत योग्य है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 17 (क) में संशोधन की क्या आवश्यकता है। आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 17-क में उप धारा (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा अर्थात् परन्तु राज्य सरकार कृषि प्रसंस्करण इकाई के ऐसे तैयार उत्पाद जो विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन हो और उसमें प्रयुक्त सामग्री कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन न हो, पर (विकास सेस को छोडकर) मण्डी शुल्क में छूट प्रदान कर सकती है या उसके दर में कमी कर सकती है। अगर आप निश्चित रूप से मण्डी शुल्क में छूट प्रदान करेंगे तो उसका लाभ किसानों को मिलेगा और यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जहां एक तरफ हुकुम सिंह की जी चिन्ता स्वाभाविक है कि क्या इससे किसानों को लाभ मिल सकता है। क्या इससे किसानों को सुविधायें मिल रही हैं क्या उससे उस मण्डी क्षेत्र में सड़कों,पेयजल और अन्य कामों का विकास कार्य होगा। यह जो आप छूट देने जा रहे हैं उससे कितनी आय होगी ? स्वाभाविक है कि आप जो छूट देंगे और उसका जो लाभ मिलेगा उससे उस मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसानों को क्या सुविधायें मिलेंगी ? क्योंकि यह सब मण्डी की आय है। मण्डी क्षेत्र की जो सड़कें बनी हुई है वे बन तो गई थीं लेकिन संसाधनों के अभाव में उनके रिपयर के लिये पैसा नहीं है। मण्डियाँ आज घाटे में चल रही हैं उनको लाभ में लाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं। यह जो आप संशोधन ला रहे हैं है कि इससे आप प्रोसेसिंग प्लान्ट में छूट देना चाहते हैं और इससे यहां पर मण्डियों को लाभ पहुंचेगा और उनकी आय बढ़ेगी और उस मण्डी के अन्तर्गत आने वाले किसानों को क्या सुविधायें प्रदान की जायेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मान्यवर, एक बहुत छोटा सा संशोधन है। विधेयक की धारा 17 की उपधारा-(क) में परन्तुक बढ़ाया जा रहा है। इस अधिनियम में 10 करोड़ रुपये की लागत की नई इकाइयाँ लगाने की बात है। 5 प्रतिशत की छूट मण्डी शुल्क में पहले से ही है। ऐसी बड़ी इकाइयाँ जो हमारे प्रदेश में लगेंगी और उन पर मण्डी शुल्क में छूट दी जायेगी यही हमारा संशोधन है। अब जो हुकुम सिंह जी ने चिन्ता व्यक्त की है, यह संशोधन के बाद आवेदन करेंगे। संशोधन से पहले कोई भी सुविधा किसी को नहीं देंगे। जब नई औद्योगिक इकाइयां लगेंगी इसके अन्तर्गत तब ही उनको छूट मिलेगी कोई सुविधा मिलेगी। इस संशोधन से हमारे प्रदेश में नई इकाइयाँ लगेंगी और हमारे प्रदेश में पूँजी निवेश भी ज्यादा होगा। नये प्रोसेसिंग प्लान्ट लगेंगे। जब नये उद्योग धंधे हमारे प्रदेश में लगेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो रोजगार के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और यह हमारी जिम्मेदारी है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले। माननीय हुकुम सिंह जी, जो भी मण्डी परिषद है वह किसानों के पैसे से ही है। सरकार का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। जो भी मण्डी शुल्क लिया गया है वह किसानों से लिया गया है और आपको जानकारी होनी चाहिये कि मण्डी को कोई जानता नहीं था। आज ढाई साल के अन्दर गाँव का बच्चा-बच्चा मण्डी परिषद को जान गया है। आपके समय में भी मण्डी को किसी ने नहीं जाना था। अगर मण्डी को जाना जाता था तो भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था। आज उत्पादन भी बढ़ रहा है और मण्डी शुल्क में भी बढोत्तरी हुई है। इसी के साथ-साथ मान्यवर, किसानों के साथ-साथ प्रदेश में हमारी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ आयें जिससे लोगों को रोजगार मिले। जब रोजगार मिलेगा तो बहुत सी चीजें प्रदेश में ऐसी है, जैसे हमारे प्रदेश में अभी दूध निर्दिष्ट नहीं है लेकिन हम छूट देना चाहते हैं घी है, दूध है इस पर हम छूट देना चाहते हैं। इसी तरह छोटी इकाइयों के साथ-साथ बड़ी इकाइयाँ भी लगे। जब बड़ी इकाइयाँ लगेगी तो पूंजी निवेश होगा। जब पूंजी निवेश होगा तो हमे रोजगार मिलेगा । जब रोजगार मिलेगा तो बहुत सी समस्यायें हल होंगी तो जो हम संशोधन लाए हैं बहुत छोटा सा संशोधन है इसको पारित किया जाये। मेरा हुकुम सिंह जी से अनुरोध है इसको वापस ले लें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, प्रमोद जी इशारा कर रहे थे मेरी तरफ कर रहे थे या मुझे देख कर कहीं और तीर चला रहे थे यह प्रमोद जी जानें।

मान्यवर, अफसोस की बात है मैंने बड़े विशिष्ट बिन्दु उठाये क्या हमारे यहां कोई क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिये आवेदन पत्र मिले हैं या आपको चिन्ता हुई, उनको छूट देने की बात है या उन्होंने शर्त रखी हो कि अगर आप यह छूट दें तो पूंजी निवेश करेंगे । आपने इस बारे में कुछ नहीं बताया यह हो सकता है आपको कुछ नये शौक पैदा हुए हैं क्योंकि वोट का वक्त है जो फर्म आप लगवाने जा रहे हों अगर छूट देने जा रहे हों तो मुझे पता नहीं क्योंकि नये-नये शौक तो पैदा होते ही है सत्ता में जब आ जाते हैं हो सकता है ऐसी कोई बात हो। अगर थी तो छिपाने की जरूरत नहीं थी। सदन को पता लग जाता कि किस क्षेत्र में छूट दी जाने वाली है। यही मेरा आग्रह था कि जो शक्ति आपको पहले से प्राप्त है मण्डी परिषद को उस शक्ति को स्थानान्तरित करने का कारण सरकार में आखिर रहा क्या ? जो प्रार्थना-पत्र आपके पास आयेंगे, आपने एक पैरलल मण्डी बना दी। एक समान्तर मण्डी आपने सचिवालय में खड़ी कर दी कभी जिन्होंने यह अधिनियम बनाया होगा उनका

उद्देश्य यही रहा होगा तो मान्यवर, आप महान हैं आपने दो साल में मण्डी का नाम कहां से कहां पहुंचा दिया इससे पहले भी जाने कितने कृषि मंत्री यहां रहे हैं। एक से एक कृषि मंत्री रहे हैं मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता कि जिन्होंने कभी मण्डी के बारें में विचार किया होगा कि मण्डी भी होनी चाहिये और न जाने कितने प्रकार की कटौती किसान की होती थी। उस कटौती को समाप्त करने के लिए मण्डी का निर्माण किया गया था मैं आपकी क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता क्योंकि क्षमता तो सबको पता है सबकी जानकारी में है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का सवाल नहीं है कि दो साल में क्या-क्या हो गया लेकिन मान्यवर, मेरा कृषक होने के नाते कृषक प्रतिनिधि होने के नाते और थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में जानकारी होने के नाते मेरा आग्रह यह था अनावश्यक रूप से इस तरह का माहौल न बनायें जानकारी नहीं है या जानकारी देना नहीं चाहते यह आपकी बात है। मैं अपने संशोधित प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 17- क का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा17-क में उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :

"परन्तु राज्य सरकार कृषि प्रसंस्करण इकाई के ऐसे तैयार उत्पाद जो विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन हो और उसमें प्रयुक्त सामग्री कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन न हो, पर (विकास सेस को छोड़कर) मण्डी शुल्क में छूट प्रदान कर सकती है या उसके दर में कमी कर सकती है।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा स प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

कुछ इस पर बोलेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, एक बहुत छोटा सा संशोधन हम लायें हैं। पिछली सरकार में जो टैक्स के स्लैब थे, मिनिमम 4500 किमी0 का था, फिर 4700 किमी0 हुआ, इस तरह के कई स्लैब थे, इससे यह था कि जो छोटी रूट की गाड़ियाँ चलती थी वह कम टैक्स पर निजी मोटर मालिक अपनी गाड़ियाँ चला लेते थे। माननीय हुकुम सिंह जी, जो पिछली सरकार में थे, उन्होंने तीन स्लैब समाप्त कर दिये, 4500 किमी0, 4501 से 5700 किमी0, 5701 से 7200 किमी0 । उन्होंने माना कि एक गाड़ी 100 किमी0 पर डे चलेगी जिसका यह नुकसान हुआ कि निजी क्षेत्र की 2000 गाड़ियाँ बन्द हो गई, वह टैक्स को सम्भाल नहीं पा रहे थे। इसलिए यह महसूस किया गया कि जितना टैक्सेशन को हम रिलैक्स करेंगे, जितना हम ढाँचे में परिवर्तन करेंगे, इससे आय भी बढ़ेगी ओर लोगों को हम प्रोत्साहित भी कर सकेंगे । तो हम इसमें जो संशोधन लाए है इसमें हमने कुल 3 में से 4500 किमी0 वाला जो है, उसे डिलीट करके 4501 से 5700 किमी0, करीब 60 किमी0 पर डे मिनिमम मानकर इसको हम लायेंगे, उनको जोड़कर 15 प्रतिशत टैक्स बढ़ने की बात कही है और प्रदेश के करीब-करीब सभी निजी क्षेत्र के मोटर मालिक इससे प्रसन्न हैं। माननीय हुकुम सिंह जी ने अपना यह प्रस्ताव दिया है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुजफ्फरनगर में भी निजी क्षेत्र की बसें चलती हैं और इसको लागू करने से करीब 9 करोड़ रुपये के राजस्व की बढ़ोत्तरी होगी। सभी की सहमति से हम इसे लाए हैं । मुझे उम्मीद है कि इसे आप सर्वसम्मति से पारित करायेंगे।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मैं संशोधन क्यों लाया हूँ, एक जो आपने दरों में संशोधन किया है, वह संशोधन अधिकता की ओर है, जो विधेयक में दिया है, पढ़ लें और दूसरा जो यह संशोधन लाने का उद्देश्य है, वह यह है कि जो विभाग के कार्यकलाप है, जो विभाग के माध्यम से बसों का संचालन हो रहा है, यह भी देखें कि विभाग यात्रियों को सुविधा क्या दिलवा पा रहा है ? जितनी टूटी-फूटी स्थिति आज उत्तर प्रदेश में बसों की है, हमें तो शर्म आनी चाहिये, यात्री कर देता है, हमें उससे कर लेने के बजाय उसके ऊपर तो कर सब्सिडाइज करना चाहिये। सीट नहीं है, खड़े होकर चलना पड़ता है, छतों पर लदना पड़ता है, बिना हार्न के ही सारी गाड़ियाँ हार्न करती है। जहाँ 50 मिनट में पहुँचना चाहिए, वहाँ 3 घण्टे मे पहुँचते हैं। आपने अधिकारियों की जो इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी है, जिलों में एक-एक दर्जन अधिकारी बैठे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वह यात्री सुविधाओं में सुधार करें, मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपने कई बार यहाँ आकर घोषणा की है लेकिन आज जो डग्गामार बसें यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है उस पर भी तो नियंत्रण होना चाहिये। आप केवल विभाग के मंत्री ही नहीं हैं आप इस विभाग को बिना मंत्री होते हुये भी जानते होंगे। लेकिन आपका ध्यान यात्रियों की सुविधा की तरफ नहीं जाता है। अगर ध्यान जाता होता तो आप देखते कि क्या यात्रियों की मांग के अनुरूप बसें चालित हो रही है ? दूसरी बात यह कि तमाम जिले ऐसे हैं जहाँ पर छोटी-छोटी गाड़ियाँ चलती हैं और जहाँ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक जीप में 10 आदमी बैठ सकते हैं यह लोग उसमें 50-50 आदमी बैठाकर चलते हैं। जरा सी भी पलटेगी तो 10 आदमी तो तत्काल मर जायेंगे। यह तो आपने भी देखा होगा। जब भी आप निकलेंगे तो देखेंगे कि जीप पर लोग पीछे तक लटके रहते हैं। क्यों नहीं इस पर आपके अधिकारी रोक लगाते ? मैं अपने क्षेत्र में देखता हूं कैराना से लेकर पानीपत तक लगभग 150 गाड़ियाँ डेली चल रही हैं और इससे आपको राजस्व हानि भी हो रही है। आप चाहें तो जांच करा लें। अगर मेरा कथन गलत हो तो मैं पूरे सदन से क्षमा मांग लूंगा। इन गाड़ियों को चलवाने के लिए थानों में पैसे बंधे हैं। यह तो एक जिले का उदाहरण है। हरदोई में क्या हालत होगी, इटावा में क्या हालत होगी, बदायूं में क्या हालत होगी इलाहाबाद में क्या हालत होगी। हर जिले का निकाल लीजिए कि आपको कितने राजस्व की हानि हो रही है। वह पैसा राजस्व खजाने में न जाकर भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में जा रहा है। अगर वह पैसा राजस्व के रूप में आयेगा तो कहीं न कहीं सुधार में ही जायेगा। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ उस समय आप कैबिनेट में थे तो मैंने उस समय एक सुझाव रखा था, वह पास भी हो गया था लेकिन वह दबकर रह गया। सुझाव यह था कि हमारी जितनी भी नई-नई रोडें विकसित हुई हैं गांव में जो नए-नए सम्पर्क मार्ग बने हैं आज वहाँ पर नम्बर 2 के जो वाहन चलते हैं तो वह आधा पैसा पुलिस वालों को देते हैं। आपके विभाग ने सर्वे कराया है। उसकी पत्रावली आपके विभाग में होगी। आप उस पत्रावली को निकलवा लें कि अनेकों ऐसे मार्ग है जहाँ पर नम्बर 2 की गाड़ियाँ पुलिस के बल पर चल रही हैं। यदि आप इन वाहनों को रेगुरलाइज कर दें और देहातों के बच्चों को वह गाड़ियाँ चलाने का परमिट दे दें तो उन्हें रोजगार मिल जाएगा और सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी हो जायेगी और इनको पुलिस से मुक्ति भी मिल जायेगी। कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर 60-70 ऐसी नई रोडें न बनी हों। ऐसी-ऐसी गाड़ियाँ है जिनके न तो निर्माता का पता है न यह पता है कि किसने डिजाइन की है। हमारे जनपद में ऐसे-ऐसे ट्रक हैं जिन पर दो-दो ट्रकों के बराबर सामान लादा जाता है । एक्सीडेन्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। जय-जयकार इन बातों से नहीं होती है, जय-जयकार होती है जनता को आराम देने से, सुविधा देने से। इसलिए इस संशोधन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। कि यह पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। यह जनता से जुड़ा हुआ मामला है और इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। जहाँ तक कराधान वाला संशोधन आप लेकर आये हैं, तो अगर लाना है तो पूरी योजना के साथ लायें। इसलिए मेरा यह संशोधन है कि इसमें समिति बना लें और उसमें सारी बातों पर विचार कर लें उसकी रिपोर्ट आ जाये तब यह संशोधन लाया जाय। इससे आपकी जय-जयकार होगी। वही एक घिसा पिटा शब्द कहकर कि छोटा सा संशोधन लाये हैं इसे स्वीकार कर लें यह ठीक नहीं है। आप कोई बड़ा संशोधन लेकर आये जिससे इसका कायाकल्प हो सके। यह मुझे कहना था।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, हमारे हुकुम सिंह जी को ज्ञान नहीं है कि मोटर व्हिकिल एक्ट भारत सरकार का है जिसमें परिवर्तन करने का अधिकार उन्हीं का है। इसमें परिवर्तन बगैर भारत सरकार के नहीं हो सकता है। मान्यवर, हर जगह यह कहा, यह हमारा नहीं है, उत्तर राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक आगरा में हुई थी, फिर भोपाल और जयपुर में हुई। वहाँ भी इस बात को कहा गया कि पुराने ऐक्ट को परिवर्तित कर देना चाहिये। इनकी धारायें डिलीट करके नयी धारायें जोड़ दें। आज आवश्यकता के अनुरूप इस ऐक्ट को लागू होना चाहिये। इस बात पर सहमत हैं। हम तो कहते हैं कि पूरा सदन प्रस्ताव करके भारत सरकार को भेज दें कि संशोधन करने का अधिकार हम लोगों को दे दिया जाय। आपने कहा है कि आप "जैक आफ आल मास्टर्स आफ नन" ।

श्री अध्यक्ष--

सदन की भाषा हिन्दी है आप इसको हिन्दी में कहें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

आपने खुद ही यह स्वीकार कर लिया कि हम किसी चीज के विशेषज्ञ नहीं है लेकिन हर चीज के माहिर है और कहा कि परिवहन का तजुर्बा हमको ज्यादा है, परिवहन में मास्टरी है। मालिकों से मिलकर अच्छा तजुर्बा ले लिया । सरकार की मंशा है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े। क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ-साथ परिवहन की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिये। बसें नहीं बढ़ायी, अच्छी बसें नहीं दी, तो जैसे आप कह रहे है कि हार्न के अलावा सब कुछ बजता है, सीट नहीं है, तो इन्हीं चीजों में परिवर्तन करने के लिये हमने यूपीएसआरटीसी में तमाम परिवर्तन किये। आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमने यूपीएसआरटीसी की बसों को बहुत अधिक परिवर्तित नहीं किया है। प्राइवेट क्षेत्र की बसों पर भी हमने कड़ाई करी है। 16 किलोमीटर के रूट को हमने एक्जेम्प्ट किया है इस मारे की नये रूट बन सकें। ऐक्ट में यह था कि नेशनलाइज रूट का 100 मीटर भी पार्ट बढ़ जायेगा तो निजी क्षेत्र को परमिट नहीं दिया जा सकता है। यह हमने ही डिसीजन लिया है कि नेशनलाइज रूट का अगर 16 किलोमीटर पार्ट भी कहीं बीच में पड़ता है, तो उससे दूसरी रूट डेवलप होती है तो हम निजी क्षेत्र को परमिट देंगे यह हमारी सरकार का पहला स्टेप है। आप भी बहुत दिन रहे है आप भी यह स्टेप ले सकते थे। हम लोगों ने शहरों में परमिट देने के लिए फ्री कर दिया। यह सही है कि आरटीएज की बड़ी रूचि इसमें हमको नहीं दिखायी दे रही है। हम लोगों ने इस पर विचार किया कि अगर आरटीएज के अध्यक्षों ने गम्भीरता से नहीं लिया तो हम आरटीओ को बदलने पर भी विचार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने लखनऊ से की है। हम यहाँ पर आरटीओ परिवर्तित करके यह देखना चाहते हैं कि इससे क्या अन्तर पड़ रहा है, क्योंकि इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं कि परमिट देने का अधिकार आरटीओ को है। ऐक्ट में प्राविजन है। मैं तमाम डायरेक्शन आरटीओ को दे रहा हूँ कि आप जितने भी ग्रामीण सड़कें है, चार हजार करोड़ रुपया इस वर्ष सड़कों पर खर्च कर रही है। मुख्य मंत्री ने कल ही बजट में घोषणा की है। पिछले वर्ष बत्तीस करोड़ रुपया, तमाम नये रूट्स उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और मेरा मानना है कि इन रूटों पर बसें चलनी चाहिये लेकिन न्यायालय से स्थगन आदेश हो जाते हैं। जुगाड़ को रोकने की बात करी और न्यायालय से स्थगन आदेश हो गया। उन्होंने कहा कि आप जुगाड़ को छूयेंगे नहीं। जुगाड़ में कभी एक्सीडेन्ट हो जाता है तो क्लेम नहीं हो सकता क्योंकि मोटर वैहकिल ऐक्ट में प्राविधान नहीं है। ऐसी ही 6 सीटर से ऊपर की जो मैक्सी कैब चल रही थी कोर्ट से आदेश हो गया। तो इन सब चीजों को भी हमको देखना पड़ता है। यह टैक्स का सरलीकरण सिर्फ इस मारे किया कि निजी क्षेत्र भागीदारी करें। छोटे-छोटे लोग पूंजी निवेश करके बस खरीद कर आयें। मैं तो कहता हूँ कि जितने लोग आना चाहें, वैसे भी फ्री परमिट पालिसी है जितने लोग आना चाहें उनको परमिट तुरन्त दिला दिये जायेंगे, वह चलाये गाड़ियां जिससे ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश हो और जनता को राहत मिले और यही हम लोगों का मानना है और इसीलिये हम इसको लाये है। जो आपने कहा कि बड़ा भारी संशोधन लायें, बड़ा संशोधन इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि वह अधिकार नहीं है। ऐक्ट में परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं और हम लोग परिवहन मंत्री सारे देश के सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने इसीलिए जा रहे हैं कि इस एक्ट में तीन चीजों को परिवर्तित करके भारत सरकार संशोधन करे और हम तो भारत सरकार से यह भी कहते हैं, हमने तो हर जगह कहा कि सड़क और

परिवहन जब तक दो मंत्रालय भारत सरकार अलग नहीं करेगा तब तक परिवहन के क्षेत्र में सुधार नहीं हो सकता है। श्रीमन् सेस को सिर्फ सड़क पर लगाया जाय परिवहन पर नहीं। एक पैसा भी सब्सीडी के तौर पर परिवहन विभाग को नहीं दिया जाता है और भारत सरकार से भी परिवहन को कोई सहायता नहीं मिली, कहीं से भी सहायता नहीं मिल रही है, वहां का जो सड़क मंत्री होता है वह परिवहन व्यवस्था को जानता ही नहीं। मैं तो हरदम ही यही कहता हूं कि अगर सेस में परिवहन विभाग का पैसा न रखा गया तो परिवहन विभाग को धीरे-धीरे यह तो राजस्व का स्रोत बना देंगे। हम राहत का स्रोत नहीं राजस्व का स्रोत बनते चले जा रहे हैं और हम इसको बारम्बार कह रहे हैं। मैं माननीय प्रमोद कुमार तिवारी से कहूँगा कि दिल्ली में सरकार है उनकी वहां से वह भी कहें कि इसमें परिवर्तन करना चाहिये, इस सोच में परिवर्तन करना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि माननीय हुकुम सिंह जी ने जो शंकायें उठाई है, उनका समाधान हो गया होगा आप इसको वापस ले लें, अगर आप इसका विरोध करेंगे तो मुजफ्फरनगर में काफी विरोध आपको भी झेलना पड़ेगा, जहां यह संदेश जायेगा कि टैक्स का जो सरलीकरण कर रहे हैं माननीय हुकुम सिंह जी उसका विरोध कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह --

अगर मैंने यह जिज्ञासा दर्शायी भी होगी तो भी मोटर वैहकिल ऐक्ट में किसी संशोधन की, उनको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, जितने मार्ग बने हैं उनको नोटीफाई करने का अधिकार आपको प्राप्त है, मोटर वैहकिल ऐक्ट उसके बीच में नहीं आता है। जो ग्रामीण मार्ग बने हैं नये पिछले पांच साल, सात साल में आठ साल में और जिनके ऊपर व्यवस्था भी नहीं ट्रैफिक की अब उनकी आवश्यकता बढ़ गई, गाँवों में भी अब चलन हो गया लोग समय बरबाद नहीं करना चाहते हैं। वह गाड़ियां बिल्कुल हट गई वहां से, मजबूर होकर उनको दूसरी गाड़ियां चलानी पड़ती है, उसके लिये कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। माननीय मंत्री जी अगर चाहे थोड़ा समय निकाले और यह हो भी जायेगा और उनकी जानकारी में है भी यह बात कि सारी जानकारी राज्य सरकार के मुख्यालय में उपलब्ध होगी जिलाधिकारी के माध्यम से, दो साल पहले वह रिपोर्ट आ गई थी और उसके आधार पर आप निर्णय ले लेंगे तो अच्छा ही रहेगा और जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। संशोधन तो मैंने इसलिए पेश किया मान्यवर कि आपका ध्यान आकर्षित कर सकूँ लेकिन दिक्कत दूसरी आ जाती थी, दिक्कत यह आ गयी कि आप कराधान तक सीमित है, कर सरलीकरण हो जाये अच्छी बात है, सरलीकरण के साथ-साथ यात्री को क्या लेना-देना उससे, यात्रियों को तो अपनी सुविधा चाहिये और उस सुविधा के बारे में आप कुछ कर देंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा, इसलिए मैं इस संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप कुछ कहेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन् मैं माननीय हुकुम सिंह और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमने पूरे प्रदेश में सर्वे कराया था और तमाम रूट हमने स्वीकृत भी किये हैं और 16 किमी0 का प्रोविजिन इसीलिये लाये हैं और हमने फिर से आर0 टी0 ओ0 से कहा है कि एक महीने के अन्दर सारे प्रदेश में 16 किमी0 के अनुसार और भी रूट दे दें जिससे यहां से स्वीकृत होकर चले जायें, उनको निजी क्षेत्र को परमिट दे दें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, खण्ड-1,

प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की चतुर्थ अनुसूची में,--

(क) अनुच्छेद एक में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें :--

क्रमांक	एक तिमाही में तय की गई दूरी (किमी0 में)	तिमाही कर की धनराशि (रुपये में)	
		क-वर्ग के मार्गों पर	ख-वर्ग के मार्गों पर
1	2	3	4
1	5700 तक	256.00	288.00
2	5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	325.00	361.00
3	7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	376.00	393.00
4	9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	458.00	511.00
5	11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	565.00	630.00
6	14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	705.00	787.00
7	18000 से अधिक	(705.00 और प्रत्येक 5700 किमी0 या उसके भाग के लिये रुपये 256.00)	(787.00 और प्रत्येक 5700 किमी0 या उसके भाग के लिये रुपये 288.00)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ख) अनुच्छेद--चार में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात् :--

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें :--

क्रमांक	एक तिमाही में तय की गई दूरी (किमी0 में)	तिमाही कर की धनराशि (रुपये में)	
		क-वर्ग के मार्गों पर	ख-वर्ग के मार्गों पर
1	2	3	4
1	5700 तक	192.00	215.00
2	5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	244.00	271.00
3	7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	265.00	294.00
4	9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	344.00	383.00
5	11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	424.00	473.00
6	14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	529.00	590.00
7	18000 से अधिक	(529.00 और प्रत्येक 5700 किमी0 या उसके भाग के लिये रुपये 192.00)	(590.00 और प्रत्येक 5700 किमी0 या उसके भाग के लिये रुपये 215.00)

परन्तु किसी निगम या किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर संचालित की जाने वाली किसी मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर 35 से अनधिक सीट रखने वाली किसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में प्रति तिमाही 4200 रुपये और 35 से अधिक सीट रखने वाली किसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में प्रति तिमाही 6000 रुपये होगा।

(ग) अनुच्छेद पांच में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटर वेहिकल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट टान्सपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1993 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट द्वारा आच्छादित :--

लोक सेवायान प्रकार	प्रति सीट प्रतिदिन अतिरिक्त कर की दर (रुपये में)
(क) साधारण	40.00
(ख) वातानुकूलित	50.00

3--मूल अधिनियम की छठीं अनुसूची में, अनुच्छेद दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात् : छठी अनुसूची में संशोधन

दो लोक सेवायान प्रकार	प्रति सीट प्रतिदिन अतिरिक्त कर की दर (रुपये में)
(क) साधारण	40.00
(ख) वातानुकूलित	50.00

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावक व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन् आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16 फरवरी, 2006 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री रामनरेश यादव की चित्रकूट में रामायण मेले के आयोजन हेतु सरकार द्वारा अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही में जिला पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस की गोली से श्री गिरीश नारायण पाण्डे की मृत्यु हो जाने एवं उनके परिवार को सहायता राशि न दिये जाने तथा सी0 आई0 डी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की गौतम बुद्ध नगर स्थित ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण के समय गांव में बनी आबादी की जमीनें न छोड़ने के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा शहर के नालों की नियमित सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री रामविशुन आजाद की जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत अम्बरपुर में सैकड़ों एकड़ अतिरिक्त भूमि को भू राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत ढंग से पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठीं सूचना चौधरी महेन्द्र सिंह की जनपद अलीगढ़ के ग्राम खण्डेहा निवासी श्रीमती सुनीता के साथ बलात्कार करने एवं उसकी हत्या करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के ग्राम बभनौली निवासी पांच वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किए जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना नियम 311 में प्राप्त हुई थी यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, इस पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

यह कल सुन ली जायेगी।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, कल क्या लिख कर देना होगा ?

श्री अध्यक्ष--

कल सबेरे दे दीजियेगा।

आठवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ के ग्राम बारी में बालिका विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना श्री मुन्शीलाल गौतम की जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्राम धूम मानिकपुर के ग्रामवासियों को नसबन्दी के बदले आवंटित भूमि को अवैध ढंग से खाली कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में एकल ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के अवमुक्त होने के बाद भी कार्य पूर्ण न होने के सम्बन्ध में है,जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की पीलीभीत जिला जेल में शाहजहांपुर निवासी मुकेश राठौर (बन्दी) की पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के कारण मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, इसमें वक्तव्य स्वीकार कर लें क्योंकि इसमें हत्या हुई है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। वक्तव्य कर देते हैं।

(तत्पश्चात् श्री सुरेश कुमार खन्ना की ग्यारहवीं सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।)

श्री अध्यक्ष--

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई :--

1--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर
2--श्री घूरा राम
3--श्री लाल जी वर्मा
4--श्रीमती विद्या चौधरी
5--श्री विश्राम सिंह यादव
6--श्री सुरेश कुमार खन्ना
7--श्री धर्म पाल सिंह
8--श्री मोहन देव शंखवार
9--श्री राम करन आर्य
10--श्री अमर सिंह परमार
11--श्री बाबू लाल कुशवाहा
12--श्री राजेश कुमार गौतम
13--श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री राजेश कुमार
14--डा0 रमेश चन्द बिन्द
15--श्री सुखदेव राजभर
16--श्री भगेलू राम
17--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
18--श्री जयराम विमल
19--श्री रंग नाथ मिश्र
20--श्री भगवत सरन गंगवार

नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में संशोधन करते हुए 500 करोड़ एवं 300 करोड़ रुपये के निवेश के प्रतिबन्ध को समाप्त करके नई चीनी मिल को विशेष प्रोत्साहन/ छूट दिये जाने विषयक श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 14 पर आज चर्चा होनी थी। लेकिन माननीय मंत्री जी का इसमें स्थगन का अनुरोध आया है कि इस पर आज चर्चा न हो और यह किसी दूसरे दिन रख ली जाय।

उस दिन आप नहीं थे तो माननीय नेता विरोधीदल के अनुरोध पर चर्चा दूसरे दिन कि लिये स्थगित हो गयी थी।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरा अनुरोध है अब इस पर चर्चा कल तो नहीं लगेगी।

श्री अध्यक्ष--

नहीं।

श्री हुकुम सिंह--

तो आप इसे 21-22 फरवरी को छोड़कर किसी अन्य तिथि में लगा दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

सर्वदलीय बैठक की जानकारी

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आज आपने पूर्वाह्न में तीन बजे बैठक की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष--

अभी अगर माननीय नेता सदन आ जायेंगें तो अभी बैठक हो जायेगी। अगर वह थोड़ा विलम्ब से आयेंगे तो विलम्ब से बैठक हो सकेगी।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 16-2-2006 ई0।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20-21पर।)

सारांश

जनपद सिद्धार्थ नगर में लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड बांसी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में किये गये व्यय का विवरण :

1	ग्रामीण मार्गों के (3053) के पैच मरम्मत में कुल व्यय	1386817.00
2	चौधरी चरण सिंह योजना के अन्तर्गत ग्रामीण मार्ग के नवीनीकरण में व्यय	4655969.00
3	ग्रामीण मार्गों की विशेष मरम्मत (3054) के व्यय का विवरण	4507165.00
	योग ...	**10549951.00**

वित्तीय वर्ष 2004-05 में किये गये व्यय का विवरण

1	ग्रामीण मार्गों के (3054) के पैच मरम्मत में कुल व्यय	802183.00
2	ग्रामीण मार्गों के सुधार व नवीनीकरण (3054) में व्यय का विवरण	6383866.00
	योग ...	**7186049.00**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्न सूची "अ"

वित्तीय वर्ष 2003-04 (3053) ग्रामीण मार्गों के पैच मरम्मत मद में कुल प्राप्त आवंटन रु0 13.86 लाख के सापेक्ष व्यय का विवरण :--

क्रम-सं0	मार्ग का नाम	व्यय
1	2	3
1	डी0 डी0 मार्ग से जमौतिया मार्ग	14814.00
2	महादेवा घुरहू मार्ग	27975.00
3	भावपुर पकड़ी पठान मार्ग	19080.00
4	मिश्रौलिया बहराइच बस्ती मार्ग	19792.00
5	डुमरियागंज पिरैला मार्ग	94085.00
6	चकचई तेनुहार मार्ग	37950.00
7	बेलौहा मरवटिया मार्ग	9996.00
8	भड़रिया बढ़नी चाफा मार्ग	18792.00
9	करही कोटिया गड़ारी मार्ग	14916.00
10	बी0 टी0 आई0 बी0 से जनियाजोत मार्ग	17410.00
11	बांसी धानी से टिकुर कुड़जा मार्ग	99113.00
12	शाहपुर सिंगारजोत से बेवा मुस्तकहम मार्ग	19100.00
13	बनौली सेमरहना मार्ग	165803.00
14	सोहना सिक्टा चिताही मार्ग	17890.00
15	लुम्बिनी दुद्धी से खारिका खास मार्ग	14955.00
16	कलना खोर कुड़जा पेडारी मार्ग	19756.00
17	बांसी धानी से टिकुर मार्ग	267601.00
18	बांसी धानी मार्ग	507789.00
	योग . .	**1386817.00**

वर्ष 2003-04 में चौधरी चरण सिंह योजना के अन्तर्गत ग्रामीण मार्ग नवीनीकरण का विवरण :--

क्रम-सं0	मार्ग का नाम	व्यय
1	2	3
1	परसपुर बयारा मार्ग	220648.00
2	शाहपुर धोबहा मार्ग	848288.00
3	मिश्रौलिया बयारा मार्ग	490490.00
4	इटवा बेलवा होरिलापुर से मिश्रौलिया खालसा मार्ग	524784.00
5	बी0 टी0 आई0 बी0 से करही खास मार्ग	450774.00
6	बी0 टी0आई0 बी0से धोबहा मार्ग	465417.00
7	बी0 टी0 आई0 बी0 से जनियाजोत मार्ग	450900.00
8	बेलौहा मरवटिया से बेलउख मार्ग	675945.00
9	नरही चरथरी मार्ग	528723.00
	योग . .	**4655969.00**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 2003-04 में ग्रामीण मार्गों की विशेष मरम्मत (3054) का विवरण

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	व्यय
1	2	3
1	पथरा तिगोड़वा मार्ग	1860243.00
2	बेलौहा मरवटिया मार्ग	1197195.00
3	मुहुआ निबियहवा मार्ग	1449727.00
	योग ...	**4507165.00**

वित्तीय वर्ष 2004-05 (3054)/ग्रामीण मार्गों के पैच मरम्मत मद में कुल प्राप्त आवंटन रु0 8.02 लाख के सापेक्ष व्यय का विवरण :--

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	व्यय
1	2	3
1	बी0 टी0 आई0 बी0 से गोल्हौरा बरांव शरीफ मार्ग	17334.00
2	जिगनिहवा चेतिया मार्ग	19188.00
3	बी0 टी0 आई0 बी0 से गौरा मार्ग	7722.00
4	सोनखर हाटा मार्ग	59800.00
5	बांसी डुमरियागंज से सेहरी मार्ग	19886.00
6	भड़रिया बढ़नी चाफा मार्ग	540.00
7	सोहना सिक्टा चिताही मार्ग	20360.00
8	एल0 डी0 से उढ़िया मार्ग	32013.00
9	डिडई घोसियारी मार्ग	326471.00
10	पेडारी कलनाखोर मार्ग	51888.00
11	मिठवल बभनी घाट मार्ग	13442.00
12	पथरा तिगोड़वा मार्ग	25932.00
13	बांसी टाउन फीडर मार्ग	9000.00
14	भावपुर भदोखर से भदोखरी मार्ग	19945.00
15	पडरी घोसियारी मार्ग	14995.00
16	कलना खोर मदुआपार मार्ग	163667.00
	योग . .	**802183.00**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 2004-05 ग्रामीण मार्गों का सुधार व नवीनीकरण (3054) का विवरण :--

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	व्यय
1	2	3
1	सोनखर हाटा मार्ग	1442863.00
2	जिगनिहवा चेतिया मार्ग	557406.00
3	खेरसहा नासिरगंज मार्ग	607005.00
4	तिलौली बनके गांव मार्ग	677958.00
5	रुधौली डुमरियागंज से गंधरिया बुजुर्ग मार्ग	129262.00
6	डी0 डी0 मार्ग से पिपरी बुजुर्ग मार्ग	464343.00
7	खोरिया रघुवीर सिंह से भग्गोभार मार्ग	195246.00
8	मोतीगंज से भारत भारी मार्ग	214511.00
9	मोतीगंज भट्ठे से सुकदेव यादव के गांव मार्ग	129276.00
10	बी0 आई0 टी0 बी0 से बुद्धिखास मार्ग	250000.00
11	महादेव घुरहू से भदोखर मार्ग	209389.00
12	शाहपुर सिंगारजोत से मन्नीजोत भरवटिया मार्ग	880076.00
13	बदलिया सोहना से भवनापुर ब्लाक मार्ग	15091.00
14	भावपुर भदोखरी मार्ग	225898.00
15	डुमरियागंज तहसील लिंक मार्ग	130475.00
16	बाबूराम चौहान के गांव तक मार्ग	119244.00
	योग --	**6383866.00**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

सूची–क

विधान सभा औराई के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में सामान्य अनुरक्षण, नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत में कराये गये मार्गों की सूची जनपद--स0 र0 न0, भदोही

क्र0-सं0	मार्ग का नाम	श्रेणी	व्यय लाख रु0
1	2	3	4
1	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग चैनेज (290.00--301.00)	राज्य मार्ग सं0-5	30.30
2	वाराणसी भदोही गोपीगंज मार्ग चैनेज (32.00--38.00)	राज्य मार्ग सं0-87	1.05
3	मिर्जापुर गोपीगंज मार्ग	प्रमुख जिला मार्ग	9.97
4	सहसेपुर खमरिया मार्ग	अन्य जिला मार्ग	1.17
5	महराजगंज परसीपुर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	16.84
6	औराई चीनी मिल मार्ग	अन्य जिला मार्ग	6.56
7	जी0 टी0 रोड से गिर्द बडगांव मार्ग	अन्य जिला मार्ग	1.28
8	माधोसिंह महथुआ मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.02
9	बभनौटी ममहेर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.32
10	मानिकपुर उगापुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.94
11	कपसेठी मझमेडिया मार्ग	ग्रामीण मार्ग	8.32
12	जी0 टी0 रोड से इटावा उपरवार	ग्रामीण मार्ग	3.25
13	मनिकपुर उगापुर से भोला गिरिया मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1.93
14	महाराजगंज परसीपुर से उदयकरनपुर उगापुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.50
15	महाराजगंज परसीपुर से विवेकानन्द मिरान अस्पताल	ग्रामीण मार्ग	1.35
16	छित्तमपुर खमरिया मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1.25
17	माधोसिंह महथुआ से अछवर होते हुये पीपरगांव	ग्रामीण मार्ग	0.06
18	झावा पिलखिनी का शेष	ग्रामीण मार्ग	2.00
19	माधोसिंह महथुआ से जाठी होते हुए घुरीपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	5.54
20	जी0 टी0 रोड से औरंगाबाद	ग्रामीण मार्ग	0.85
21	माधोसिंह महथुआ से घरौधा मार्ग	ग्रामीण मार्ग	5.70
22	माधोसिंह खमरिया मार्ग	ग्रामीण मार्ग	7.65
23	गोपपुर डेरवा मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.50
24	उगापुर महथुआ से सुन्दरपट्टी मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.03

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
25	नटवा से बंजारी मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2.58
26	ममहर से गिरिया मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.73
27	ज्ञानपुर लालानगर से मवैया हरदोपट्टी मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.75
28	महाराजगंज परसीपुर से धमहापुर	ग्रामीण मार्ग	0.03
29	झावा विक्रमपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2.63
30	एल0 डी0 रोड से नुआव मार्ग	ग्रामीण मार्ग	4.16
31	उगापुर माला गिरिया से पूरेनोहडी मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2.37
32	महराजगंज परसीपुर से हथियाडीह	ग्रामीण मार्ग	3.10
33	जी0 टी0 रोड से गिर्द बड़ा गांव लीलापुर	ग्रामीण मार्ग	3.16
34	महराजगंज परसीपुर से मगैनी	ग्रामीण मार्ग	1.52
35	जी0 टी0 रोड से आमौवा माफी	ग्रामीण मार्ग	0.10
36	गोपपुर डेरवा से चन्दपुरा मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.78
37	भुर्की भिदिउरा मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.05
38	कठारी से भोगांव मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.02
39	उगापुर महथुआ मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1.45
40	बभनौटी ममहर का अवशेष भाग	ग्रामीण मार्ग	0.11
41	जी0 टी0 रोड से पुरुषोत्तमपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.30
42	औराई से चीनी मिल से सहसेपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	3.64
43	जी0 टी0 रोड वासुदेव पुर मुक्तापुन मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1.17
44	जी0 टी0 रोड से अहरपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	3.25
45	महराजगंज से परसीपुर मार्ग से लीलापुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1.00
46	मानिकपुर उगापुर से भरतपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1.12
47	मानिकपुर उगापुर से ढोढाव मार्ग	ग्रामीण मार्ग	4.58
48	मानिकपुर उगापुर से माधोरामपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2.28
49	दलपतपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1.37
50	नटवा बंजारी मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1.46
51	पूरे नोहड़ी मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2.12
52	गोपपुर डेरवा बंजारी मार्ग	ग्रामीण मार्ग	2.89
53	दत्तीपुर बहरी मार्ग	ग्रामीण मार्ग	1.21
54	जाठी सम्पर्क मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.02
55	दरूनहा से सुरहन मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.72
56	दरूनहा से बरवा मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.85
57	महराजगंज पर्सीपुर से निदूर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	0.85
		योग . .	**159.75**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची --ख

विधान सभा औराई के अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में मरम्मत न कराये गये मार्गों की सूची।

जनपद--स0 र0 न0, भदोही

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	श्रेणी
1	2	3
1	उगापुर से महथुआ मार्ग	ग्रामीण मार्ग
2	कपसेठी मझभेड़िया से जगरनाथपुर	ग्रामीण मार्ग
3	छित्तमपुर नरउर खमरिया	ग्रामीण मार्ग
4	औराई से चीनी मिल से हमीद पट्टी मार्ग	ग्रामीण मार्ग
5	जी0 टी0 रोड से कैयरमऊ	ग्रामीण मार्ग
6	जी0 टी0 रोड से लोहराखास	ग्रामीण मार्ग
7	जी0 टी0 रोड से कोईलरां चन्दपुरा मार्ग	ग्रामीण मार्ग
8	गोपपुर डेरवा से जहंगीराबाद मार्ग	ग्रामीण मार्ग
9	माधोसिंह से पियरो मार्ग	ग्रामीण मार्ग
10	जी0 टी0 रोड से गोपपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग
11	महरागंज उमरहा मार्ग	ग्रामीण मार्ग
12	माधोसिंह महथुआ से नकटापुर	ग्रामीण मार्ग
13	डेरवा से बर्जी मार्ग	ग्रामीण मार्ग
14	टेढवा से खमरिया माधोसिंह जी0 टी0 रोड तक पुन: निर्माण	ग्रामीण मार्ग
15	इलाहाबाद बैंक खमरिया के बगल से महेन्द्र मिश्र के घर के बगल से यू0 पी0 कार्पेट तक	ग्रामीण मार्ग
16	"ई" हिल्स कम्पनी हुसैनी मार्ग से टाउन एरिया कार्यालय तक	ग्रामीण मार्ग
17	काशीचक ईदगाह खमरिया से मथई त्रिमुहानी तक	ग्रामीण मार्ग
18	जी0 टी0 रोड पंजाब बैंक के बगल से माधो सिंह बाजार	ग्रामीण मार्ग
19	औराई चीनी मिल मार्ग से अमीर पट्टी मार्ग	ग्रामीण मार्ग
20	जी0 टी0 रोड स्टेट बैंक के बगल से एम0 पी0 सी0 होते हुए तकिया तक	ग्रामीण मार्ग
21	सीउर से घोसिया सिंह कार्पेट	ग्रामीण मार्ग
22	जी0 टी0 रोड से पंजाब बैंक राजापुरा जू0 हा0 घोसिया	ग्रामीण मार्ग
23	उगापुर महथुआ से नकटापुर	ग्रामीण मार्ग
24	मानिकपुर उगापुर से तारापुर	ग्रामीण मार्ग
25	उगापुर महथुआ मार्ग से सायर मार्ग	ग्रामीण मार्ग
26	एल0 डी0 रोड से कैयरमऊ मार्ग	ग्रामीण मार्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
27	एल0 डी0 रोड से उपरौठ का छूटा भाग	ग्रामीण मार्ग
28	माधोसिंह खमरिया से लक्षिमणा गौरीडीह मार्ग	ग्रामीण मार्ग
29	जी0 टी0 रोड से खमरिया मार्ग को क्रास करते हुए छोटा कोईलरा मार्ग	ग्रामीण मार्ग
30	एल0 डी0 रोड से कुरौना	ग्रामीण मार्ग
31	कठारी भोगांव मार्ग	ग्रामीण मार्ग
32	अछवर से पीपरगांव मार्ग कन्या विद्यालय तक	ग्रामीण मार्ग
33	मझभेडिया से दूरासी	ग्रामीण मार्ग
34	मिर्जापुर भदोही से समधाखास तक के पश्चिम छोर तक	ग्रामीण मार्ग
35	एल0 डी0 रोड से उपरौठ	ग्रामीण मार्ग
36	ज्ञानपुर लालानगर से हरिचरन पट्टी मार्ग	ग्रामीण मार्ग
37	जी0 टी0 रोड से भवानीपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग
38	एल0 डी0 रोड कैयरमऊ मार्ग का अवशेष	ग्रामीण मार्ग
39	वासुदेवपुर सम्पर्क मार्ग	ग्रामीण मार्ग
40	नेवादा जाठी तथा माधोसिंह महथुआ मार्ग	ग्रामीण मार्ग
41	मानिकपुर [illegible] से बेजावन मार्ग	ग्रामीण मार्ग
42	गिर्द बुड़ागांव पिलखिनी से दुरासी मार्ग	ग्रामीण मार्ग
43	जी0 टी0 रोड लोहरा खास मार्ग	ग्रामीण मार्ग
44	माधोसिंह महथुआ से भभौरा मार्ग	ग्रामीण मार्ग
45	पिलखिनी से गोहिलांव मार्ग	ग्रामीण मार्ग
46	भैसहटा से सवरा वासुदेव मार्ग	ग्रामीण मार्ग
47	लोकमनपुर से उदयकरनपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग
48	जी0 टी0 रोड से वल्लूपुर सारीपुर मार्ग	ग्रामीण मार्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0--38 विधान सभा--8-5-06--813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।